सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

के वि वि आयोग
CERC

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
तृत्तीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग
36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001
दूरभाष : +91 11 23353503 • फेक्स: +91 11 23753923
www.cercind.gov.in

अध्यक्षीय वक्तव्य

वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने में बाजार विकास की विवेचनीय चुनौतियों, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा की ग्रिड समेकन इत्यादि सहित भारत में ऊर्जा क्षेत्र सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

आयोग ने उत्पादन केन्द्रों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए टैरिफ की निबंधन और शर्तों से संबंधित विनियम जारी किए जो टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए लागू है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन रहा है और इसी के साथ–साथ बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहन सहित निवेशकों के लिए लागतों की वसूली सुनिश्चित करना रहा है। प्रचालनगत मानदंडों को निर्धारित करने में स्टेशन हीट दर, अनुषांगिक उपभोग और द्वितीय ईंधन उपभोग से संबंधित उन्नत कार्य निष्पादन के कारण कुशल लाभ की शेयरिंग के लिए प्रावधान किए गए हैं। इक्विटी पर रिटर्न की बेस दर 15.5 प्रतिशत रखी गई है। हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के संबंध में उपयोगी जीवन 35 वर्षों से बढ़कर 40 वर्ष हो गए। विद्युत कीमत में मूल्य के तत्व में तथा पीक समय के दौरान उत्पादन केन्द्रों की बेहतर उपलब्धता, के उद्देश्य से, क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए पीक घंटो और ऑफ पीक घंटे के दौरान विभेदक दर (01.04.2020) से प्रभावी) उपलब्ध करवाई गई है।

पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोग ने विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यपार के संबंध में विनियमों को तैयार किया। इन विनियमों के अधीन क्रॉस बार्डर व्यापार की भारत और पड़ोसी देशों के बीच हस्ताक्षरित करारों के समूचे फ्रेमवर्क के अधीन भारतीय इकाइयों और पड़ोसी देशों की इकाइयों के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम से अनुमति है। यह ''दो देशों के बीच द्विपक्षीय करारों के माध्यम से'' ''बोली रूट के माध्यम से'' या इकाइयों के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम से'' सहित संबंधित देशों में प्रचलित विधियों के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इन विनियमों में त्रिपक्षीय करारों के लिए व्यवस्था है जिसमें भारत में विद्युत के क्रॉस बार्डर व्यापार की भारत सरकार तथा सहभागी इकाइयों के संबंधित पड़ोसी देशों के सरकारों के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों के समूचे फ्रेमवर्क के अधीन अनुमति होगी।

डीएसएम कीमत वैक्टर के लिए संदर्भ फ्रिक्वेंसी बैण्ड (अर्थात 49.85 हर्टज से 50.05 हर्टज तक) पुनरीक्षण के अतिरिक्त पावर एक्सचेंज के डेअहेड मार्केट क्षेत्र में पता लगाई गई दैनिक औसत एरिया क्लियरिंग कीमत में विचलन व्यवस्थापन तंत्र प्राइज वैक्टर (50 हर्टस पर प्राइस) से संबद्ध ग्रिड सुरक्षा और ग्रिड नियंत्रण के रखरखाव आयोग का उद्देश्य रहा। मानदण्डों को परिवर्तित मानदण्ड के हस्ताक्षर के उल्लंघन के लिए वाणिज्यिक दण्ड, ग्रिड अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण उपाय के रूप में मानदण्ड आरंभ किए गए हैं।

राष्ट्रीय विद्युत नीति में पारेषण एवं वितरण दोंनों में गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए फ्रेमवर्क को सरल बनाने की आवश्यकता पर विचार किया गया। गैर भेदभावपूर्ण निर्बाध पहुंच के लिए फ्रेमवर्क के विकास के लिए विवेचनीय कदम के रूप में आयोग ने राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री के प्रचालन और डिजाइन की आवश्यकता का पता लगाया जो सभी स्टेकहोल्डरों के लिए समन्वित आईटी आधारित प्रणाली होगी। उसके अनुरूप आयोग ने राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री के लिए विनियामक फ्रेमवर्क का ब्योरा देते हुए निर्बाध पहुंच विनियम में संशोधनों को अधिसूचित किया।

2022 तक 175 जीडब्ल्यू को छूने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के प्रत्याशित वृद्धि के संदर्भ में परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के समेकन का महत्व होगा। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को सरल बनाने के उद्देश्य से कई विनियामक पहल कई वर्षों से की गई है। मामले में सतत विचार विमर्श के भाग के रूप में विचार विमर्श पेपर की श्रृंखला विभिन्न संबद्ध पहलुओं पर प्रकाशित की गई हैं जिस पर अन्य बातों के साथ–साथ वास्तविक समय बाजार, अनुषंगी सेवा प्रचालन के लिए संशोधित फ्रेमवर्क, बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण इत्यादि शामिल है।

वास्तविक समय बाजार से संबंधित विचार विमर्श पेपर में एकसमान कीमत डिस्कवरी के लिए डबल साइड क्लोज्ड बोली के साथ रियल घण्टे के रूप में वास्तविक समय बाजार का प्रस्ताव किया गया। इस पेपर में घण्टे बाजार के अनुरूप टाइम लाइन से गेट बंद करने की अवधारण प्रस्तावित है। प्रस्तावित फ्रेमवर्क में घण्टे के वास्तविक समय बाजार में प्रत्येक 15 मिनट के टाइमब्लाक के लिए बोली की खरीद बिक्री के विकल्प के लिए क्रेता/विक्रेता के लिए व्यवस्था है। दीर्घकालिक कांट्रेक्ट वाले उत्पादक और इस बाजार में सहभागिता करने वाले उत्पादक से टैरिफ नीति 2016 के अनुबंध के अनुसार 50:50 के अनुपात में डिस्काउण्ट के साथ निवल लाभ (ऊर्जा प्रभार के लिए लेखांकन के बाद) को शेयर करना अपेक्षित होगा।

अनुषंगी सेवाएं विद्युत प्रणाली प्रचालन के अनिवार्य संघटक हैं जो विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता में वृद्धि और सुधार के लिए अपेक्षित है। आयोग ने 2015 में विनियमों को अधिसूचित करते हुए भारत में सहायक सेवा तंत्र की शुरूआत की। इन विनियमों का उद्देश्य वांछित स्तर पर फ्रिक्वेंसी को बहाल करना था और पारेषण नेटवर्क में संकुलता को मुक्त करना था। फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर प्राप्त अनुभवों के आधार पर ''भारत में सहायक सेवा तंत्र को रिडिजाइन करना'' से संबंधित विचारविमर्श पेपर विचार के लिए तैयार किया गया। इस पेपर में विनिर्दिष्ट मानदण्डों की पूर्ति के लिए उनकी क्षमता के आधार पर सहभागी को विभिन्न उत्पादकों को अनुमति देते हुए बाजार आधारित अनुषंगी सेवाओं का सुझाव दिया गया।

आयोग ने बाजार डिजाइन में सुधारों के अनुसार आगे कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की जिसमें उत्पादन क्षमताओं के आर्थिक प्रेषण और अनुसूचीकरण के बेहतर उपयोग की व्यवस्था है। इस पृष्ठभूमि में बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण से संबंधित एक विचार विमर्श पेपर प्रस्तावित है जिसमें तकनीकी दबावों के अध्याधीन आर्थिक सिद्धांतों पर पूर्णतः सभी उत्पादन का प्रेषण एवं अनुसूचीकरण के डेअहेड पर विद्युत बाजार की कार्यकलापों पर विचार विमर्श की व्यवस्था है।

आयोग ने विनियामक फोरम (एफओआर), भारतीय विनियामक फोरम (एफओआईआर) तथा दक्षिण एशिया अवसंरचनात्मक विनियामक फोरम (साफिर) की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जो इन संस्थाओं को सचिवीय सेवाएं प्रदान करते हुए संसाधन उपलब्ध करवाता है।

विनियामक फोरम अध्यक्ष केविविआ की अध्यक्षता के अधीन विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन निगमित निकाय है। एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्ष एफओआर के सदस्य हैं। वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर फोरम की बैठके आयोजित की गई और कई विवेचनीय विषयों पर सहमति विकसित की गई। फोरम ने ''उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की उपभोक्ताओं की ऊर्जा गुणवत्ता'' ''भारतीय भार प्रेषण केन्द्रों की क्षमता निर्माण'' और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर रिपोर्ट'' से संबंधित अध्ययन भी किए गए हैं।

आयोग अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में सभी स्टेकहोल्डरों से उनके सतत सहयोग की कामना करता है।

पी.के. पुजारी

विषय सूची

1.	आयोग	11
2.	मिशन विवरण	15
3.	आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण	19
4.	पूर्व वर्ष : एक अवलोकन	25
5.	विनियामक क्रियाविधियां और प्रक्रिया	33
6.	वर्ष 2018–19 के दौरान गतिविधियां	37
7.	उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष	67
8.	वर्ष 2018–19 के दौरान जारी अधिसूचनाएं	71
9.	वर्ष 2019–20 के लिए कार्यसूची	75
10.	खातों की वार्षिक विवरणी	79
11.	आयोग का मानव संसाधन	83
	अनुबंध	87

संक्षेप अक्षरों की सूची

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
एबीटी	उपलब्धता आधारित टैरिफ
एडीएमएस	स्वचालित मांग प्रबंधन योजना
एईआरए	एयरपोर्ट आर्थिक विनियामक अधिकरण
एपीपीसी	औसत पूल क्रय लागत
एपीटीईएल/एटीई	विद्युत का अपीलीय न्यायाधीकरण
एयूएफआर	फ्रीक्वेंसी रिले
बीईई	ऊर्जा कुशलता ब्यूरों
बीपीटीए	बल्क विद्युत पारेषण करार
बीयू	बिलियन यूनिट
सीएसी	केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति
सीसीजीटी	समन्वित साईकिल गैस टर्बाइन
सीसीआई	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीईआरसी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
सीजीपी	केप्टिव उत्पादन संयंत्र
सीआईएल	कोयला इंडिया लि.
सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
सीपीआरआई	केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान
सीपीएसयू	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
सीटीयू	केन्द्रीय पारेषण कंपनी
डीएएम	डे अहेड मार्केट
डस्किॉम	वितरण कंपनी
डिस्कॉम	दामोदर घाटी निगम
ईए	विद्युत अधिनियम
ईआर	पूर्वी क्षेत्र
ईआरसी	विद्युत विनियामक आयोग
ईआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
ईआरपीसी	पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एफजीएमओ	फ्री गवर्नर मोड प्रचालन
एफआई	वित्तीय संस्था
एफओआईआर	भारतीय विनियामक फोरम
एफओआर	विनियामक फोरम

एफएसए	ईंधन आपूर्ति करार
जीसीवी	सकल क्लोरिफिक मूल्य
जीएफए	सकल नियत आस्तियां
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपीएस	गैस विद्युत केन्द्र
जीएसईएस	ग्रिड सुरक्षा विशेषज्ञ प्रणाली
जीडब्ल्यू	गीगा वाट
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
एचपीएस	हाइड्रो विद्युत केन्द्र
आईसी	स्थापित क्षमता
आईडीसी	निर्माण के दौरान हित
आईईजीसी	भारतीय विद्युत ग्रिड कोड
आईईएक्स	भारतीय ऊर्जा विनिमय
आईपीपी	स्वतंत्र क्रय उत्पादक
आईएसजीएस	अंतर–राज्यिक उत्पादन प्रणाली
आईएसटीएस	अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली
जेईआरसी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
जेएनएनएसएम	जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन
जेवी	संयुक्त उद्यम
केवी	किलो वॉल्ट
केडब्ल्यू	किलोवाट
केडब्ल्यूएच	किलावोट घंटा
लीलो	लूप इन लूप आउट
एलटीए	दीर्घकालिक पहुंच
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमएमसी	बाजार मानिटरिंग कक्ष
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओपी	विद्युत मंत्रालय
एमटीओए	मध्यकालिक निर्बाध पहुंच
एमयू	मिलियन यूनिट
एमडब्ल्यू	मेगावाट
एमवाईटी	बहुवर्ष टैरिफ

एनडीसी	राष्ट्रीय विकास परिषद
नीपको	उत्तर–पूर्वी विद्युत ऊर्जा कंपनी
एनईआर	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र
एनईआरएलडीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनईआरपीसी	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विद्युत समिति
एनएचपीसी	राष्ट्रीय हाईड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा निगम
एनएलसी	नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन
एनएलडीसी	राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र
एनपीसी	राष्ट्रीय विद्युत समिति
एनआर	उत्तर क्षेत्र
एनआरएलडीसी	उत्तर क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एनआरपीसी	उत्तर क्षेत्र विद्युत समिति
एनटीपीसी	राष्ट्रीय थर्मल पावर कार्पोरेशन
ओएंडएम	प्रचालन तथा रखरखाव
ओसीसी	प्रचालन समन्वय समिति
ओसीजीटी	निर्बाध चक्र गैस टर्बाइन
ओटीसी	ओवर दि काउंटर
पीएएफ	संयंत्र उपलब्धता घटक
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कार्पोरेशन इंडिया लि
पीएलएफ	संयंत्र भार घटक
पीएमयू	फेजर परिमापन यूनिट
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
पीओसी	प्वाइंट ऑफ कनैक्शन
पोसोको	विद्युत प्रणाली प्रचालन निगम लि.
पीपीए	विद्युत क्रय करार
पीएसडीएफ	विद्युत प्रणाली विकास निधि
पीएक्सआईएल	भारतीय विद्युत विनिमय लि.
आरई	नवीकरणीय ऊर्जा
आरईए	क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा
आरईसी	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीएमओ	नियंत्रित गवर्नर मोड प्रचालन
आरएलडीसी	क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र

आरएलएनजी	पुनर्गैसकृत लिक्वीफाईट प्राकृत गैस
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर रिटर्न
आरओई	इक्विटी पर रिटर्न
आरओआर	रन ऑफ दी रिवर
आरपीसी	क्षेत्रीय विद्युत समिति
आरपीओ	नवीकरणीय क्रय बाध्यता
आरआरआई	विनियामक अनुसंधान संस्थान
साफिर	दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम
स्काडा	पर्यवेक्षण नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एससीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तारीख
एसईआरसी	राज्य विद्युत विनियामक आयोग
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसएचआर	स्टेशन हीट दर
एसजेवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
एसएलडीसी	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
एसआर	दक्षिणी क्षेत्र
एसआरएलडीसी	पूर्वी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
एसआरपीसी	दक्षिण क्षेत्रीय विद्युत समिति
एसएसयू	राज्य क्षेत्र कंपनियां
एसटीओए	अल्पकालिक निर्बाध पहुंच
एसटीपीएस	सुपर थर्मल पावर स्टेशन
एसटीयू	राज्य पारेषण कंपनी
टीएएम	टर्म एहेड बाजार
टीएएमपी	बड़े पत्तनों की ट्रेफिक अधिकरण
टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो विकास निगम
टीपीएस	थर्मल विद्युत केन्द्र
टीएसए	पारेषण सेवा करार

I
आयोग

1. आयोग

विद्युत क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना 1990 के दशक के प्रारंभ में उस समय की गई थी, जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री शरद पवार की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने "सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यावसायिक टैरिफ बोर्डों का गठन" करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि "टैरिफ बोर्डों से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफो को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यावसायिकता आ सकेगी।"

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए, यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इनको एक निश्चित समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया।

इस प्रकार, केंद्र तथा राज्यों में विनियामक आयोगों को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को अलग रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में विद्युत टैरिफ तर्कसंगतता आदि के बारे में, पारदर्शी नीतियों के सुव्यवस्थीकरण के लिए केंद्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1998 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) का गठन किया। चूंकि, अब विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 को विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के उपबंधों के अधीन सृजित सीईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के रूप में मान्यता दी गई है।

आयोग अर्ध–न्यायिक हैसियत में कार्य करता है। इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कें.वि.प्रा.) के अध्यक्ष, पदेन सदस्य के रूप में शामिल है। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय, एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, अधिनियम यह विहित करता है कि अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विद्याओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम में यथा विहित केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधिनियम एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी उपबंध करता है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करता है और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा परिभाषित किए जाते हैं।

अधिदेश

जैसाकि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1) द्वारा दायित्व सौपा गया है, आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है :–

(क) केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों से भिन्न उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करना यदि ऐसी उत्पादन कंपनियां एक राज्य से अधिक राज्यों में विद्युत के उत्पादन और विक्रय के लिए संयुक्त स्कीम में शामिल होती हैं या अन्यथा उनकी ऐसी कोई संयुक्त स्कीम है;

(ग) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

(घ) विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए टैरिफ अवधारित करना;

(ङ) किन्हीं व्यक्तियों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उनकी अंतर–राज्यिक संक्रियाओं की बाबत विद्युत व्यापारी के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना;

(च) उपर्युक्त खंड (क) से खंड (घ) तक से संसक्त विषयों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले विवादों का न्यायनिर्णयन करना तथा मध्यस्थता के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट करना;

(छ) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उदगृहीत करना;

(ज) ग्रिड मानकों को ध्यान में रखते हुए, ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानकों को विनिर्दिष्ट और प्रवृत्त करना;

(ञ) विद्युत के अंतर–राज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, व्यापार अंतर को नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए जाएं।

केंद्रीय सरकार को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(2) के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना

(क) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति बनाना;

(ख) विद्युत उद्योग के क्रियाकलाप में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता का संवर्धन करना;

(ग) विद्युत उद्योग में विनिधान का संवर्धन; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

2
मिशन विवरण

2. मिशन विवरण

आयोग की थोक विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देने, सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने, मांग आपूर्ति के अंतर, जिससे ग्राहकों के हितों का सम्पोषण हो, को पाटने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करने के संबंध में सरकार को सलाह देने की योजना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, आयोग का उद्देश्य :–

क. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी), उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के माध्यम से क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करना।

ख. एक कारगर टैरिफ अवधारण तंत्र तैयार करना जिससे थोक विद्युत और पारेषण सेवाओं की कीमत के संबंध में मितव्ययता और कार्यकुशलता और न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।

ग. अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच को सुकर बनाना।

घ. अंतर–राज्यिक व्यापार को सुकर बनाना।

ङ विद्युत बाजार के विकास को प्रोत्साहन देना।

च. सभी पणधारियों के लिए जानकारी देने में सुधार लाना।

छ. थोक ऊर्जा तथा पारेषण सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के विकास के लिए अपेक्षित तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तनों को सुकर बनाना।

ज. प्रतिस्पर्धात्मक बाजारों के सृजन के प्रथम उपाय के रूप में, पर्यावरणीय, सुरक्षा तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमा के भीतर पूंजी तथा प्रबंधन के लिए प्रवेश तथा निकासी की बाधाओं के संबंध में सलाह देना।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

मिशन विवरण और इसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आयोग का मार्गदर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा किया जाता है:

क. सभी पणधारियों (स्टेक होल्डरों) के प्रति पारदर्शी और निष्पक्ष रहते हुए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ताओं के हितों सहित समाज के हित का संरक्षण।

ख. पक्षकारों को सुने जाने के पर्याप्त और समान अवसर दिए जाने के पश्चात् याचिकाओं के माध्यम से इसके समक्ष लाए गए विवाद समाधान में निष्पक्ष रहना।

ग. एक ओर विचारों में संगत रहते हुए, विनियामक निश्चितता बनाए रखना और दूसरी ओर उभरते हुए विद्युत क्षेत्र में खुले मन से परिवर्तनों को अंगीकार करना।

घ. यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विनियम बनाने में पणधारी परामर्श और भागीदारी प्रक्रिया अपनाना जिससे कि विनियम यथासंभव पणधारियों की आशाओं के अनुरूप हों।

ङ विनियामक और बाजार आधारित तंत्र का प्रयोग करते हुए विद्युत क्षेत्र में स्रोतों का अनुकूल आबंटन सुनिश्चित करना।

च. विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय स्रोतों के संवर्धन द्वारा कायम रखने योग्य विकास को प्रोत्साहित करना।

3

अध्यक्ष एवं सदस्यों का संक्षिप्त विवरण

श्री पी.के. पुजारी
अध्यक्ष
(1 फरवरी 2018 – कार्यरत)

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, श्री पी.के. पुजारी ने वर्ष 1981 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारत की सर्वोच्च सिविल सेवा में कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें गुजरात केडर आबंटित किया गया। अपने कैरियर के दौरान, उन्हे गुजरात में विभिन्न विभागों/मंत्रालयों और साथ ही केंद्र सरकार में बिजली, वाणिज्यिक कर, वित्त और उद्योगों का कार्य सौंपा गया। वे अपने 36 वर्षों की सेवा के बाद, वर्ष 2017 में अपनी अधिवार्षिकी से पूर्व दो वर्षों के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सचिव पद पर रहे।

वित्त और उद्योगों के क्षेत्र में कुछ मुख्य कार्य (i) वित्तीय संसाधन पूर्वानुमान, व्यय योजना, वार्षिक बजट तैयार करना, ऋण एवं गारंटी प्रबंधन; (ii) बिक्री कर से मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) में संक्रमण, प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए वाणिज्यिक करों का नियंत्रण और इसे सक्षम बनाना एवं; (iii) औद्योगिक संपदाओं एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना और मार्केटिंग शामिल है।

उन्होंने निदेशक एवं सचिव के रूप में 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए विद्युत क्षेत्र में कार्य किया। निदेशक के रूप में वह उत्पादन एवं वितरण में निजी विद्युत कंपनियों की सहभागिता के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क के विकास में शामिल रहे। सचिव के रूप में अपनी अवधि के दौरान (2015–17), अधिकतम उत्पादन क्षमता तथा अंतर–राज्यिक पारेषण क्षमता को देश में जोड़ा गया जिसे एक राष्ट्र – एक ग्रिड – एक कीमत में परिणत किया गया।

सचिव के रूप में, उन्होंने कई दूरगामी पहल और नीतिगत परिवर्तनों में सहभागिता की। इनमें शेष 18,452 सभी गांवों का विद्युतीकरण (1.4.2015) की स्थिति के अनुसार, डिस्कॉम के सतत प्रचालन और वित्तीय टर्नअराउण्ड के लिए 'उदय' का शुभारंभ, संशोधित टैरिफ नीति 2016, विद्युत संयंत्रों के लिए नई कोयला संबद्ध नीति, संशोधित राष्ट्रीय विद्युत योजना XIX विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण, यूएमपीपी के लिए संशोधित बोली दस्तावेज सीजी केन्द्रों से राज्यों के लिए संशोधित विद्युत आबंटन फार्मूला, नई हाइड्रो विद्युत नीति को तैयार करना, 2019 तक वैश्विक घरेलू विद्युतीकरण के लिए नई नीति को तैयार करना, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए नीतिगत मार्ग निर्देश, कैप्टिव उत्पादकों के लिए संशोधित नियमावली, टैरिफ संरचना और टैरिफ श्रेणियों की तर्कसंगतता के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देना शामिल है।

अपने कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों के साथ विद्युत के क्रॉस बोर्डर व्यापार के लिए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। क्रॉस बोर्डर पारेषण लाइनों में पर्याप्त वृद्धि की गई। इससे भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ विद्युत के व्यापार में वृद्धि संभव हुई। पहली बार म्यांमार के साथ विद्युत व्यापार आरंभ हुआ। श्रीलंका के

साथ सबमैरिन केबल कनेक्शन के लिए वार्ता आरंभ हुई। उन्होंने इन देशों के साथ विद्युत व्यापार पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया।

वे माराकेश में सीओपी 22 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर करने से निकटता से संबद्ध रहे। उन्होंने दूसरे ब्रिक्स ऊर्जा मंत्री सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का और बीजिंग में 8वें क्लीन ऊर्जा मंत्री (सीईएम) सम्मेलन का नेतृत्व किया।

पुस्तकें पढ़ना, खेलकूद और संगीत सुनना उनकी रूचियों में शामिल है।

श्री एम. के. अय्यर
सदस्य
(10 अगस्त 2015 – कार्यरत)

10 अगस्त, 2015 को सदस्य के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डॉ0 एम. के. अय्यर ने 5 वर्षों की अवधि के लिए गुजरात विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (वित्त) के रूप में कार्य किया और गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कई विनियामक मुद्दों को सफलता से संचालित किया। गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में बहुवर्ष टैरिफ विनियम, सौर, पवन एवं बायोमास के नवीकरणीय टैरिफ आदेश, निर्बाध पहुंच विनियम और इसका प्रर्वतन, टैरिफ की तर्कसंगतता, ईंधन विद्युत क्रय समायोजन फार्मूला के माध्यम से विद्युत खरीद को पासथ्रू करना और अन्य विनियामक मुद्दों का स्कोर तैयार करना ताकि उपभोक्ता हित और कम्पनी हित के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सके। अगस्त 2010 गुजरात विद्युत विनियामक आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के समय से बड़ी संख्या में आदेश जारी किए गए जिसका गुजरात में विद्युत क्षेत्र की सुचारू कार्यप्रणाली में प्रभाव रहा है।

डॉ0 एम. के. अय्यर भौतिकी में स्नातक हैं। एमबीए (वित्त) और प्रबंधन में पी.एच.डी. हैं और स्टेक होल्डरों के लिए समुचित महत्व पैदा करने के लिए रणनीतिक इनपुट में योगदान का सुदृढ़ रिकॉर्ड है। उन्होंने वित्त, मानव संसाधन और आई.टी. जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 31 वर्ष के लिए राज्य कम्पनी को सहयोग किया है और समूचे संस्थागत नक्शों को सहायता प्रदान की है। उन्होंने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अपनी सक्षमताएं प्रदर्शित की हैं जिनमें निगमित योजना, नीति विकास, सुधार और पुनसंरचना, वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, एच.आर. एवं औद्योगिक संबंध, प्रशिक्षण, आई.टी. पहल, वाणिज्यिक और विनियामक मामले शामिल हैं। उन्होंने सुधार परियोजना प्रबंधन समूह के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के गतिविधियों के 'वित्तीय पुनसंरचनात्मक योजना' में प्रभावी रूप से सहभागिता की है।

उनमें विश्लेषणात्मक, प्रशासनिक, कठिनता को दूर करने की कुशलताएं, कुशल टीम लीडर, प्रशिक्षक और प्रेरक की विशेषताएं हैं ताकि परिचालनगत उत्पादकता, श्रेष्ठ सम्प्रेषण, योग्यताओं को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक टीमों के प्रयासों के समन्वित करने की योग्यता है।

गुजरात आयोग में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे गुजरात ऊर्जा पारेषण कारपोरेशन लिमिटेड, वडोदरा, में वरिष्ठ मुख्य महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) के रूप में कार्य कर रहे थे। पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड/अनबंडल्ड जीबी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वरिष्ठ प्रमुख महाप्रबंधक (एफ एण्ड ए) आई.टी./एच.आर. तथा सीआईओ गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, महाप्रबंधक (लेखा), महाप्रबंधक (एचआर), मुख्य वित्त प्रबंधक (बजट एवं योजना), मुख्य वित्त प्रबंधक (परियोजना एवं योजना/स्टोर क्रय) इत्यादि के रूप में कार्य किया और पूर्व गुजरात विद्युत बोर्ड के सुधार/पुनर्संरचना को सफलतापूर्वक संचालित किया तथा आई.टी. पहल को कार्यान्वित किया एवं अंतिम से अंतिम ईआरपी कार्यान्वयन को सभी अनबंडल्ड 7 कम्पनियों में कार्यान्वित किया।

श्री आई. एस. झा
सदस्य
(21 जनवरी, 2019 – कार्यरत)

श्री आई. एस. झा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में जनवरी, 2019 से सदस्य हैं। अपने मौजूदा कार्य से पूर्व, उन्होंने वर्ष 2015 से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., राज्य–चलित पारेषण प्रयोज्यता, के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया।

वे एनआईटी, जमशेदपुर से इलेक्ट्रीकल अभियंता, विद्युत क्षेत्र के सभी पक्षों, जैसे कि, उत्पादन, पारेषण, प्रणाली परिचालन, वितरण सहित ग्राहकों से संयोजकता तथा विनियामक पहलुओं में 38 वर्षों से अधिक का प्रचुर तथा विविध कार्य अनुभव रखने वाले विद्युत क्षेत्र के एक सुविख्यात व्यावसायिक हैं। उन्होंने वर्ष 1981 में एनटीपीसी में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया तथा वर्ष 1991 में पावरग्रिड में कार्यभार संभाला। तदुपरांत, उन्होंने जनवरी, 2019 में केविविआ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। एनटीपीसी तथा पावरग्रिड में अपने कार्यकाल के दौरान, वे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अवधारणीकरण, योजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी, मॉनिटरिंग तथा कार्यान्वयन से जुड़े रहे।

उन्होंने देश में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के साथ समेकित सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड के विकास का आरंभ किया। पारेषण क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ, श्री झा ने राष्ट्रीय ग्रिड के अवधारणीकरण तथा कार्यान्वयन, पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस–बार्डर अंतःसंबंधों, नवीकरणीय ऊर्जा के समेकन के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर, लंबी दूरी के मल्टी–टर्मिनल एचवीडीसी पारेषण प्रणाली 1200 किलोवाट यूएचवीएसी प्रणाली इत्यादि की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

वे तकनीक क्षमता एवं जनकेन्द्रित नेतृत्व के लिए सुविख्यात हैं। वे बड़ी इलैक्ट्रिक प्रणाली से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परिषद् (सीआईजीआरई) – भारत के अध्यक्ष हैं, शीर्ष गवर्निंग बॉडी अर्थात् सीआईजीआरई – पेरिस और अन्य व्यवसायिक निकायों की संचालन समिति के सदस्य हैं। उनके विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नल/सम्मेलनों में विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में 50 से अधिक तकनीकी पेपर, बड़ी मात्रा में लेख प्रकाशित/प्रस्तुत किए गए। वे "रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी" तथा "स्मार्ट ग्रिड फंडामेंटल एंड एप्लीकेशंस" नामक दो पुस्तकों में सहयोगी लेखक रहे हैं। श्री झा विद्युत प्रणाली के क्षेत्र में तकनीकी नवोन्मेषों के लिए पेटेंट्स हेतु भी प्रयासरत हैं।

4
पूर्व वर्ष
एक अवलोकन

4. पूर्व वर्ष एक अवलोकन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं।

आयोग ने दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 जारी किया जो कि टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए लागू है। इन विनियमों में यथाधिसूचित महत्वपूर्ण उपबंधों में 15.50 प्रतिशत तथा 16.50 प्रतिशत पर इक्विटी पर रिटर्न की दर को बनाए रखना शामिल है। परियोजनाओं के समय पर समापन के लिए 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त रिर्टन समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रैम्प दर को प्राप्त करने की योग्यता पर आधारित इक्विटी पर रिटर्न में वृद्धि या कमी को दिनांक 1.4.2020 से आरंभ किया गया है (राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अलग मार्गनिर्देश जारी किए जाएंगे)। इसके अतिरिक्त, कोयला आधारित उत्पादन स्टेशनों की ऊर्जा प्रभार दर का परिकलन करते समय भंडारण के दौरान परिवर्तन के कारण 'यथाप्राप्त' जीसीवी पर 85 किलोकैल/किलोग्राम का अतिरिक्त भत्ते की अनुमति है।

इन विनियमों ने तीन महीनों (सतत अथवा अन्यथा) की उच्च मांग सीजन तथा शेष नौ महीनों (संबद्ध प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम से कम छह महीने पहले घोषित किया जाए) की निम्न मांग सीजन सहित क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए पीक घंटों और ऑफ–पीक घंटों के दौरान विभेदक दर व्यवस्था आरंभ की। क्षमता प्रभारों के माध्यम से थर्मल उत्पादन स्टेशनों की एफसी वसूली को विभेदक दरों के साथ पीक–घंटों तथा ऑफ पीक–घंटों में पृथक किया गया है। पीक घंटों को एएफसी पर सीमित समग्र वसूली के साथ ऑफ पीक घंटों की दर की 1.25 गुना पर रखा गया है। दैनिक पीक घंटों (4 घंटे) तथा ऑफ पीक घंटों (20 घंटे) को संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा कम से कम एक सप्ताह पहले घोषित किया जाएगा।

विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकीय प्लांट भार घटक से अधिक होने पर पीक घंटों के दौरान एक्स–बस अधिसूचित ऊर्जा के लिए 65 पैसे / किलोवाट तथा ऑफ पीक घंटों के दौरान एक्स–बस अधिसूचित ऊर्जा के लिए 50 पैसे/किलोवाट की दर से प्रोत्साहन हेतु व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के मामले में गौण ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार 90 पैसे प्रति किलोवाट से 120 पैसे प्रति किलोवाट में संशोधित किया गया है।

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा आर्थिक एवं कुशल अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली का नियोजन, समन्वय तथा विकास एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2018 अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य उत्पादन स्टेशनों से भार केन्द्रों तक विद्युत के सुचारू प्रवाह हेतु अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की एक कुशल, समन्वित, विश्वसनीय तथा आर्थिक प्रणाली के नियोजन तथा विकास हेतु अपनाए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों, क्रियाविधियों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करना है। इन विनियमों का उद्देश्य प्रक्रिया में स्टेकहोल्डरों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा स्टेकहोल्डरों के परामर्श एवं सहभागिता को विनिर्दिष्ट करने, नियोजन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट करने, अधिनियम के अनुसार विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं तथा दायित्वों का सीमांकन आदि करना भी है।

आयोग ने केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियमों में पांचवां संशोधन राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री के कार्यान्वयन के लिए एक समर्थकारी विनियामक रूपरेखा का सृजन करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया। राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री का उद्देश्य केन्द्रीकृत इलेक्टॉनिक प्लैटफार्म को सुकर बनाना है जिसके माध्यम से अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच को व्यवस्थित किया जाएगा। राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री से स्थायी निकासी की जांच तथा डे–अहेड एवं टर्म अहेड संव्यवहारों के संसाधन के लिए पावर एक्सचेंजों के साथ इंटरफेस प्रदान करने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखा गया है कि राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री अल्पकालिक संव्यवहारों से संबंधित सभी भुगतान करने के लिए भुगतान गेटवे प्रदान करके वित्तीय संव्यवहारों को सुकर बनाएगा। राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री आवेदनों की लेखा परीक्षा खोज तथा बाजार मॉनिटरिंग एवं बाजार डिजाइन मूल्यांकन प्रयोजनों के लिए आवश्यक सूचना का सारांश प्रस्तुत करने वाली डैशबोर्ड सुविधा भी प्रदान करेगा। इन सभी विशेषताओं से देश की अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच को व्यवस्थित करने में कुशलता एवं पारदर्शिता में महत्वपूर्ण सुधार आना अपेक्षित है।

वर्ष 2014 में यथा अधिसूचित विचलन व्यवस्थापन तंत्र विनियमों में डीएसएम कीमत वेक्टर के पुनरीक्षण की व्यवस्था है। वर्ष 2014 से विद्युत क्षेत्र में कई विकास हो चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने ग्रिड के सुरक्षित, सुदृढ़ तथा विश्वसनीय प्रचालन की आवश्यकता के संबंध में फ्रीक्वेंसी के मौजूदा प्रचालन बैंड के पुनरीक्षण तथा उभरती बाजार वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी के साथ उनकी लिंकेज सहित विचलन व्यवस्थापन तंत्र दरों के सिद्धांतों के पुनरीक्षण को आवश्यक समझा। तदनुसार, आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र तथा संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 अधिसूचित किया। इस संशोधन में 50.00 हर्ट्स पर विद्युत एक्सचेंज के डीएएम भाग में पता लगाई गई औसत दैनिक एसीपी के लिए ₹8/– प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा तथा विनियमित तथा गैर–विनियमित ईकाइयों के लिए पृथक रूप से कैप दरों को लिंक करने की भी व्यवस्था है। ग्रिड अनुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में, चिन्ह परिवर्तन मानक (एक दिशा में निरंतर विचलन) के गैर–अनुपालन के मामले में वित्तीय दंड लगाने के लिए भी व्यवस्था का आरंभ किया गया है।

आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत उपबंधों तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत के आयात एवं निर्यात पर मार्गदर्शनों के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस–बॉर्डर व्यापार) विनियम, 2019 अधिसूचित किया जो कि भारत में सहभागी ईकाइयों पर तथा उन पड़ोसी देशों पर लागू है जो कि भारत के साथ क्रॉस–बॉर्डर व्यापार में शामिल हैं। इन विनियमों में व्यवस्था है कि भारत तथा पड़ोसी देश(देशों) के बीच विद्युत के क्रॉस–बॉर्डर व्यापार की अनुमति दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करार बिडिंग रूट के माध्यम से ईकाइयों के बीच परस्पर करारों के माध्यम सहित संबंधित देश (देशों) में प्रचलित कानूनों के उपबंधों के साथ संगत भारत तथा पड़ोसी देश(देशों) के बीच हस्ताक्षरित करारों की समग्र रूपरेखा के अधीन भारतीय ईकाई(यों) तथा पड़ोसी देश (देशों) की ईकाई(यों) के बीच परस्पर करार के माध्यम से दी जाएगी। तथापि, त्रिपक्षीय करारों के मामले में, भारत में विद्युत के क्रॉस–बॉर्डर व्यापार को भारत सरकार तथा सहभागी ईकाइयों की संबंधित पड़ोसी देशों की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों की

समग्र रूपरेखा के अधीन अनुमति होगी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक, कुल स्थापित उत्पादन क्षमता 356.1 जीडब्ल्यू थी। इसमें थर्मल उत्पादन (कोयला, गैस एवं डीजल), हाइड्रो तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्रमशः 63.5%, 12.7% तथा 21.8% था। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 77.6 जीडब्ल्यू में से पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा की क्षमताएं क्रमशः 35.6 जीडब्ल्यू तथा 28.2 जीडब्ल्यू थीं। शेष क्षमता, लघु हाइड्रो पावर, बायो–मास, अवशिष्ट ऊर्जा आदि के बीच शेयर की गई। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 175 जीडब्ल्यू तक बढ़ा दिया है, जिसमें सौर से 100 जीडब्ल्यू, वायु से 60 जीडब्ल्यू, बायो–पावर से 10 जीडब्ल्यू तथा लघु हाइड्रो पावर से 5 लघु हाइड्रो पावर शामिल है। इस लक्ष्य में मुख्यतः रूफटॉप से 40 जीडब्ल्यू तथा दीर्घ एवं मध्यम स्तर ग्रिड से जुड़े सौर पावर परियोजनाओं के माध्यम से 60 जीडब्ल्यू शामिल होगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वृद्धि तथा ग्रिड में इसके सुचारू एकीकरण के लिए लक्ष्यों के प्रोत्साहन में, आयोग ने अपना विचार–विमर्श जारी रखा और विद्युत बाजार डिजाइन से जुड़े गंभीर पहलुओं पर प्रस्ताव पेपरों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है जिन्होंने वृहत स्तर पर विचार–विमर्श आरंभ किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के अस्थिर एवं अनिश्चित होने के कारण, ग्रिड में इसका प्रभावी एकीकरण विद्युत प्रणालियों के सुचारू प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण है, अतः प्रणाली में इसके एकीकरण के लिए तथा बाजार प्रचालन के लिए उचित रूपरेखा की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, आयोग ने वास्तविक समय के समीप बाजार प्रचालनों में सुधार, केवल अनिरंतर नवीकरणीय ऊर्जा को काम में लाने के लिए नहीं, बल्कि अंतः दिवस समय होरिजन में संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के संबंध में आगे की कार्रवाई हेतु आवश्यकता महसूस की। बोली लगाने पर भुगतान मॉडल पर आधारित निरंतर व्यापार (अंतः दिवस व्यापार) की वर्तमान प्रणाली अपर्याप्तताओं के कारण कमजोर है और यहां तक कि यूरोप में भी इसके डिजाइन पर पुनर्विचार हो रहा है। अतः भारत में अंतः दिवस बाजार भाग को सुधार के अगले चरण में निरंतर व्यापार से एकरूप मूल्य निर्धारण तंत्र पर आधारित नीलामी की ओर जाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने आईईजीसी, पावर बाजार विनियमों तथा निर्बाध पहुंच विनियमों के संशोधन प्रारूप के बाद प्रत्येक आधे घंटे में दो पंद्रह मिनटों के ब्लॉक में वितरण हेतु प्रत्येक आधे घंटे में एक बार वास्तविक समय बाजार के आयोजन का प्रस्ताव देते हुए एक प्रस्ताव पेपर प्रकाशित किया।

आयोग ने प्रस्ताव पेपर में प्रस्ताव पर पूर्ण विचार तथा उस पर प्राप्त हुई टिप्पणियों के बाद वास्तविक–समय बाजार के डिजाइन को निम्नानुसार प्रस्तावित किया:

- वास्तविक–समय बाजार आधे घंटे का बाजार होगा (प्रस्ताव पेपर में यथाप्रस्तावित एक घंटे के बाजार के विरुद्ध)
- कीमत निर्धारण तंत्र एकरूप कीमत के साथ दो तरफा बंद नीलामी होगा।
- आधे घंटे के बाजार के साथ तालमेल में समय के साथ गेट बंद करने की संकल्पना को आरंभ किया जाना प्रस्तावित है।
- क्रेताओं/विक्रेताओं को आधे घंटे के वास्तविक समय बाजार में प्रत्येक पंद्रह मिनट

के टाईम ब्लॉक के लिए खरीदने/बेचने की बोलियों का विकल्प होगा। दीर्घकालिक संविदा वाले तथा इस बाजार में सहभागिता करने वाले उत्पादकों से डिस्कॉम के साथ, जैसा कि टैरिफ नीति, 2016 में निर्धारित है, 50:50 के अनुपात में शुद्ध लाभ बांटना अपेक्षित होगा।

- वास्तविक समय बाजार वित्तीय तथा भौतिक रूप से बाध्यकारी होगा। यदि ईकाइयां वास्तविक समय बाजार के बाद प्रेषित अनुदेशों का पालन करने में विफल होती हैं, तो उन पर विचलन व्यवस्थापन तंत्र के अधीन प्रभार लगेगा।

इस प्रकार का तीव्र संव्यवहार/व्यवस्थापन स्वचलन की अपेक्षा करता है, तथा आयोग इस पर पहले से ही कार्यवाई आरंभ कर चुका है (राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री को कार्यान्वित करने के लिए विनियमों में संशोधन के माध्यम से)।

विचार–विमर्श पेपर में गेट के बंद होने की अवधारणा की शुरुआत का भी प्रस्ताव है जो कि ऐसा समय बिंदु है जिसके बाद अधिसूची के पुनरीक्षण की कोई अनुमति नहीं है। गेट के बंद होने के बाद, वितरण/व्यवस्थापन अवधि हेतु प्रक्रिया प्रचालन के लिए भौतिक सूचना और संविदा (अधिसूचनाएं) मात्राएं जैसे दूरंदेशी डाटा को बदला नहीं जा सकता तथा प्रक्रिया प्रचालक प्रक्रिया के संतुलन के लिए उत्तरदायित्व संभालता है।

सहायक सेवाएं पावर प्रक्रिया प्रचालन की एक अपरिहार्य भाग हैं जो कि विद्युत प्रक्रिया को सुधारने तथा उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। आयोग ने रिजर्व विनियम सहायक सेवाओं पर विनियम जारी किए हैं जो कि एक साल से अधिक समय से प्रचालन में हैं। रूपरेखा के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर आयोग ने "भारत में सहायक सेवा तंत्र के पुनर्डिजाइन" पर एक प्रस्ताव पेपर प्रकाशित किया, जिसमें तंत्र में डिजाइन परिवर्तनों का सुझाव देते हुए मौजूदा सहायक सेवा तंत्र में बाधाओं को दूर किया गया है।

प्राथमिक समर्थन प्रकृति में अनिवार्य है तथा सभी उत्पादकों से आवश्यकता पड़ने पर समर्थन प्रदान करने की क्षमता रखने की अपेक्षा है। इसलिए, भारत में उत्पादकों को उनकी स्थापित क्षमता के बाहर अनुसूचीकरण करने से रोका जाता है। द्वितीय नियंत्रण तथा तीव्र तृतीयक वर्तमान में व्यवस्थित तंत्र के अधीन हैं तथा आयोग ने इन खंडों के लिए पायलट अध्ययन का निर्देश दिया है। बाजार तंत्र के लिए पांच मिनट की मीटरिंग तथा अनुसूचीकरण इस तंत्र की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक अवस्था है। इस प्रकार, ये दोनों खंड अर्थात् द्वितीय नियंत्रण तथा तीव्र तृतीयक पायलट अध्ययन से अनुभव प्राप्त करने पर बाजार पद्धति के लिए खुले में होंगे और आयोग इन दोनों सहायक समर्थन सेवाओं के लिए बाजारों के प्रवेश हेतु भविष्य में एक तारीख अधिसूचित कर सकते हैं।

इस पेपर में, बाजार आधारित तंत्र तृतीयक सहायक सेवा खंड के लिए आरंभ किया गया है। इस खंड में धीमा चक्रण रिजर्व (जो कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र क्षेत्र, जो कि पहले से ही पावर प्रणाली के साथ समक्रमिक हैं तथा 15 मिनटों/30 मिनटों के अंदर उत्पादन स्तर परिवर्तित करने के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अनुदेशों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं, के अदंर स्थित योग्य उत्पादकों द्वारा प्रदान किया गया है) तथा धीमा गैर–समक्रमिक रिजर्व (जो कि उत्पादकों/भंडारण प्रणालियों से प्राप्त हैं जो कि

ग्रिड के साथ समक्रमिक नहीं हैं परंतु 15 मिनटों/30 मिनटों के अंदर प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र से प्राप्त अनुदेशों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं)।

रिजर्व आवश्यकताएं सीजन के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं (प्रत्येक माह और/अथवा पीक तथा पीक–ऑफ दशाओं के लिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों/पोसोको द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है (पारेषण संकुलन द्वारा पृथक किए गए)।

भारत में विद्युत बाजार एक लंबी अवधि परिधि में करार करते हुए अबाध क्रम में अनुसूचीकरण तथा डे–अहेड में प्रेषण तथा वास्तविक समय आधार पर कार्य करता है। बाजार का अनुभवों तथा पावर प्रणाली प्रचालन ने उत्पादन की अनुसूचीकरण और प्रेषण के और अधिकतम उपयोग के लिए संभवता को उभारा है।

तदनुसार, बाजार डिजाइन में सुधारों के अनुसार और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता महसूस हुई जो कि अनुसूचीकरण के बेहतर उपयोग तथा उत्पादन क्षमताओं के आर्थिक प्रेषण के लिए व्यवस्था करता है। इस पृष्ठभूमि में, बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण पर एक प्रस्ताव पेपर प्रस्तावित किया गया था जो कि डे–अहेड समय परिधि तथा अनुसूचीकरण पर विद्युत बाजार के कार्य पर विचार–विमर्श तथा तकनीकी बाध्यताओं के अधीन आर्थिक सिद्धांतों पर पूरी तरह से कुल उत्पादन का प्रेषण प्रदान करता है।

बाजार आधारित आर्थिक प्रेषण का उद्देश्य ग्रिड की सुरक्षा को बनाए रखने के साथ–साथ कम–लागत उत्पादन मिश्रण के प्रेषण द्वारा प्रणाली भार को प्राप्त करना है। यह सुनिश्चित करता है कि एक दिवस के लिए सभी समय–ब्लॉकों में प्रणाली भार प्राप्त करने के लिए उत्पादन की कुल लागत अर्थात् प्रणाली लागत कम से कम हो। भारत में वर्तमान बाजार रूपरेखा को देखते हुए प्रस्तावित बाजार डिजाइन, प्रणाली प्रचालक तथा बाजार प्रचालक को पृथक रूप से शामिल करते हुए यह ध्यान रखता है कि वर्तमान में ये दोनों संस्थाएं अपने संबंधित कार्य करते हैं। प्रणाली प्रचालन विद्युत के भौतिक व्यवस्थापन को संभालता है जबकि बाजार प्रचालनों में बोली अनुरोध तथा सभी वित्तीय व्यवस्थापन सम्मिलित हैं। बाजार प्लेटफॉर्म एक दिवस में प्रत्येक समय–ब्लॉक में बाजार क्लियरिंग कीमत का पता लगाता है जो कि प्रेषित विद्युत के सही मूल्य को दर्शाता है।

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केविविआ और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ विनियामक फोरम को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है। विनियामक फोरम ने वर्ष 2018–19 के दौरान चार बैठकें आयोजिक की जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया गया और सिफारिशें की गईं। इस वर्ष के दौरान, विनियामक फोरम ने "उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विद्युत गुणवत्ता", "भारतीय भार प्रेषण केन्द्रों की क्षमता निर्माण" तथा "उत्तर–पूर्वी क्षेत्र पर रिपोर्ट" से संबंधित अध्ययनों को पूरा किया।

भारतीय विनियामक फोरम वर्ष 1999 में निर्मित एक सोसायटी है जिसमें विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, एयरपोर्ट, बड़े पोर्ट इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विनियामकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह विनियामक पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं में उभर रहे

मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए सामान्य प्लेटफार्म उपलब्ध करवाता है ताकि भारत में विनियमों के समक्ष चुनौतियों की पूर्ति के लिए सामान्य रणनीतियां विकसित की जा सके और सूचना एवं अनुभवों का आदान–प्रदान किया जा सके। भारतीय विनियामक फोरम के सदस्यों में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विनियामक बोर्ड, एयरपोर्ट, इकनॉमिक विनियामक प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, बड़े पोर्टों के टैरिफ प्राधिकरण, भारतीय टेलिकॉम विनियामक प्राधिकरण तथा सभी राज्यों के विद्युत विनियामक शामिल हैं। भारतीय विनियामक फोरम को सचिवीय सेवा केविविआ द्वारा दी जाती है। वर्ष के दौरान, गवर्निंग बॉडी की एक बैठक, वार्षिक जनरल बॉडी की एक बैठक आयोजित की गई है।

साफिर दक्षिण एशियन देशों के अवसंरचनात्मक विनियामकों का एक फोरम है जो 1999 से अस्तित्व में आया। साफिर को सचिवालय के रूप में केविविआ ने अपने सदस्यों के लिए उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं जानकारी कार्यक्रम आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साफिर की 24वीं संचालन समिति की बैठक तथा 15वीं एवं 16वीं कार्यकारी समिति की बैठकें वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित की गईं।

5
विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

5. विनियामक क्रियाविधियां एवं प्रक्रिया

केंद्रीय आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अधीन अपने निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करता है:

1. विनियमों को अधिसूचित करता है
2. निम्नलिखित से संबंधित याचिकाओं पर आदेश जारी करता है:
   - ✦ टैरिफ का अवधारणा करने
   - ✦ अनुज्ञप्ति जारी करने
   - ✦ प्रकीर्ण मामले

क विनियमों के लिए क्रियाविधि

आयोग विनियम जारी करने से पूर्व विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करता है। प्रारंभ में, उन मुद्दों पर जिन पर विनियम बनाया जाना प्रस्तावित है, परामर्श पेपर तैयार किए जाते हैं। प्रायः परामर्श पेपर कर्मचारीवृंद स्तर पर तैयार किया जाता है और उसे स्टाफ पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद, परामर्श पेपर/स्टाफ पेपर का पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए इलैक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है। आक्षेप और सुझावों की प्राप्ति पर, मुद्दों पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श करने के लिए सार्वजनिक सुनवाई की जाती है।

प्राप्त आक्षेपों एवं सुझावों और सार्वजनिक सुनवाई में हुए विचार–विमर्श के आधार पर प्रारूप विनियम तैयार किए जाते हैं। अधिनियम की अपेक्षानुसार, प्रारूप विनियमों पर पूर्व प्रकाशन की कार्रवाई की जाती है। इससे यह लक्षित होता है कि प्रारूप विनियम पणधारियों से टीका टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए प्रकाशित किए गए हैं। आक्षेप और सुझाव प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही विनियमों को अंतिम रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित/अधिसूचित किया जाता है तथा कारणों के कथन को पृथक रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है।

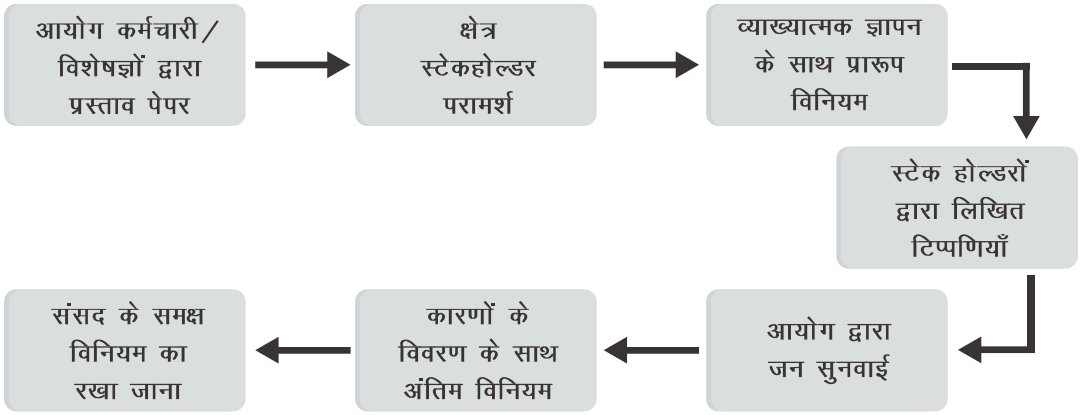

याचिकाओं से संबंधित आदेशों के लिए क्रियाविधि

आयोग के समक्ष याचिकाएं/आवेदन प्राथमिक रूप से निम्नलिखित के लिए किए जाते हैं :

1. उत्पादन और पारेषण के लिए टैरिफ का निर्धारण करने;
2. विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण और अंतर–राज्यिक व्यापार में अनुज्ञप्ति प्रदान करने।

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित याचिकाएं / आवेदन भी आयोग के समक्ष फाइल किए जाते हैं :

1. विविध याचिकाएं
2. पुनर्विलोकन याचिकाएं

आवेदक विहित फीस के साथ याचिकाएं दायर करते हैं और अपनी याचिकाओं के प्रति सभी संबंधितों को तामील करते हैं। आवेदकों से, टैरिफ तथा अनुज्ञप्ति के लिए अपने आवेदन को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने और जनता से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए समाचारपत्र से नोटिस देने की अपेक्षा भी की जाती है। तत्पश्चात, सार्वजनिक सुनवाई की जाती है जहां याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष अपने मामले का तर्क प्रस्तुत करते हैं। आयोग सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई करने के पश्चात् याचिका पर अंतिम आदेश पारित करता है। याचिकाकर्त्ता और प्रत्यर्थी को, आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन करने और विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष आयोग के आदेश के विरूद्ध अपील करने के लिए विधि के अधीन अनुमति है।

ख. टैरिफ अवधारण करने की प्रक्रिया और सिद्धान्त

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सृजन के पूर्व, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों, अर्थात एनटीपीसी, एनएचपीसी, एनएलसी और नीपको, का टैरिफ, परियोजना विशिष्ट अधिसूचनाओं के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा रहा था। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन जुलाई, 1998 से अस्तित्व में आया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग को, अन्य बातों के साथ–साथ, केंद्रीय उत्पादन कंपनियों के टैरिफ के निर्धारण का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य का निर्वहन करने के लिए, आयोग से टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने की अपेक्षा की गई थी। सभी पणधारियों की सुनवाई की पारदर्शी प्रक्रिया पूरा करने के पश्चात आयोग ने टैरिफ के निबंधनों एवं शर्तों को तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 2001–04 के लिए मार्च, 2001 में अंतिम रूप दिया तथा उन्हें अधिसूचित किया। विद्युत अधिनियम, 2003 (जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया) के अधिनियमन के पश्चात, आयोग ने 2004–09 की पांच वर्ष की अवधि तथा मार्च, 2009 में 2009–14 की पांच वर्ष की अवधि के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को अधिसूचित किया। उपर्युक्त अधिसूचनाओं में केन्द्र / स्टेशन / राज्य–वार उत्पादन टैरिफ तथा लाइन या प्रणाली–वार पारेषण टैरिफ को निर्धारण करने का उपबंध है। आयोग ने 21 फरवरी 2014 की अधिसूचना द्वारा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जारी किए जो 1.4.2014 से प्रभावी हैं।

टैरिफ समय–समय पर यथा लागू टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के अनुसार तय किया जाता है। निबंधन और शर्तों में वित्तीय मानदंड और तकनीकी मानदंड विहित हैं। टैरिफ को प्रायः लागत प्लस टैरिफ कहा जाता है क्योंकि परियोजना की पूंजी लागत टैरिफ संगणना के लिए आंरभिक बिन्दु होती है। इसे विनियमित टैरिफ कहना अधिक समुचित होगा क्योंकि वास्तविक पूंजी व्यय से भिन्न टैरिफ के लिए स्वीकार्य अधिकांश वित्तीय और तकनीकी पैरामीटर मानकीय होते हैं न कि वास्तविक। थर्मल केंद्रों के परिवर्तनीय प्रभार, मासिक भारित औसत कीमत और ईंधन के हीट मूल्य के अनुसार ईंधन कीमत के लिए संशोधित किए जाते हैं।

टैरिफ संगणना बहुत ही लम्बी होती है क्योंकि टैरिफ के लिए, लिए जाने वाले विभिन्न तत्वों को, पूर्ण टैरिफ में सम्मिलित करने के लिए व्यष्टिक रूप से संगणित किया जाता है। प्रत्येक उत्पादन केंद्र के लिए उसकी स्वीकृत पूंजी लागत, आधार ईंधन कीमत और सकल कैलोरीफिक मूल्य (जीसीवी) तथा दक्ष प्रचालन के लागू संनियमों पर निर्भर करते हुए, टैरिफ भिन्न–भिन्न होता है। प्रक्रिया में काफी समय लगता है किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ये केंद्र दक्ष और मितव्ययी रीति से कार्य करते हैं और क्रेता केंद्रों से उच्च कीमत प्राप्त करने के लिए अपनी प्रबल स्थिति का दुरुपयोग नहीं करते हैं।

6

वर्ष 2018–19 के दौरान गतिविधियां

6. 2018–19 के दौरान गतिविधियां

6.1 कानूनी कार्यवाहियां

वर्ष 2018–19 के दौरान 453 (9 याचिकाएं रिमांडिड बैक सहित) याचिकाएं रजिस्टर की गई। इसके अलावा 358 याचिकाएं पूर्ववर्ती वर्ष, 2017–18 से आगे ले जाई गई जिससे याचिकाओं की कुल संख्या 811 हो गई। इनमें से 340 याचिकाएं वर्ष 2018–19 के दौरान निपटा दी गई। निपटाई गई याचिकाओं की विस्तृत स्थिति के ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए हैं।

6.2 वर्ष 2018–19 में जारी किए गए विनियम / प्रमुख निर्णय

i. केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019

आयोग ने केविविआ 7 मार्च 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2019 जारी किया जो टैरिफ अवधि 2019–24 के लिए संगत है।

इन विनियमों में अधिसूचित महत्वपूर्ण उपबंधों में 15.50 प्रतिशत और 16.50 प्रतिशत (पंप स्टोरेज हाइड्रो के लिए) पर इक्विटी पर रिटर्न की रखी गई दर शामिल है। तथापि परियोजनाओं के समय से पूरा होने के लिए 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त रिटर्न समाप्त कर दी गई है। रैम्प दर प्राप्त करने के लिए क्षमता पर निर्भर करते हुए इसके अलावा इक्विटी पर रिटर्न में वृद्धि या कमी 01.4.2020 से आरंभ की गई है (अलग मार्गनिर्देश एनएलडीसी द्वारा जारी किए जाएंगे)।

कार्य पूंजी पर ब्याज की संगणना के लिए प्राप्य 60 दिनों से कम होकर 45 दिन हो गया। कोयला स्टॉक पीटहेड के लिए 15 से 10 दिन हो गया और गैर पिटहेड केन्द्रों के लिए 30 दिन से 20 दिन हो गया।

इसके अलावा कोयला आधारित उत्पादन केन्द्रों की ऊर्जा प्रभार दर की संगणना करते हुए स्टोरेज के दौरान भिन्नता के कारण "जैसा प्राप्त किया गया" जीसीवी पर 85 केसीएएल/किलोग्राम की अतिरिक्त भत्ते की अनुमति है।

विनियमों में मौजूदा उत्पादन केन्द्र या नए उत्पादन केन्द्र में संशोधित मानक के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण एवं अनुपूरक ऊर्जा प्रभार के लिए अनुपूरक क्षमता प्रभार हेतु व्यवस्था है। विशेष सिंगल पार्ट टैरिफ थर्मल उत्पादन केन्द्र के संबंध में वास्तविक प्रेषण पर आधार पर वसूल की जाएगी जिसे वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रचालन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं जहां उत्पादन कंपनी और हिताधिकारी किसी व्यवस्था पर सहमत हो सकते हैं।

उत्पादन केन्द्र जिन्होंने 5.1.2011 को या उससे पूर्व विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन 31.3.2019 तक वित्तीय क्लॉजर प्राप्त नहीं किया उनसे हिताधिकारियों से नई सहमति प्राप्त करनी अपेक्षित है।

इन विनियमों में शेष 9 महीने के कम मांग सीजन (अग्रिम में कम से 6 माह में संबंधित आरएलडीसी द्वारा घोषित किए जाने वाले) और 3 माह के उच्च मांग सीजन (सतत या अन्यथा) सहित क्षमता प्रभारों की वसूली के लिए पीक घण्टे और आफ पीक घण्टे के दौरान विभेदक दर (1.4.2020 से प्रभावी) आरंभ की। क्षमता प्रभारों के माध्यम से थर्मल उत्पादन केन्द्रों की एएफसी वसूली विभेदक दरों सहित पीक घण्टे और आफ पीक घटे में अलग की गई। पीक घण्टे दर आफ पीक घण्टे दर के 1.25 बार रखी गई। एएफसी पर कैप की गई कुल वसूली के साथ दैनिक पीक घण्टे (4 घण्टे) और आफ पीक घण्टे (20 घण्टे) अग्रिम रूप से कम से कम एक सप्ताह में संबंधित आरएलडीसी द्वारा घोषित किया जाएगा।

विनियमों में पीक घण्टों के दौरान एक्स बस अनुसूचित ऊर्जा के लिए 65 पैसे/किलोवाट घण्टे की दर और आफ पीक घण्टों के दौरान एक्स बस

अनुसूचित ऊर्जा के लिए 50 पैसे/किलोवाट घण्टा पर विनिर्दिष्ट मानकीय संयंत्र भार घटक से अधिक के लिए प्रोत्साहन की व्यवस्था है। इसके अलावा हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के मामले में द्वितीयक ऊर्जा भार दर 90 पैसे प्रति किलोवाट घण्टे से 120 पैसे प्रति किलोवाट घण्टे हो गई।

ii. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता द्वारा किफायती एवं कुशल अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में योजना समन्वय एवं विकास और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2018

केविविआ (भारतीय ग्रिड कोड) विनियम 2010 में पार्ट 3 के अधीन अंतरराज्यिक पारेषण के लिए योजना कोड की व्यवस्था है जिसमें अंतरराज्यिक पारेषण प्रणालियों से संबंधित योजना के विविध पहलुओं को कवर किया गया है। योजना कोड में राष्ट्रीय ग्रिड, प्रादेशिक ग्रिड और अंतर प्रादेशिक लिंक की योजना में प्रयुक्त की जाने वाली क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली तथा संबद्ध अंतःराज्यिक पारेषण प्रणालियों के बेहतर विकास के लिए नियोजन हेतु पारदर्शी, समन्वित परामर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता के संदर्भ में आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता द्वारा किफायती एवं कुशल अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में योजना समन्वय एवं विकास और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य स्टेकहोल्डरों से साथ परामर्श सहित और व्यापक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संबद्ध अंतःराज्यिक प्रणालियों और कुशल विश्वसनीय एवं मितव्ययी अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना के लिए सीटीयू को सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है और इसे विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसार विकसित किया जाए और अधिनियम के अधीन तैयार नीतियों के अनुसार विकसित किया जाए।

विनियमों के उद्देश्यों में भार केन्द्रों के उत्पादन केन्द्रों से विद्युत के सुचारू प्रवाह के लिए आईएसओएस के कुशल, समन्वित, विभवसनीय और किफायती प्रणाली की योजना और विकास के लिए अपनाई जाने वाले सिद्धांतों, क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं, योजना प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए प्रक्रियाओं को विनिर्दिष्ट करना, स्टेकहोल्डरों से परामर्श और सहभागिता के लिए क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट करना और योजना प्रक्रिया में स्टेकहोल्डरों की सहभागिता सुनिश्चित करना, अधिनियम के अनुसार विभिन्न संस्थाओं की भूमिका और उत्तरदायित्व इत्यादि को पता लगाना शामिल है।

iii. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) में पांचवा संशोधन राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री के कार्यान्वयन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क के सृजन के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया।

यह विचार किया गया कि राष्ट्रीय निर्बाध पहुंच रजिस्ट्री केन्द्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म गठित करेगी जिसके माध्यम से अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच प्रशासिक होगी। अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच से संबंधित सभी आवेदन और अनुमोदन एनओएआर के माध्यम से किए जाएंगे। एनओएआर में संगत सूचना अर्थात एसएलडीसी/आरएलडीसी द्वारा प्रदान की गई स्थायी क्लियरेंस, पारेषण कॉरिडोर की उपलब्धता, ग्राहकों को प्रदान की गई अल्पकालिक निर्बाध पहुंच और आवेदन स्थिति इत्यादि शामिल होगी जो संबंधित स्टेकहोल्डरों द्वारा ऑनलाइन स्वतः अद्यतन होगी। एनओएआर स्थायी क्लियरेंस के सत्यापन और डेअहेड एवं टर्न अहेड संव्यहवरों से प्रोसेसिंग के लिए पावर एक्सचेंजों से

इंटरफेस होगी।

इसके अलावा यह विचार किया गया है कि एनओएआर अल्पकालिक संव्यवहारों से संबंधित सभी भुगतानों के लिए भुगतान गेटवे उपलब्ध करवाते हुए वित्तीय संव्यवहारों को सरल बनाएगा। एनओएआर आवेदन और डेश बोर्ड सुविधा की लेखा परीक्षा उपलबध करवाएगा जिसमें बाजार डिजाइन मूल्यांकन उद्देश्यों और बाजार मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक सूचना का सार बनाया जाएगा। यह सभी विशेषताएं देश के अंतरराज्यिक प्रणाली पारेषण प्रणाली के अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के प्रशासन में कुशल एवं पारदर्शिता में पर्याप्त सुधार के लिए प्रत्याशित हैं।

iv. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018

2014 में अधिसूचित डीएसएम विनियमों में डीएसएम कीमत वेक्टर के पुनरीक्षण की व्यवस्था है। 2014 से विद्युत क्षेत्र में कई उपलब्धियां हुई हैं। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने उभरती बाजार वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए फ्रिक्वेंसी सहित उनकी लिंकेज को शामिल करते हुए डीएसएम के सिद्धांतों की समीक्षा के लिए और ग्रिड के रक्षित और विभवसनीय प्रचालन की समीक्षा के लिए फ्रिक्वेंसी के मौजूदा प्रचालन बैण्ड की समीक्षा की आवश्यकता पर विचार किया।

तदनुसार आयोग ने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया।

विनियमों के संशोधन में डीएसएम कीमत वेक्टर के लिए संदर्भ फ्रिक्वेंसी बैण्ड (अर्थात 49.85 हर्टज से 50.05 हर्टज तक) के पुनरीक्षण के अलावा पावर एक्सचेंज के डेअहेड मार्केट क्षेत्र में पता लगाई गई दैनिक औसत एरिया क्लियरिंग कीमत में लिंकिंग द्वारा डीएसम वेक्टर (50 हर्टज की कीमत पर) के पुनरीक्षण की व्यवस्था है। संशोधन में 8 रुपये प्रति यूनिट तक की जाने वाली 50.00 हर्टज पर पावर एक्सचेंज के डीएएम क्षेत्र में पता लगाई गई औसत दैनिक एसीपी के लिए अधिकतम सीमा की व्यवस्था है और विनियमित एवं गैर विनियमित इकाइयों की अलग से कैप दरों की संबद्धता भी है। ग्रिड अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण उपाय के लिए परिवर्तित मानदण्ड के लिए गैर अनुपालन के मामले में वित्तीय दण्ड की उगाही के लिए प्रावधान (एक दिशा में सतत विचलन) आरंभ किया गया।

v. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों की हानियों और शेयरिंग) (छठा संशोधन) विनियम, 2019

विद्युत मंत्रालय के आदेश सं. 23/12/2016 – आरएण्डआर 30 सितंबर, 2016 और 14 जून, 2017 के आदेश सं. 23/12/2016–आरएण्डआर के अधिक्रमण में, विद्युत मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि सौर एवं पवन संसाधनों पर आधारित उत्पादन के लिए कोई अंतरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियां अन्य संबद्ध शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन 31.03.2022 तक आरंभ की गई इस प्रकार की योजना द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए अंतरराज्यिक पारेषण प्रणली के माध्यम से विद्युत के पारेषण पर उदगृहीत की जाएगी। आयोग ने उक्त पर विचार किया और केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों की हानियों और शेयरिंग) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया जिसमें व्यवस्था है कि आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए कोई पारेषण प्रभार और हानियां इस प्रकार की उत्पादन परियोजनाओं की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन के लिए प्रतिदेय होंगी। यदि इस प्रकार उत्पादन क्षमता केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अवार्ड की गई हैं; इस प्रकार की उत्पादन क्षमता 13.02.2018 से 31.03.2022 के बीच वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की गई है; विद्युत क्रय करार (करारों) को उनके नवीकरणीय

क्रय बाध्यताओं के अनुपालन के लिए वितरण कंपनियों सहित सभी इकाइयों को इस प्रकार की उत्पादन क्षमता की बिक्री के लिए निष्पादित किए गए हैं।

vi. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बार्डर व्यापार) विनियम, 2019

विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत उपबंधों के अनुसार तथा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत के आयात और निर्यात पर मार्गनिर्देशों पर आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत का क्रॉस बार्डर व्यापार) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया जो भारत तथा पड़ोसी देशों में सहभागी इकाइयों के लिए लागू हैं जो भारत में विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार में लगे हुए हैं। तथापि भारत में स्थित इकाइयां जो भारत तथा किसी पड़ोसी देश के बीच विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार के भारतीय ग्रिड के लिए संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच की मांग कर रहे हैं, संयोजकता विनियमों एवं एसटीओए विनियमों द्वारा अधिशासित जारी रहेंगे।

इन विनियमों में यह व्यवस्था है कि भारत तथा पड़ोसी देश (देशों) के बीच विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार की व्यवस्था है। इकाइयों के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम; से या बोली रूट के माध्यम; दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय करारों सहित; संबंधित देश (देशों) में प्रचलित विधियों के उपबंधों के अनुरूप भारत तथा पड़ोसी देश (देशों) के बीच हस्ताक्षरित करारों के समूचे फ्रेमवर्क के अधीन पड़ोसी देश (देशों) के इकाई (इकाइयों) तथा भारतीय इकाई (इकाइयों) के बीच पारस्परिक करारों के माध्यम से अनुमति होगी। तथापि त्रिपक्षीय करारों के माध्यम से भारत में विद्युत के क्रास बार्डर व्यापार तथा सहभागी इकाइयों के संबंधित पड़ोसी देशों की सरकारों तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करारों के समूचे फ्रेमवर्क के अधीन अनुमति होगी।

vii. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अधिसूचना सं. 238/78/2017–पवन दिनांक 14 मई, 2018 के माध्मय से ''राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति'' जारी किया जिसका उद्देश्य पारेषण अवसंरचना की अधिकतम एवं कुशल उपयोग के लिए बड़े ग्रिड संबद्ध पवन सौर पीवी हाइब्रिड प्रणाली के उन्नयन के लिए फ्रेमवर्क की व्यवस्था है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भिन्नता को कम करना और बेहतर ग्रिड स्थिरता प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस नीति का उद्देश्य नई तकनीक, नई पद्धतियों तथा भवन एवं सौर पीवी संयंत्रों के संयुक्त प्रचालन को शामिल करते हुए प्रोत्साहित करना है। उक्त नीति पर विचार करने के बाद आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया।

इन विनियमों को नवीकरणीय ऊर्जा केन्द्र (केन्द्रों) की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा पदनामित इकाई, नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता के रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत नवीकरणीय पावर पार्क, नवीकरणीय हाइब्रिड उत्पादन सहित या स्टोरेज के बिना जैसी नवीकरणीय परियोजनाओं की नई श्रेणी को आरंभ किया और स्टैण्ड अलोन स्टोरेज परियोजना आईएसटीएस को एलटीए एवं इस प्रकार की संयोजकता की मांग के लिए पात्र बनाई गई है। संयोजकता प्रदान करने के लिए आवेदनों को समय समय से जारी विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार दो चरणों में (चरण 1 संयोजकता और चरण 2 संयोजकता) में प्रोसेस किया जाएगा।

6.3 विद्युत बाजारः व्यापार, पावर एक्सचेंज

और निर्बाध पहुंच

6.3.1 अन्तरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति

आयोग ने विद्युत व्यापार गतिविधियों के विनियमन के लिए फरवरी, 2009 में केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने की क्रियाविधि, निबंधन एवं शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2009 को अधिसूचित किया। 31.03.2019 को आयोग ने विद्युत में अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए 82 आवेदकों को व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान की। इसमें 45 व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों ने अपने अनुज्ञप्तियों को अभ्यर्पित किया/बहाल किया। शेष 37 अनुज्ञप्तिधारियों में 25 अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान व्यापार किया।

आयोग ने 11.01.2010 की अधिसूचना के माध्यम से केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 जारी किया। इन विनियमों के अनुसार विद्युत के अन्तरराज्यिक व्यापार के लिए उन अनुज्ञप्तिधारियों को 7 पैसे/किलोवाट घण्टे से अधिक व्यापार मार्जिन को प्रभारित करने की अनुमति नहीं है यदि विद्युत की विक्रय कीमत 3 रुपये/किलोवाट घण्टे से अधिक है और 4 पैसे/किलोवाट घण्टे जहां बिक्री कीमत 3रुपये/किलोवाट घण्टे से कम या बराबर है। इस मार्जिन में अनुसूचित विद्युत, निर्बाध पहुंच और पारेषण हानियों के लिए प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभार शामिल है। व्यापार मार्जिन विद्युत की अनुसूचित मात्रा पर प्रभारित किया जाता है।

6.3.2 पावर एक्सचेंज

दो पावर एक्सचेंज अर्थात भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज लि (आईईएक्स) नई दिल्ली, और मैसर्स पावर एक्सचेंज इंडिया लि. (पीएक्सआईएल) मुबंई भारत में प्रचालन में है। आईईएक्स और पीएक्सआईएल में क्रमशः 27 जून 2008 और 22 अक्टूबर 2008 से प्रचालनों को आरंभ किया।

जनवरी 2010 में आयोग ने विद्युत बाजार के विनिमयों और विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम 2010 जारी किया। इस विनियम का उद्देश्य व्यापक बाजार ढांचे के सृजन मे मदद करना था और विद्युत बाजार में सभी प्रकार के संभव उत्पादों के संव्यवहार, कार्यनिष्पादन और उसका कान्ट्रेक्ट करना था। इसके बाद पावर एक्सचेंज की पारदर्शी निगमित सुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) प्रथम संशोधन, विनियम 2014 के माध्यम से पावर एक्सचेंज के बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हकताओं और अनर्हकताओं की व्यवस्था की।

आयोग ने ''पावर एक्सचेंज पर विस्तारित बाजार सत्र'' और याचिका संख्या 006/एसएम/2015 के मामले में 8 अप्रैल, 2015 के माध्यम से इस आदेश को जारी करने की तारीख से 3 महीने के अंदर 24X7 अंतःदिवस/आकस्मिक बाजार (विस्तारित बाजार सत्र) के प्रचालन के लिए पावर एक्सचेंजों को निर्देश दिया। आयोग का आदेश दोनों पावर एक्सचेंजों द्वारा कार्यान्वित किया गया और विस्तारित बाजार सत्र 20 जुलाई 2015 से प्रचालनीय किया गया।

6.3.3 बाजार निगरानी प्रकोष्ठ

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का एक बाजार निगरानी प्रकोष्ठ ''विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहारों पर मासिक रिपोर्ट'' प्रकाशित करता है जो अगस्त 2008 से नियमित रूप से केविविआ की वेबसाइट पर पोस्ट किया जा रहा है।

विद्युत का अल्पकालिक संव्यवहार व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों (द्विपक्षीय संव्यवहार) पावर एक्सचेंजों और विचलन व्यवस्थापन तंत्र (पूर्व अननुसूचित अंतःपरिवर्तन) के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत का उल्लेख करता है। (i) रिपोर्ट का उद्देश्य है कि विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा और मूल्य में प्रवृत्तियों पर ध्यान देना। (ii) बाजार के व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना (iii)

स्टेकहोल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना। (iv) व्यापारियों द्वारा निष्पादित द्विपक्षीय कांट्रेक्टो को विभलेषित करना। (v) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की मात्रा और कीमत को विश्लेषित करना और (vi) स्टेकहोल्डरों को संगत बाजार सूचना प्रसारित करना।

बाजार मॉनिटरिंग कक्ष अल्पकालिक विद्युत संव्यवहारों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अल्पकालिक संव्यवहारों की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं–

विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की मात्रा (बिलियन यूनिट)				
वर्ष	व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	पावर एक्सचेंजों (आई ईएक्स और पीएक्स आईएल) के माध्यम से विद्युत संव्यवहार	डीएसएम की मात्रा	डिस्काम के बीच प्रत्यक्षतः संव्यवहारित विद्युत
2009-10	26.72	7.19	25.81	6.19
2010-11	27.70	15.52	28.08	10.25
2011-12	35.84	15.54	27.76	15.37
2012-13	36.12	23.54	24.76	14.52
2013-14	35.11	30.67	21.47	17.38
2014-15	34.56	29.40	19.45	15.58
2015-16	35.43	35.01	20.75	24.04
2016-17	33.51	41.12	23.22	21.38
2017-18	38.94	47.70	24.21	16.77
2018-19	47.32	53.52	25.13	19.23

कुल विद्युत उत्पादन के संबंध में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा			
वर्ष	विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन (बिलियन यूनिट)	कुल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कुल मात्रा
2009-10	65.90	768.43	9%
2010-11	81.56	811.14	10%
2011-12	94.51	876.89	11%
2012-13	98.94	912.06	11%
2013-14	104.64	967.15	11%
2014-15	98.99	1048.67	9%
2015-16	115.23	1107.82	10%
2016-17	119.23	1157.94	10%
2017-18	127.62	1202.97	11%
2018-19	145.20	1245.32	12%

व्यापारियों और पावर एक्सचेंजों द्वारा विद्युत के अल्पकालिक संव्यवहार की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)			
वर्ष	व्यापार के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (₹/किलोवाट घंटा)	पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत (डीएएम+टीएएम) (₹/किलोवाट घंटा)	डीएसएम के माध्यम से संव्यवहारित विद्युत की कीमत
2009-10	5.26	4.96	4.62
2010-11	4.79	3.47	3.91
2011-12	4.18	3.57	4.09
2012-13	4.33	3.67	3.86
2013-14	4.29	2.90	2.05
2014-15	4.28	3.50	2.26
2015-16	4.11	2.72	1.93
2016-17	3.53	2.50	1.76
2017-18	3.59	3.45	2.03
2018-19	4.28	4.26	2.68

6.3.4. बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजनार्थ अभिवृद्धि कारकों तथा अन्य मानकों की अधिसूचना

वर्ष 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की अवाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के अवधारण के लिए मार्ग निर्देश" के अनुसार आयोग से बोली मूल्यांकन और भुगतान के प्रयोजन के लिए प्रत्येक 6 माह में विभिन्न घटकों और अन्य मानकों की अधिसूचना अपेक्षित है। तदनुसार आयोग ने 22.06.2018 और 15.10.2018 की अधिसूचना के माध्यम से उत्पादन परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य मानकों को अधिसूचित किया और 06.04.2018 और 09.10.2018 की अधिसूचना के माध्यम से पारेषण परियोजनाओं के लिए वृद्धि घटकों और अन्य पैरामीटरों को अधिसूचित किया।

6.4 थर्मल उत्पादन

केन्द्रीय आयोग केन्द्रीय क्षेत्र की थर्मल पावर उत्पादन कंपनियों अर्थात एनटीपीसी लि., उत्तर–पूर्वी विद्युत पावर कार्पोरेशन लि. (नीपको), नेवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन (एनएलसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), संयुक्त उद्यम कंपनियों जैसे कंपनियों के टैरिफ को नियमित करता है जिसमें सीपीएसयू और आईपीपी शामिल है जिन्होंने आरंभ की गई प्रतिस्पर्धा टैरिफ आधारित बोली की निर्धारित अवधि से पूर्व दीर्घकालीन हिताधिकारियों के साथ पीपीए हस्ताक्षरित किया।

31.03.2019 को एनटीपीसी लिमिटेड के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता **50888.31** मेगावाट है जिसमें कोयले पर **39980** मेगावाट (पिट एवं गैर पिटहेड) और कोयले और गैस दोनों एवं प्राकृतिक गैस/तरल ईंधन पर आधारित **4017.23** मेगावाट सहित एनटीपीसी संयुक्त उद्यम/अनुषंगी पर 6891.08 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एनटीपीसी ने 250 मेगावाट आईसी के बोंगईगांव एसटीपीएस के यूनिट–3 के आंरभ से, 660 मेगावाट आईसी सोलापुर एसटीपीएस का यूनिट–2 और 2x110 मेगावाट आईसीटी के बरौनी टीपीएस के अधिग्रहण की कुल 1130 मेगावाट क्षमता को जोड़ा। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एनटीपीसी ने 705 मेगावाट आईसी के बदरपुर टीपीएस को समाप्त किया। अप्रवर्तित 31.03.2019 को कुल 38 कोयला आधारित थर्मल स्टेशन (पिट एवं गैर पिट शीर्ष), 07 गैस आधारित स्टेशन है। एनटीपीसी के कुल 09 संयुक्त उद्यम हैं जिनकी 6891.08 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता है। 31.3.2019 को संस्थापित क्षमता तथा एनटीपीसी के प्रत्येक उत्पादनकारी

स्टेशन/यूनिट की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध II में दी गई है।

निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन

31.3.2019 को निवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों के कुल संस्थापित क्षमता 3140 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, टीपीएस स्टेज–1 की 100 मेगावाट क्षमता का यूनिट–7 दिनांक 22.09.2018 को समाप्त हो गया। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कोई नई क्षमता वृद्धि नहीं हुई। एनएलसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र का वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और संस्थापित क्षमता अनुबंध-III में दी गई है।

दामोदर वेली कार्पोरेशन

31.3.2019 को डीवीसी के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित क्षमता 7090 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, डीवीसी की कोई नई क्षमता वृद्धि नहीं हुई। 31.3.2019 को संस्थापित क्षमता तथा डीवीसी के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-IV में दी गई है।

2014–19 अवधि के लिए टैरिफ

आयोग ने डीवीसी के निम्नलिखित 1(एक) केन्द्र के लिए 2014–19 के लिए टैरिफ, अर्थात बोकारो–ए थर्मल पावर स्टेशन यूनिट (500 मेगावाट) अनुमोदित किया।

उत्तर पूर्वी विद्युत पावर कार्पोरेशन (नीपको)

31.3.2019 को नीपको लि. के उत्पादन केन्द्रों की कुल संस्थापित संस्था गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों का 527 मेगावाट है। प्रत्येक उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और संस्थापित क्षमता अनुबंध-V में दी गई है।

विविध

थर्मल पावर स्टेशनों के लिए 31.3.2019 को ऊर्जा प्रभारों जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैसे एनटीपीसी, डीवीसी, नीपको, ओटीपीसीएल और एनएलसीआईएल से संबंधित है वह अनुबंध-VI में

संलग्न है।

अवधि 2014–19 के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के थर्मल केन्द्रों के लिए टैरिफ

आयोग ने दिनांक 29.06.2018 (सं.61/जीटी/2016) के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए टैरिफ का ट्रूइंगअप और 01.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए जीएमआर कमलंगा एनर्जी लि. के कमलंगा थर्मल पावर प्लांट (1050 मेगावाट) के टैरिफ को अनुमोदित किया।

आयोग के आदेशों के पुनरीक्षण याचिकाएं:

- याचिका संख्या 89/एमपी/2016 में 2.11.2017 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण जिसमें प्रगति–3 समन्वित साइकल विद्युत परियोजना द्वारा उपलब्धता की घोषणा के संबंध में पीपीसीएल के साथ बीआरपीएल एवं बीवाईपीएल के बीच विवादों के अधिनिर्णय की मांग की गई।
- यूनिट 1 और 2 के वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा की तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए कोयला आधरित एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (टीपीएस 1000 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में मामले में याचिका सं. 135/जीटी/2015 में 11.7.2017 के आदेश का पुनरीक्षण।
- वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बैड कम्पलशन तकनीक आधारित एनएलसी थर्मल पावर स्टेशन 2 विस्तार यूनिट I – II (2 x 250 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में मामले में याचिका सं. 146/जीटी/2015 में माननीय आयोग द्वारा पारित 24.7.2017 के आदेश का पुनरीक्षण।
- 2014–19 की अवधि के लिए एनएलसी लि. के सीएफडीसी तकनीक आधारित बरसिंगसर थर्मल पावर प्लांट (2x125 MW) के टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका सं. 255/जीटी/2014 में 3.5.2017 के आयोग के आदेश का पुनरीक्षण।

थर्मल उत्पादन में आयोग द्वारा अन्य विषय (विविध याचिकाएं):

- कर्नाटक लि. की पावर कंपनी द्वारा आरंभ की गई टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अनुसार विद्युत की प्राप्ति से संबंधित कर्नाटक लि. की पावर कंपनी और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. के बीच विवाद के अधिनिर्णय के बीच विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) के साथ पठित 79 (1)(एफ) के अधीन याचिका (229/एमपी/2017)
- कोयले की गैर उपलबधता के कारण अरावली पावर कंपनी प्रा. लि. के इन्दिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (3×500 MW) के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता घटक की छूट के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) (संशोधन) विनियम, 1999 के विनियम 111 और केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 36(क) और 54 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 और 64 के साथ पठित धारा 79 (1)(क) के अधीन याचिका (89/एमपी/2018)
- बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन को प्रभावित करने वाली विधि में परिवर्तन के कारण राहत के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(क) के अधीन याचिका (2016 के आईए संख्या 6 सहित 33/एमपी/2016)
- ग्रिडकोड के उपबंध 6.3क के संबंध में केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम,

1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 (यथासंशोधित) के भाग 7 विनियम 4 के अधीन याचिका (66/एमपी/2017)

- याचिका (66/एमपी/2016) जिसमें बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज–2 यूनिट (2×210 MW) के लिए वार्षिक नियत प्रभारों के लिए अवधारण/स्टेज –1 यूनिट (3×95 MW) के गैर प्रवर्तन और/या समाप्ति की मांग की गई।
- "विधि में परिवर्तन" के रूप में 25.1.2016 की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के तदंतर फ्लाईएश परिवहन लागत की शेयरिंग के कारण उपगत अतिरिक्त व्यय की वसूली के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 8(3)(ii) और 8(3) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(क) और 79(1)(क) के अधीन याचिका (172/एमपी/2016)
- रेलवे वेगन टॉप से लिए गए नमूने से कोयले के जीसीवी के परिमापन पर परिणामी आदेश के लिए और कठिनाइयों के निराकरण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 और 115 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका (244/एमपी/2016)
- थर्मल पावर स्टेशनों के लिए संशोधित पर्यावरण माददण्डों के अनुपालन के लिए पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु तथा परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.12.2015 के अनुपालन के लिए विस्तृत रूप में विभिन्न नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना पर व्यय के अनुमोदन के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 8(3)(ii) और विनियम 14(3)(ii) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका (98/एमपी/2017)
- बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज–2 को प्रभावित करने वाले विधि में परिवर्तन के कारण राहत के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) और धारा 79(1)(एफ)के अधीन याचिका (14/एमपी/2017)
- केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के विनियम 30 और विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क), 79(1)(ख), 79(1)(एफ) के अधीन याचिका (93/एमपी/2017) जिसमें उत्पादन केन्द्रों के मासिक ऊर्जा बिलों में मेथान पावर लि. और एनटीपीसी द्वारा दावा किया गया "अन्य प्रभारों" के भुगतान पर स्पष्टीकरण की मांग की गई और टैरिफ आदेशों में आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक नियत लागत टैरिफ अवधि 2014–19 के लिए उच्चतर "वार्षिक नियत लागत" के दावे की मांग की गई।
- केविविआ (कारोबार का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2013 के विनियम 103(1) के संबंधित उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(एफ) के अधीन याचिका याचिका (225/एमपी/2017) जिसमें असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र के संबंध में केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 54 (छूट की शक्ति) के उपबंधों के अधीन ईंधन गैस के अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता प्रभार की हानि के लिए क्षतिपूति की मांग की गई।
- याचिका (54/एमपी/2018) जिसमें बिलों

के तदंतर अल्प प्रवेश और नवंबर 11 से दिसंबर 2017 तक राजस्थान में बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से एबीटी के गैरअनुपालन के जारी करने पर एनएलसी और राजस्थान डिस्कॉम के बीच विवाद के अधिनिर्णय की मांग की गई।

- केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (चौथा संशोधन) विनिमय 2016 के अनुसार आयोग द्वारा अधिसूचित 5.5.2017 के यूनिट के मल्टीपल स्टार्ट/स्टॉप एवं आंशिक भारत प्रचालन के कारण अनुषंगी ऊर्जा उपभोग एवं द्वितीय ईंधन उपभोग, हीट दर के अवनयन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु तंत्र और रिजर्व शटडाउन के अधीन यूनिट (यूनिटों) के लिए विस्तृत प्रचालन प्रक्रिया के कार्यान्वयन में सामना की गई कठिनाइयों के संबंध में केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनिमय 2010 के भाग 7 खण्ड 4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका (267/एमपी/2017)

- याचिका (31/एमपी/2018) जिसमें 1.1.2012 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों के हिताधिकारियों से वसूली की अनुमति के लिए और एनएलसीआईएल बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन (2X125 मेगावाट) और एनएलसीआई टीपीएस–1 विस्तार (2X210 मेगावाट), एनआईसीएएल, टीपीएस–2 सेज–2 (4X210 मेगावाट) एनएलसीआईएल टीपीएस 2 स्टेज 2 (3X210 मेगावाट) एनएलसीआईएल पावर स्टेशन अर्थात एनएलसीआईएल टीपीएस 1 (600 मेगावाट) जैसे एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों में तैनात कर्मचारियों (गैर कार्यकारी एवं वर्कमैन) को 1.1.2012 से वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य वेतन वृद्धि के कारण एनएलसीआईएल थर्मल पावर स्टेशन द्वारा उपगत प्रचालन एवं रखरखाव खर्चों में वृद्धि की मांग की गई।

- याचिका (32/एमपी/2018) जिसमें एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों अर्थात 1.1.2012 से 31.3.2014 तक की अवधि के लिए हिताधिकारियों से वसूली की अनुमति के लिए और एनएलसीआईएल बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन (2X125 मेगावाट) और एनएलसीआई टीपीएस–1 विस्तार (2 X 210 मेगावाट), एनआईसीएएल, टीपीएस–2 स्टेज–2(4X210 मेगावाट) एनएलसीआईएल टीपीएस 2 स्टेज 2 (3X210 मेगावाट) एनएलसीआईएल पावर स्टेशन अर्थात एनएलसीआईएल टीपीएस 1 (600 मेगावाट) जैसे एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों में संबद्ध खनन में तैनात कर्मचारियों (गैर कार्यकारी एवं वर्कमैन) को 1.1.2012 से वेतन पुनरीक्षण एवं अन्य वेतन वृद्धि के कारण एनएलसीआईएल के खनन द्वारा उपगत प्रचालन एवं रखरखाव खर्चों में वृद्धि की मांग की गई।
- प्रचालन अवधि के दौरान लागत और राजस्व को प्रभावित करते हुए विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्तकर्ताओं एवं सासन पावर लि. के बीच नि पादित 7.8.2007 के विद्युत क्रय करार अनुच्छेद के 13.2(ख) और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति को अधिशासित करने वाले सांविधिक फ्रेमवर्क के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका (133/एमपी/2016)
- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 और प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देशों के खण्ड 4.7 के साथ पठित 22.4.2007 के विद्युत क्रय करार अनुच्छेद 13 के अधीन याचिका (77/एमपी/2016)
- प्रचालन अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि./दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. के साथ अदानी पावर लि. द्वारा नि पादित 7.8.2008 के विद्युत क्रय करार और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. के साथ अदानी पावर लि. द्वारा नि पादित 2.2.2007 और 6.2.2007 के विद्युत क्रय करारों के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका (235/एमपी/2015)
- याचिकाकर्ता सं. 1 और प्रतिवादी के बीच नि पादित 22.12.2015 के एनआईटी के शर्तों के साथ पठित 18.1.2016 के एलओए के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटना के कारण क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी) एवं 79(1)(एफ) के अधीन (158/एमपी/2017)
- प्रचालन अवधि के दौरान केएसके महानदी पावर कंपनी लि. और टेनगेटको के बीच 27.11.2013 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार परिवर्ती राहत और विधि में परिवर्तन से उदभूत क्षतिपूर्ति के लिए दावों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी) और 79(1)(एफ) के अधीन याचिका (179/एमपी/2016)
- प्रचालन अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और केएसके महानदी पावर कंपनी लि. के बीच 26.02.2014 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार परिवर्ती राहत और विधि में परिवर्तन से उदभूत क्षतिपूर्ति के लिए दावों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(बी) और 79(1)(एफ) के अधीन याचिका (171/एमपी/2016)
- याचिकाकर्ता द्वारा उपगत वास्तविक ईंधन लागत पर आधारित पासथ्रू के रूप में ऊर्जा प्रभार के लिए निर्देशों हेतु 5.1.2011 के विद्युत आपूर्ति करार के उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79

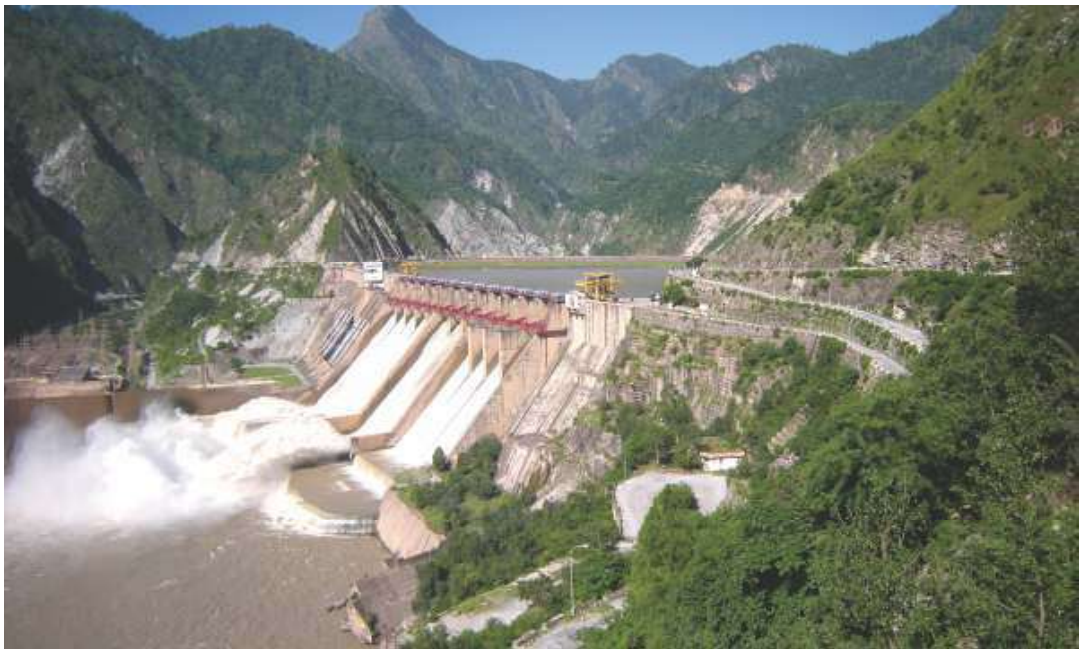

के लिए याचिका (305 / एमपी / 2015)

- प्रचालन अवधि के दौरान केएसके महानदी पावर कंपनी लि. और टेनगेटको के बीच 27.11.2013 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार परिवर्ती राहत और विधि में परिवर्तन से उदभूत क्षतिपूर्ति के लिए दावों के अधिनिर्णय के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) और 79(1)(एफ) के अधीन याचिका (170 / एमपी / 2016)
- याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच नि पादित 26.02.2007 (पीपीए) अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित घटना के कारण क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(बी) एवं 79(1)(एफ) के अधीन याचिका (239 / एमपी / 2017)

6.5 हाइड्रो उत्पादन

वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग ने सीपीएसयू द्वारा अर्थात एनएचपीसी, एनएचडीसी, एसजेवीएनएल, एनटीपीसी, टीएचडीसी, डीवीसी और बीबीएमबी और एक राज्य स्वामित्व की विद्युत केन्द्र अर्थात मैसर्स जेएस डब्ल्यू हाइड्रो ऊर्जा लि. (पहले मैसर्स हिमाचल बस्पा पावर कं. लि.) एक आईपीपी केन्द्र तथा टीयूएल जो उत्तरी, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान निम्नलिखित हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनों ने सीओडी को प्राप्त किया।

i. नीपको का टयूरियल एच.ई.पी.

ii. नीपको का पारे एच.ई.पी.

iii. एनएचपीसी का किशनगंगा एच.ई.पी.

31.3.2019 को संस्थापित क्षमता और विभिन्न प्रकार के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र प्रत्येक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख अनुबंध-VII में दी गई है।

2018–19 के दौरान निम्नलिखित

याचिकाएं ली गईः

i. 2014–19 में उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाओं के निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों का निपटान किया गया–

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कंपनी
1	कोलडम	एनटीपीसी
2	कोटेश्वर	टीएचडीसी
3	बीबीएमबी के उत्पादन केन्द्र	बीबीएमबी
4	टयूरियल	नीपको

ii. 2014–19 में उत्पादन टैरिफ प्रावधानों के अनुमोदन के लिए याचिकाओं के निम्नलिखित हाइड्रो स्टेशनों का निपटान किया गया–

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कंपनी
1	किशनगंगा	एनएचपीसी

iii. निम्नलिखित हाइड्रो केन्द्रों की 2009–14 की अवधि के लिए ट्रू अप/अंतिम उत्पादन टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिकाओं का निपटान किया गया–

क्र. सं.	स्टेशन का नाम	कंपनी
1	कोटेश्वर	टीएचडीसी

हाइड्रो विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की निम्नलिखित विविध याचिकाओं का निपटान किया:

- ''नाथपा झाकरी और रामपुर हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की क्षमता की घोषणा और अनुसूचीकरण पर 24.2.2016 और 22.4.2016 की उत्तर पूर्व विद्युत समिति की 120वीं और 122वीं ओसीसी बैठकों के कार्यवृत्त'' के मामले में और 412 मेगावाट के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 68.67 MW) तथा 1500 मेगावाट के नाथफा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 250 MW) की घोषित क्षमता के विचार के लिए याचिका (19/एमपी/2017)

- ''नाथपा झाकरी और रामपुर हाइड्रो विद्युत केन्द्रों की क्षमता की घोषणा और अनुसूचीकरण पर 24.2.2016 और 22.4.2016 की उत्तर प्रादेशिक क्रय विद्युत समिति की 120वीं और 122वीं ओसी बैठकों के कार्यवृत्त'' के मामले में और 412 मेगावाट के रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 68.67 MW) तथा 1500 मेगावाट के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 250 MW) की घोषित क्षमता के विचार के लिए याचिका (150/एमपी/2016)

- केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के अनुसार ओवर रोड क्षमता सहित स्थापित क्षमता की तदनुरूपी रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 68.67 MW) तथा नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 250 MW) की घोषित क्षमता के विचार के लिए याचिका (74/एमपी/2018)

- 31.3.2018 से 31.3.2020 तक कोलडम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (4 x 200 MW) की कटआफ तारीख के विस्तार के लिए याचिका (228/एमपी/2018)

- केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2010 के भाग 7 के विनियम 4 के अधीन याचिका (35/एमपी/2017) जिसमें यूपीआरबीयूएनएल के विंटास यूनिटों के लिए आरजीएमओ/एफजीएमओ के कार्यान्वयन के अपेक्षा के संबंध में विनियम 5.2(एफ) की छूट की मांग की गई।

हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों के संबंध में टैरिफ के ब्यौरे अनुबंध-VIII में दिए गए हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा

वर्ष 2017–18 के दौरान आयोग ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विनियम से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तों को अधिसूचित किया जिसके माध्यम से आयोग ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक पर आधारित ग्रिड पारस्परिक क्रिया विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ अवधारण के लिए प्रचालनगत मानदण्ड और तकनीकी पैरामीटर, वित्तीय सिद्धांत, टैरिफ संरचना और डिजाइन को विनिर्दिष्ट किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पवन ऊर्जा, लघु हाइड्रो बायोमास (रेंकिन साइकल पर आधारित) सौर (पीवी व थर्मल) बायोमास, बायोगैस, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट/रिफ्यूजड डिराइवड ईंधन परियोजना रेंकिन साइकल तकनीक पर आधारित) इत्यादि शामिल है।

आयोग ने नवीकरणीय या नवीकरणीय पारंपरिक स्रोतों को शामिल करते हुए अन्य हाइब्रिड परियोजना बायोगैस आधारित परियोजना (यदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा अपनाई गई है) बायोमास गैसीफायर आधारित परियोजना (परियोजना विकासकर्ता द्वारा अपनाई गई है) रिफ्यूजड डिराइवड ईंधन आधारित परियोजनाएं तथा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, पवन ऊर्जा (ऑनश्योर और ऑफश्योर सहित) सौर पीवी एवं सौर थर्मल के संबंध में जेनरिक टैरिफ अवधारण से प्रस्थान किया जिसके लिए नवीकरणीय तकनीक एमएनआरई द्वारा अनुमोदित है। इन नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के संबंध में परियोजना विनिर्दिष्ट टैरिफ अगली नियंत्रण अवधि के लिए (2017–20) के लिए अवधारित होगा।

नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ आदेश 2019 :– पिछले वर्ष के आदेश की तुलना में इस टैरिफ आर्डर में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं:

क) एमसीएलआर दर में परिवर्तन के साथ, ऋण पर

ब्याज और कार्यशील पूंजी पर ब्याज को संशोधित और नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

संघटक	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20
ऋण पर ब्याज	9.97%	10.41%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	10.97%	11.41%

क) निगमित कर को 29.12 प्रतिशत माना गया है।

ख) तदनुसार, डब्ल्यूएसीसी को 9.36 प्रतिशत से 9.08 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।

ग) बायोमास, बगासे और बायोगैस आधारित परियोजनाओं के लिए, संबंधित राज्यों के लिए ईंधन की कीमतों में परिवर्तन (पिछले वर्ष की कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि)

घ) सभी तकनीकों के लिए ओएण्डएम लागत में परिवर्तन (पिछले वर्ष की लागत से 5.72 प्रतिशत तक की वृद्धि)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के ब्योरे जो आयोग द्वारा अवधारित है अनुबंध-IX में दिए गए है।

पारेषण

देश में पारेषण प्रणाली में तेज गति से विकास हो रहा है और आयोग टैरिफ के निर्धारण, ट्रूइंग अप याचिकाएं तथा संयोजकता से संबंद्ध विविध याचिकाएं, निर्बाध पहुंच, अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों की शेयरिंग तथा विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं ग्रिड संबद्ध मुद्दों से संबंधित वृहत कार्य का संचालन करता है।

पारेषण टैरिफ

आयोग ने टैरिफ अवधि 2014–19 के दौरान आरंभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई पारेषण आस्तियों के लिए अनंतिम आदेशों सहित अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली से संबद्ध याचिकाओं में कई आदेश जारी किए। अधिकांश टैरिफ याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन 2009–14 टैरिफ अवधि के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रूइंग अप से संबद्ध पावर ग्रिड द्वारा दाखिल की गई और केविविआ के अधीन (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण के लिए दाखिल की गई और कई याचिकाएं केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन 2018–19 के दौरान आंरभ की जाने वाली प्रत्याशित/आरंभ की गई आस्तियों के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए थी।

आयोग ने 01.04.2014 से 31.03.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के लिए केविविआ (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र के फीस व प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 5 के अधीन फीस व प्रभारों की ट्रूइंग अप के संबंध में आदेश जारी किए।

निर्बाध पहुंच का प्रवर्तन

निर्बाध पहुंच विद्युत अधिनियम 2003 का एक महत्वपूर्ण घटक है। आयोग को अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणलियों के लिए निर्बाध पहुंच को सरल बनाने के कार्य का दायित्व सौंपा गया है। आयोग ने केविविआ (अन्तरराजियक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक पहुंच तथा संयोजकता प्रदान करना व संबद्ध मामले) विनियम, 2009 और केविविआ (अन्तरराजियक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 जारी किया जिसमें अन्तरराज्यिक प्रणाली में मध्यकालिक निर्बाध पहुंच एवं अल्पकालिक पहुंच, दीर्घकालिक पहुंच को सरल बनाया है।

2018–19 की अवधि के दौरान आयोग ने अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली में निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए कई याचिकाओं का निपटान किया।

(1) **याचिका सं. 92/एमपी/2015 में 8.3.2019 का आदेश:** सीटीयू ने याचिका दाखिल की जिसमें याचिका सं. 92/एमपी/2014 और संबद्ध याचिकाओं में 16.2.2015 के आदेश के माध्यम से आयोग द्वारा पारित निर्देशों के कार्यान्वयन से उदभूत कठिनाइयों को रेखांकित किया गया और कुछ एक स्पष्टीकण की मांग की गई जिनमें आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 18 के अनुसार प्रभारों के अधित्याग और उदग्रहण को अवधारण के लिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए। याचिका सं. 92/एमपी/2015 में आदेश में आयोग ने निम्नलिखित को पाया:

क्र. सं.	एलटीए ग्राहक के प्रकार	उपचार	अधित्याग प्रभार
1.	एलटीए ग्राहक जिसे पता लगाई गई प्रणाली के साथ एलटीए प्रदान किया गया।	स्ट्रेंडिड क्षमता चयनित वृद्धि के लिए अवधारित की जाए।	(एक वर्षीय *पारेषण प्रभार स्टेण्डर्ड क्षमता *12*66%)
2.	एलटीए ग्राहक जिन्हें कुछ अन्य एलटीए ग्राहक के लिए नि पादन के अधीन पहले चुनिंदा प्रणाली के साथ एलटीए प्रदान किया गया।	स्ट्रेंडिड क्षमता चयनित वृद्धि के लिए अवधारित की जाए।	एक वर्ष नोटिस अवधि प्रभार *66%)
3.	मौजूदा प्रणाली पर प्रदान किया गया एलओए	स्ट्रेंडिड क्षमता अलग से चयन नहीं किया जाएगा। चूंकि इसे समूचे आईएसटीएस पर एलटीए प्रदान किया गया।	एलटीए अधित्याग *तिमाही के लिए अखिल भारतीय अधिकतम पीओसी दर जिसमें अधित्याग घटित हुआ।
4.	लक्षित क्षेत्र का परिवर्तन		कोई प्रभार नहीं यदि अधित्याग की तारीख वही है जैसा कि परिवर्तित क्षेत्र में एलटीए के शुरूआत की तारीख थी। यदि एलटीए जून, 2015 से अधित्याग है और नए क्षेत्र में एलटीए दिसंबर, 2015 से प्रभावी है तो जून, 2015 से नवंबर 2015 के लिए उक्त पद्धति के अनुसार अधित्याग प्रभार है।

(क) यदि दूसरा ग्राहक है जो लाइन में है या उक्त एलटीए ग्राहकों द्वारा क्षमता अधित्याग पर एलटीए प्रदान किया गया था तो अधित्याग प्रभार उस अवधि के लिए संगणित किया जाएगा जिसके लिए नए ग्राहक ने पुराने ग्राहक की क्षमता का अधिग्रहण नहीं किया है।

(ख) चयनित वृद्धि सहित एलटीए ग्राहकों के लिए स्ट्रेंडिड क्षमता की संगणना की पद्धति।

(ग) 12 वर्षों के लिए नेटवर्क शर्तों की कोई आवश्यकता नहीं चूंकि अधित्याग प्रभार उस वर्ष के लिए अवधारित किया जाएगा जिसमें अधित्याग घटित होता है और 66 प्रतिशत एमटीओए/एसटीओए इत्यादि के अधीन परिवर्ती उपयोग होता है।

(घ) परित्याग की गई परियोजनाएं उक्त संगणना के अनुसार अधित्याग प्रभारों से उदगृहीत की जाएगी। ।

(ङ) विद्युत मंत्रालय का पुनः आवंटन स्ट्रेंडिंग क्षमता के रूप में नहीं माना जाएगा।

(च) सहायक उपभोग या ओवरलोड के कारण अधित्याग पर अधित्याग प्रभार नहीं होगा।

(छ) एलटीए ग्राहकों द्वारा अदा किया गया अधित्याग प्रभार उस वर्ष में अन्य दीर्घकालिक और मध्यकालिक ग्राहकों द्वारा प्रतिदेय पारेषण प्रभारों को कम करने के लिए प्रयुक्त होगा जिसमें इस प्रकार की क्षतिपूर्ति इस प्रकार के दीर्घकालिक ग्राहकों और मध्यकालिक ग्राहकों द्वारा उस वर्ष के लिए प्रतिदेय पारेषण प्रभारों के अनुपात में देय है। इस प्रकार वार्षिक पारेषण प्रभार उक्त विनियमों के अनुसार दीर्घकालिक ग्राहकों का अधित्याग करते हुए अधित्याग के लिए प्राप्त वास्तविक प्रभारों द्वारा कम हो जाएगा। सीटीयू को अलग खाते में अधित्याग के लिए और उक्त निर्देशों के अनुसार उसका प्रयोग करने के लिए संग्रहीत प्रभारों को रखने का निर्देश दिया गया है। इस रकम पर उपचित कोई ब्याज इस खाते में क्रेडिट होगा।

(ज) सीटीयू अधित्याग प्रभारों को संगणित करेगा और आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपनी वेबसाइट पर प्रस्तुत करेगा।

(झ) अधित्याग प्रभारों को सीटीयू द्वारा बिलों के जारी होने के 6 महीनों के अंदर अदा किया जाएगा।

(2) **याचिका सं. 142/एमपी/2017 में 4.4.2018 का आदेश** : एनएचपीटीएल ने याचिका दाखिल की जिसमें आरंभिक रूप से भार पर देय प्रभार के लिए पीजीसीआईएल के आईएसटीएस बिना उपकेन्द्र पर 400केवी बस और 765 केवी के साथ एनएचपीटीआईएल की प्रयोगशाला की संयोजकता की मांग की गई और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच एवं मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (सातवां संशोधन) विनियम, 2009 (संयोजकता विनियम) के अधीन भार शर्तों पर और भार नं. के लिए संयोजकता करार के अनुमोदन के लिए एवं विद्युत उपकरण के शार्टसर्किट परीक्षण के लिए ऑनलाग किया। आयोग ने याचिका सं. 142/एमपी/2017 के आदेश में निम्नलिखित स्थिति पाईः

(क) याचिकाकर्ता ने आरंभिक रूप से भार नहीं पर देय प्रभार के लिए पीजीसीआईएल के आईएसटीएस बिना उपकेन्द्र पर 400 केवी बस और 765 केवी एनएसपीटीएल की प्रयोगशाली की संयोजकता की मांग के लिए आयोग से संपर्क किया और केविविआ संयोजकता विनियम

2009 के अधीन आनलोड शर्तो और नो लोड के लिए संयोजकता करार के अनुमोदन के लिए विद्युत उपकरण के शार्टसर्किट परिक्षण के लिए ऑनलोड किया।

(ख) याचिकाकर्ता ने प्रयोगशाला के ट्रायल परीक्षण/आरंभ करने के लिए प्रथम वाणिज्यिक परीक्षण के पूर्व ग्रिड से सहायता ली। यह प्रथम वाणिज्यिक परीक्षण से पूर्व अवधि के लिए 50 मेगावाट (विभवसनीयता प्रभार दर का 5 प्रतिशत x50 मेगावाट) के लिए विभवसनीयता प्रभारों के 5 प्रतिशत के उदग्रहण उचित होगा। यह प्रभार माह के भाग के लिए समानुपातिक और माह/5 प्रतिशत (विभवसनीयता प्रभार दर का 5 प्रतिशत x50 मेगावाट) की दर पर दिनांक 27.6.2016 से 30.6.2017 तक प्रतिदेय होंगे।

(3) **याचिका सं. 153/एमपी/2017 में 19.11.2018 का आदेश** : डीवीसी ने दामोदर वेली कार्पोरेशन के वितरण नेटवर्क और विद्युत पारेषण की व्हीलिंग और पारेषण के लिए निर्बाध पहुंच प्रभारों के अनुमोदन के लिए केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 (1)(डी) के अधीन मौजूदा याचिका दाखिल की। आयोग ने याचिका सं. 153/एमपी/2017 में आदेश में निम्नलिखित का पालन किया:

(क) याचिकाकर्ता द्वारा उल्लिखित कुल अंतरण क्षमता गतिशील है और समय समय से भिन्न होती है। इसके अलावा ''क्षमता'' प्रणाली स्थितियों में समय से हमेशा बदलती रहती है। तदनुसार आयोग को विभवसनीय मीटरिंग के रूप में टीटीसी विचार के लिए प्रवृत्त नहीं था।

(ख) पीओसी संगणना के लिए एनएलडीसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के अवलोकन पर यह पता चलता है कि 2017–18 और 2018–19 वर्षों के दौरान डीवीसी से अनुमोदित अंतःक्षेपण/निकासी क्रमशः 450 और 500 मेगावाट थी और उसे डीवीसी कमाण्ड एरिया के बाहर विद्युत के विक्रय के लिए डीवीसी के समाहित उत्पादन से एलटीए के रूप में विचार किया। यह अनुमान किया गया कि एलटीए डीवीसी का समाहित उत्पादन है और उत्पादन से नहीं है जो सीटीयू नेटवर्क से संबद्ध है।

(ग) गुजरात विद्युत विनियामक आयोग सहित मध्यप्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग, तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग जैसे विभिन्न विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा अपनाए गए पारेषण/व्हीलिंग प्रभारों की संगणना की पद्धतियों के अवलोकन के बाद आयोग इस निकर्ष पर पहुंचा कि इन राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने उनकी निर्बाध पहुंच प्रभारों की संगणना के लिए कंट्रेक्ट क्षमता पर विचार किया है। उक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह विचार है कि इन राज्यों द्वारा अपनाई गई पद्धति मौजूदा परिदृश्य के अनुकूल है और इस याचिका में निर्बाध पहुंच प्रभारों के अवधारण के लिए जीईआरसी विनियमों पद्धति को अपनाया है।

(घ) कंट्रेक्ट की गई मांग जिसे डीवीसी टीएण्डडी प्रणाली द्वारा प्रदान किया जा रहा है वह टीएण्डडी प्रणाली में इसका प्रयोग करते हुए डीवीसी नियंत्रण एरिया के बाहर हिताधिकारियों के लिए एलटीए और एमटीओए प्रयोक्ताओं द्वारा कंट्रेक्ट क्षमताओं, और अपनी कंट्रेक्ट मांग के समतुल्य है। वित्तीय वर्ष 2017–2018 और 2018–19 के लिए कुल कंट्रेक्ट क्षमता क्रमशः

4074 मेगावाट 4169 मेगावाट होगी और दीर्घकालिक/मध्यकालिक एवं अल्पकालिक दर के लिए पारेषण/व्हीलिंग प्रभार निम्नानुसार संगणित किए गए हैं:

क्र.सं.	विवरण	फॉर्मूला	वित्तीय वर्ष 2017–2018	वित्तीय वर्ष 2018–2019
क.	निजी अनुबंधित मांग (एमवीए)	-	3658.82	3705.42
ख.	0.97 (मेगावाट) पावर फैक्टर को विचार करते हुए निजी अनुबंधित मांग	=क*0.97	3549	3594
ग.	एमटीओए अनुबंधित क्षमता (मेगावाट)	-	75	75
घ.	एलटीए बिक्री (मेगावाट)	-	450	500
ङ.	डीवीसी की कुल अनुबंधित क्षमता (मेगावाट)	=(ख+ग+घ)	4074	4169
च.	2013–14 के दौरान (रु. लाख) वार्षिक पारेषण प्रभार (ट्रूअड अप)	-	52479.37	52479.37
छ.	अनुमोदित दीर्घ/मध्य अवधि दर (रु. लाख/मेगावाट/माह)	(च/ङ)/12	1.073	1.049
ज	अनुमोदित अल्प–अवधि दर (पैसा/किलोवाटघण्टा)	=(च/ङ)*10000/ (365*24)	14.7	14.37

(ङ) उक्त सारणी के अनुसार, डीवीसी नेटवर्क के माध्यम से विद्युत की मांग करने वाले निर्बाध पहुंच ग्राहकों को अनुमोदित दरों पर निर्बाध पहुंच प्रभारों/पारेषण और व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करना होगा। चूंकि, याचिकाकर्ता की पारेषण प्रणाली के वित्तीय वर्ष 2017–2018 और 2018–19 के लिए वार्षिक पारेषण प्रभार अभी तक निर्धारित नहीं किए हैं, अतः प्रभारों को 2013–14 के लिए अनुमोदित एआरआर के अनुसार संगणित किया गया है। तथापि, यह प्रभार पुनरीक्षण के अध्याधीन हैं जब कभी वर्ष 2014–19 के लिए टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है।

(4) आयोग द्वारा वर्ष 2018–19 के दौरान निर्बाध पहुंच में प्रवर्तन के लिए निर्बाध पहुंच और संयोजकता से संबंधित कुछ याचिकाओं का निपटान किया गया जिनमें शामिल याचिका सं. 59/एमपी/2019, 35/एमपी/2018, 53/एमपी/2019, 166/एमपी/2018, 6/एमपी/2019, 18/एमपी/2018, 231/एमपी/2018, 252/एमपी/2018, 274/एमपी/2018, 30/एमपी/2018, 9/आरपी/2018, 146/एमपी/2018 और 196/एमपी/2016 हैं।

आईएसटीएस पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग

(1) **याचिका सं. 126/एमपी/2017 में 4.5.2018 का आदेश:** याचिकाकर्ता, हरियाणा डिस्कॉम ने इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (अरावली पावर स्टेशन) से हरियाणाा विद्युत प्रसारण निगम लि. द्वारा प्रचालित और

रखी गई निजी दौलताबाद में 400केवी डी/सी पारेषण लाइन की स्थिति के संबंध में घोषणा और निर्देश के लिए मौजूदा याचिका दाखिल की थी। आयोग ने दिनांक 11.4.2017 के आदेश के माध्यम से अन्य बातों के साथ–साथ यह पाया कि:

(क) 400 केवी पारेषण लाइन आईजीएसपीटीएस – दौलताबाद पारेषण लाइनों को सीटीयू एवं पोसोको तथा शेयरिंग विनियमों के क्षेत्राधिकार की संभावना से बाहर होना चाहिए। अंतःराज्यिक पारेषण लाइन होने के नाते पारेषण लाइन पीओसी तंत्र के अधीन पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग के अध्याधीन नहीं होगी। इस मामले में, आरएलडीसी, आईजीएस टीपीएस, आईएसटीएस प्रभारों से विद्युत के अनुसूचीकरण को करना जारी रखेगी और हानियां हरियाणा राज्य नेटवर्क पर अनुसूचियों के लिए लागू नहीं होगा। पोसोको और सीटीयू को आईजीएसटीएस में हरियाणा के हिस्से के अनुरूप एलटीए क्षमता को शामिल नहीं करने का निर्देश दिया, जो पीओसी प्रभारों और हानियों की गणना करता है।

(ख) आईएसटीएस प्रभारों और हानियों के भुगतान से उनको छूट देने वाले याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की जा रही है।

(2) **याचिका सं. 261/एमपी/2017 में 6.11.2018 का आदेशः** याचिकाकर्ता, एनटीपीसी लि. (कुडुगी उत्पादन केन्द्र) 2400 मेगावाट (3 x 800) कोयला आधारित पावर स्टेशन विकसित कर रहा है, उसने एलटीए प्रभारों के लिए केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता (पीजीसीआईएल) के 06.11.2017 के बिल को रदद करने की मांग करते हुए मौजूदा याचिका दाखिल की। निम्नलिखित पारेषण प्रणाली को कुडुगी उत्पादन केन्द्र से विद्युत के लिए चुना गया।

(i) 2 नं. 400केवी डी/सी पारेषण लाइन कुडुगी टीपीएस–नरेन्द्रा (न्यू)

(ii) 765 केवी डी/सी पारेषण लाइन नरेन्द्रा (न्यू)–मधुगिरी

(iii) 765 केवी डी/सी पारेषण लाइन मधुगिरी–बेंगलौर

(क) केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों की हानियों और शेयरिंग) विनियम, 2010 के अधीन दीर्घकालिक पहुंच के प्रभारों के भुगतान की देयता उनके द्वारा दाखिल करारों को ध्यान में रखते हुए हिताधिकारियों की होगी।

(ख) एलटीए को उत्पादक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के ध्यान में न रखते हुए पारेषण प्रणाली की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा की तारीख से प्रचालनीकृत करने की आवश्यकता है।

(ग) आयोग द्वारा यथानिर्धारित या अपनाए गए संबंधित पारेषण प्रणाली के वार्षिक पारेषण प्रभार (अर्थात इस मामले में कुडुगी–नरेन्द्रा, नरेन्द्रा–मुधगिरी और मधुगिरी बिडाडी और संबंधित बेज/उपकेन्द्र) के वार्षिक पारेषण प्रभारों पर वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित यूनिटों के तदनुरूपी पीओसी तंत्र में विचार किया जाएगा और शेष पारेषण प्रभारों की वसूली वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक एनटीपीसी से वसूल की जाएगी।

(3) वर्ष 2018–19 के दौरान निर्बाध पहुंच के प्रवर्तन के लिए आयोग द्वारा निपटाई गई आईएसटीएस प्रभारों ⊠⊠ हानियों शेयरिंग से संबंधित कुछ याचिकाओं में याचिका सं. 126/एमपी/2017, 12/एसएम/2017, 94/एमपी/2017 आदि शामिल है।

पारेषण अनुज्ञप्ति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग धारा 15 के

अधीन इस किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के पारेषण के लिए या (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत के संवितरण के लिए या (ग) विद्युत व्यापार के रूप में विद्युत में व्यापार के लिए। वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग ने कुछ आदेशों के माध्यम से कई कंपनियों को अधिनियम की धारा 63 के अधीन ''पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश'' और ''पारेषण सेवा के लिए पारेषण परियोजनाओं और प्रतिस्पर्धात्मक बोली के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए मार्ग निर्देश'' के अनुसार पारेषण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यूआर–एनआर पावर पारेषण लि. (119/टीएल/2018), फतेहगढ़–भादला पारेषण लि. (94/टीएल/2018), गोवा तमनार पारेषण परियोजना लि. (95/टीएल/2018), ईआरएसएस XXI पारेषण लि. (42/टीएल/2018) जैसी कई कंपनियों को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान की।

पारेषण टैरिफ का अंगीकार

अधिनियम, 2003 की धारा 63 में यह व्यवस्था है कि उपयुक्त आयोग टैरिफ को अपनाएगा यदि इस प्रकार का टैरिफ केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शिता प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

आयोग ने 2018–19 के दौरान कई आदेशों के माध्यम से डब्ल्यूआर–एनआर पावर पारेषण लि. (पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि. के 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) (120/एटी/2018), फतेहगढ़–भादला पारेषण लि. (एफबीटीएल) (93/एटी/2018), गोवा तमनार पारेषण परियोजना लि. (97/एटी/2018), ईआरएसएस XXI पारेषण लि. (39/एटी/2018) के संबंध में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निर्धारित पारेषण टैरिफ अपनाया गया।

2018–19 के दौरान अन्य गतिविधियां

राजभाषा का कार्यान्वयन और प्रोत्साहन

2018–19 के दौरान केविविआ राजभाषा के कार्यान्वयन, उन्नयन और प्रोत्साहन के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया।

इसके अलावा हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठके आयोजित की गई जिसमें वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान की गई प्रगति की समीक्षा की गई और विचारविमर्श किया गया तथा शासकीय व्यवहारों में हिंदी के प्रयोग की योजनाओं को तैयार किया गया।

आंतरिक हिंदी पत्रिका ''सौदामनी''

आयोग आंतरिक पत्रिका सौदामनी हिंदी में प्रकाशित करता है। इस पत्रिका में अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठक/प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में रिर्पोट प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा आयोग में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों को प्रकाशित किया जाता है। इस मैगजीन में मुख्य रूप से आयोग में आयोजित राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले सभी कार्यक्रमों को प्रमुखता से शामिल किया जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान

''स्वच्छ भारत अभियान'' के संबंध में विभिन्न गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोजित की गई। आयोग के कर्मचारियों को कार्यस्थल को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित

किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने परिसर को साफ रखने में अत्यधिक रूचि दिखाई। केविविआ परिसर में स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किया गया जिसका लक्ष्य रिकार्ड का बेहतर प्रबंधन, कार्यस्थल व वातावरण इत्यादि को ठीक करना रहा।

सूचना का अधिकार

केविविआ ने आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान करने का प्रयास किया। 2018–19 के दौरान 190 आवेदनों की प्राप्ति पर 185 आवेदनों का निपटान किया गया। उसी वर्ष के दौरान 40 अपील प्राप्त हुईं और 39 अपीलों का निपटान किया गया।

लेखा परीक्षा पैरा

रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान केविविआ से संबंधित कोई भी पैरा भारत की सीएजी रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

सर्तकता मामले

आयोग में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी सतर्कता के मामले पर कोई विचार नहीं किया गया या लंबित था।

सीसीएमएएस (ई–कोर्ट) की स्थापना के लिए पहल

डिजिटल इण्डिया की दिशा में पहल के रूप में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) ने अपना सौदामिनी पोर्टल आरंभ किया जिसमें याचिकाएं और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल करने के लिए ई–फाइलिंग, ई–हियरिंग, केस प्रबंधन सूचना प्रणाली आदि शामिल है। एक और कदम के रूप में, केविविआ स्टेकहोल्डरों द्वारा ड्राफ्ट विनियम/स्टाफ पेपर आदि पर टिप्पणियों/सुझावों को शामिल करने

के लिए ई–विनियम मॉडयूल (बीटा वर्जन) भी आरंभ किया।

उपरोक्त के अलावा केविविआ ने कार्यालय की गतिविधियों के सुचारू रूप से स्वचालन के लिए फाईल मूवमेन्ट, छुटटी प्रबंधन, यात्रा प्रबंधन, जानकारी प्रबंधन, लाइब्रेरी प्रबंधन इत्यादि के लिए आयोग में ई–आफिस और ई–ग्रंथालय को कार्यान्वित किया।

केविविआ लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) कनेक्टिविटी के माध्यम से सुचारू रूप से संबद्ध हुआ है और इसकी समर्पित उच्च गति लीज लाइन इंटरनेट है। अधिकारियों और कर्मचारियों को अत्याधुनिक कंप्यूटिंग सुविधाओं और नवीनतम सॉफ्टवेयर पैकेजों के साथ प्रदान किया गया है। एमआईएस प्रभाग विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों के लिए आई–टी आधारित सहायता प्रदान करता है। संस्थान ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हाई एण्ड आई 7, आई 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर, लोकल और नेटवर्क प्रिंट का ऐरे, स्कैनरर्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, कलर प्रिंटर्स आदि की व्यवस्था की है।

केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति (सीएसी)

केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 06.07.2018 को आयोजित की गई। बैठक के दौरान, केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने निम्नलिखित विषयों पर विचार–विमर्श किया:

(क) वर्ष 2019–24 के लिए टैरिफ विनियमों के अवधारण के लिए निबंधन एवं शर्तों पर स्टाफ परामर्श पेपर में केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने यह पाया कि

1. प्रचालन कार्य मानदंड मुख्यतः स्टेशन हीट दर समय–समय से आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तथापि, एक अध्ययन आयोग द्वारा अधिसूचित एसएचआर मानदंडों के लिए सुपर विवेचनीय संयत्रों द्वारा अनुपालन की स्थिति की जांच के लिए आरंभ की जानी चाहिए।

2. दीर्घ अवधि ऋण और दीर्घ समय पर मूल्यह्रास के तदरूपी विस्तार आज के समय की आवश्यकता है।

3. आयोग भौतिक कॉन्ट्रेक्टों को वित्तीय कॉन्ट्रेक्टों की व्यवहारिता की जांच पर विचार करे।

4. उत्पादन संयंत्रों के लिए अग्रिम रख–रखाव अनुसूची के अवधारण की संभाव्यता की जांच की जाए ताकि डिस्कॉम अपने विद्युत प्राप्ति की ठीक से योजना कर सके।

5. हाइड्रो क्षेत्र को टैरिफ को बढ़ाने और बैकलोडिंग करने की आवश्कता है या स्तरीकृत टैरिफ दृष्टिकोण पर विचार किया जाए।

6. केविविआ को "आर्थिक सर्वेक्षण" की दिशा में वार्षिक आधार पर स्वतंत्र "विद्युत सर्वेक्षण" को प्रकाशित करने का कार्य करना चाहिए। इस सर्वेक्षण में विवेचनीय विषयों और अंतर्विभागीय विषयों को शामिल किया जाए जो क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत संगत हैं।

(ख) राष्ट्रीय संदर्भ फ्रीक्वेंसी के निकट विद्युत प्रणाली प्रचालन को लाने के लिए उपायों का सुझाव देने और समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट पर केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने सिफारिशों को नोट किया और विशेषज्ञ समूह द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की और केविविआ को विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया।

(ग) विचलन व्यवस्थापन तंत्र के सिद्धांतों की समीक्षा तथा उभरते बाजारों को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी से संबद्धता की समीक्षा करते हुए केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को नोट किया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिदिन औसत एरिया क्लीयरिंग कीमत में डीएसएम कीमत वेक्टर के संबद्धता, डीएसएम कीमत वेक्टर के प्रयोजन के लिए संदर्भ फ्रीक्वेंसी बैंड में परिवर्तन, पूर्व माह के लिए बिल के रूप में उत्पादक के लिए ऊर्जा प्रभारों में कोयले/लिग्नाइट, एपीएम गैस का प्रयोग करते हुए उत्पादकों के लिए कैप दरों की संबद्धता, एक दिशा में सतत विचलन के मामले में लक्षण के परिवर्तन के लिए टाईम ब्लॉक की संख्या में कमी, लक्षण के परिवर्तन इत्यादि के संबंध में अनुबंध के उल्लंघन के मामले में प्रतिदेय/प्राप्य प्रतिदिन बेस डीएसएम पर 20 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार का उद्ग्रहण शामिल है। समिति ने यह पाया कि यह विनियामक हस्तक्षेप विद्युत बाजारों के हित में है और इस संबंध में आयोग द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा की।

विनियामक फोरम (FOR), भारतीय विनियामक फोरम (FOIR) और दक्षिण एशिया अवसरंचना विनियम फोरम (SAFIR) की गतिविधियां

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना के माध्यम से विद्युत मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम में केन्द्रीय विद्युत विनियामक के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष तथा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं। केविविआ, एससीआरसी और जेईआरसी द्वारा विद्युत क्षेत्र में विनियामकों के एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। विनियामक फोरम ने विभिन्न बैठकों के दौरान विस्तृत जांच के बाद विभिन्न विषयों पर सरकार को

सिफारिशें उपलब्ध करवाई जाती है। केविविआ एफओआर को सचिवीय सेवा प्रदान करता है।

विनियामक फोरम की 4 बैठकें 2018–19 के दौरान आयोजित की गई जिनमें विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श किया गया और सिफारिशें की गई।

1. 09.04.2018 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 63वीं बैठक।
2. 24.08.2018 को राँची में आयोजित विनियामक फोरम की 64वीं बैठक।
3. 13.11.2018 को भुवनेश्वर में आयोजित विनियामक फोरम की 65वीं बैठक।
4. 18.01.2019 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 66वीं बैठक।

विनियामक फोरम ने, वर्ष 2018–19 के दौरान ''उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की विद्युत गुणवत्ता'', ''भारतीय भार प्रेषण केन्द्र का क्षमता निर्माण'' और ''उत्तर पूर्वी क्षेत्र की रिपोर्ट'' के अध्ययन पूरे किए:

निम्नलिखित सतत अध्ययन किए गए:

(क) वितरण में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा

''एफओआर'' विद्युत क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विनियामक आयोग के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए:

1. सीजीआरएफ एवं ओमबडसमैन के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
2. टैरिफ सेटिंग सिद्धांतों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. एसईआरसी के अध्यक्ष/सदस्यों के लिए पहला वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम।

4. विनियामक आयोग के सचिवों के लिए तीसरी कार्यशाला।

केविविआ एफओआईआर को सचिविय सेवाएं प्रदान करता है जिसे भारत में विभिन्न क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुभवों के शेयरिंग के लिए प्लेटफार्म के रूप में लिया गया है। एफओआईआर में न केवल अध्यक्ष बल्कि एईआरए, सीसीआई, आईबीबीआई, पीएनजीआरबी, टीएएमपी, टीआरएआई आदि अन्य विनियामक प्राधिकारियों तथा विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्य भी शामिल हैं।

केविविआ साफिर को सचिवीय सेवाएं प्रदान करता है जो क्षेत्र के बुनियादी विनियामकों के नेटवर्क के रूप में वर्ष 1999 में स्थापित एक फोरम है (जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं) और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं तथा इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति शामिल है। सदस्यों की 4 श्रेणियां है अर्थात शैक्षणिक संस्थाएं, उपभोक्ता निकाय/एनजीओ, कॉरपोरेट/कंपनियां और विनियामक निकाय हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान को बढ़ावा देना विनियामक सुधार प्रक्रियाओं और अनुभवों से संबंधित डाटा बैंक उपलब्ध करवाना, जानकारी और विशेषज्ञता का लाभप्रद विनिमय करना तथा विश्व सर्वोत्तम पद्धतियों का तत्परता से कार्यान्वयन करना है।

वर्ष 2018–19 में साफिर ने 17 कोर पाठ्यक्रम आयोजित किए। वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान अप्रैल 5–8, 2019 के लिए आईआईसीए के सहयोग से आयोजित किया गया। साफिर ने अपने सदस्यों के लिए उच्चस्तरीय जानकारी शेयर करने के कार्यक्रम आयोजित किए।

साफिर ने ढाका में 10 मई, 2018 को 24वीं स्थायी समिति की बैठक और 15वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जबकि 16वीं कार्यकारी समिति की बैठक थिम्पू, भूटान में 22 नवंबर, 2018 को आयोजित की गई।

सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/विनिमय कार्यक्रम

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और स्टाफ की सेमीनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण/संयंत्र दौरा/विनिमय कार्यक्रमों में उपस्थिति के ब्योरे अनुबंध–X और अनुबंध–XI में दिए गए हैं।

7

उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

7. उपभोक्ताओं के लाभ तथा क्षेत्र के विकास के लिए विनियामक प्रक्रियाओं का निष्कर्ष

क. उपभोक्ताओं के लाभ

केविविआ के मार्गदर्शक सिद्धान्तों में से एक नागरिक समाज के हितों की रक्षा करना है जिनमें वे उपभोक्ता तथा प्रदायकर्त्ता शामिल है जो सभी स्टेक होल्डरों के प्रति उचित और पारदर्शी और तटस्थ रवैया अपनाते हैं। उपभोक्ताओं के हितों के सुरक्षा उपायों के लिए केविविआ द्वारा शुरू की गई पहल निम्नानुसार है:

1. ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा

क. ग्रिड नियंत्रण के लिए सतत प्रयासों से बेहतर ग्रिड फ्रिक्वेंसी और ग्रिड प्रचालन हुआ। इसमें उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

2. बाजार मॉनिटरिंग

क. अल्पकालिक बाजार कीमते स्थिर रही। अल्पकालिक संव्यवहारों में 119.23 बिलियन यूनिट को स्पर्श किया जिससे पिछले वर्ष से 4 बिलियन यूनिट की वृद्धि हुई। पावर एक्सचेंजों पर औसत आगामी दिवस कीमत प्रति यूनिट 2.50 रुपये पर स्थिर रहा। निम्नतर थोक बिक्री कीमते (अल्पकाल के माध्यम से) का उपभोक्ता टैरिफ पर नरम प्रभाव रहा।

3. हरित ऊर्जा का उन्नयन

क. ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य सहित परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा के समाकलन के लिए प्रभावी विनियामक फ्रेमवर्क।

ख. उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित वातावरण के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।

ख. क्षेत्र का विकास

क्षेत्र के विकास के लिए आयोग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार है:–

1. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

क. पवन एवं सौर तकनीक के लिए पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण तथा विचलन व्यवस्थापन तंत्र के फ्रेमवर्क का लक्ष्य परवर्ती नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बनाए रखना है।

2. ग्रिड अनुशासन

क. फ्रिक्वेंसी बैण्ड को कड़ा करने और ग्रिड अनुशासन के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के माध्यम से ग्रिड प्रचालन में अनुशासन सुनिश्चित करने के सतत प्रयास।

ख. पहल से ग्रिड प्रचालन की सुरक्षा आसान बनाया गया जो उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं तथा उपभोक्ताओं सहित सभी स्टेकहोल्डरों के हित में है।

3. बाजार विकास

क सहायक सेवा प्रचालन के माध्यम सेए आयोग ने ग्रिड सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में परवर्ती एवं भार संचालन के लिए अनुपूरक बाजार तंत्र को सरल किया।

ख. आयोग ने पावर एक्सचेंजों पर बाजर सत्र के विस्तार को अनुमति दी जिससे बाजार की आकस्मिक आवश्यकताओं का प्रबंधन किया गया और उनकी बेहतर प्रणालियों के संतुलन की अनुमति दी गई।

8

वर्ष 2018–19 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

8. वर्ष 2018.19 के दौरान जारी की गई अधिसूचनाएं

क्र.स.	अधिसूचना संख्या	राजपत्र तारीख	विनियम
1	ईको टी1/2018-सीईआरसी	02.05.2018	पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली मार्गनिर्देश
2	ईको-1/2018-सीईआरसी	28.06.2018	01.04.2018 से 30.09.2018 की अवधि के लिए लागू वार्षिक वृद्धि दर
3	323	24.08.2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण कंपनी द्वारा आर्थिक एवं कुशल अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना, समन्वय तथा विकास एवं अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2018
4	ईको टी2/2018-सीईआरसी	02.11.2018	10 अक्तूबर, 2008 तक संशोधित पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक–बोली मार्गनिर्देश
5	ईको-2/2018-	02.11.2018	विद्युत क्रय करार के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की प्राप्ति के लिए भुगतान के प्रयोजन हेतु 01.10.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए लागू वृद्धि दर
5	444	26.11.2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वितरण व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018
6	23	28.01.2019	केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच), (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018
7	24	28.01.2019	केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (सातंवा संशोधन) विनियम, 2019
8	66	15.02.2019	केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019
10	126	08.04.2019	केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों की हानि की शेयरिंग) (छठा संशोधन) विनियम, 2019

9

वर्ष 2018–19 के लिए कार्यसूची

9. वर्ष 2018–19 के लिए कार्यसूची

क. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ विनियमों की समीक्षा।

ख. विद्युत प्रणाली विकास निधि विनियमों की समीक्षा

ग. अन्य व्यवसायों के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग की समीक्षा

घ. वास्तविक समय विद्युत बाजार के प्रचालन के लिए विनियामक तंत्र

ङ. सहायक सेवा प्रचालन के विनियामक तंत्र की समीक्षा

च. विद्युत व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों की समीक्षा

छ. विचलन व्यवस्थापन तंत्र की समीक्षा

ज. अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों के संबंध में विनियमों की समीक्षा

झ. विद्युत के क्रॉस–बार्डर व्यापार के लिए विनियामक तंत्र

10
लेखों का
वार्षिक विवरण

10. लेखा का वार्षिक विवरण

वर्ष 2018–19 के दौरान, केविविआ ने ₹ 14,861.69 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 12,936.92 लाख) की राशि प्राप्त की तथा कैश आधार पर ₹ 5,003.95 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 4,148.54 लाख) का व्यय किया। आगामी दो महीनों के व्यय के बराबर राशि रखने के बाद अधिशेष राशि को भारत के लोक लेखा में जमा किया गया है। इसके ब्यौरे **अनुबंध–XII** में दिए गए हैं।

II
आयोग का मानव संसाधन

II. आयोग का मानव संसाधन

आयोग का अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न कार्यनिष्पादन के लिए अत्यंत व्यापक अधिदेश है। अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में आयोग की कुशलता, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, वित्तीय प्रबंधन, लेखा, विधि, पर्यावरण, प्रबंध सूचना प्रणाली और अन्य संबद्ध कुशलताओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव सहित इसके स्टाफ की गुणवत्ता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है।

संगठनात्मक चार्ट अनुबंध XIII में दिए गए हैं। इसके अलावा, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले मानव संसाधन का उपयोग करता है। इनहाउस कुशलताओं और उपलब्ध अनुभव को पूरा करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवाएं लेता है और इस प्रयोजन के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	सचिव	1	1	0
2.	प्रमुख	4	4	0
3	संयुक्त प्रमुख	9	5	4
4	उप प्रमुख	21	10	11
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	1	1	0
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1	1	0
7	सहायक सचिव	2	2	0
8	सहायक प्रमुख	28	14	14
9	न्यायपीठ अधिकारी	2	2	0
10	प्रधान निजी सचिव	4	2	2
11	वेतन एवं लेखा अधिकारी	1	1	0
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2	1	1
13	निजी सचिव	5	5	0
14	सहायक	16	6	10
15	वैयक्तिक सहायक	2	1	1
16	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	1	0	1
17	आशुलिपिक	1	0	1
18	हिंदी टंकक	1	0	1
19	आरसीटीओ	1	1	0
20	ड्राईवर	4	4	0
21	वरिष्ठ चपरासी/दफ्तरी	2	2	0
22	चपरासी	2	2	0
	कुल	**111**	**65**	**46**

केविविआ में वर्ष 2018–19 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारी		
क्रम सं.	पद का नाम	भरे गए पदों की संख्या
1	संयुक्त प्रमुख	1
2	सहायक प्रमुख (अर्थशास्त्र)	1
3	सहायक प्रमुख (वित्त)	2
4	सहायक सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन)	1
5	वैयक्तिक सहायक	1
	कुल	**6**

अनुबन्ध

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए निपटाई गई याचिकाओं की सूची							
पिछले वर्ष 2017–18 से लाई गई		वर्ष 2018-19 के दौरान रजिस्टर्ड की गई याचिकाओं की संख्या		कुल	निपटाई गई	31-3-2019 को लंबित	
358		444		811 (*9 रिमांड बैक)	340	471	
क्र.सं	याचिका संख्या	याचिका की तारीख	याचिकाकर्ता	विषय		निपटान की तारीख	याचिका का प्रकार
1	110/एमपी/2016	7 जुलाई 2016	पुरुलिया एंड खड़गपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	विधि में परिवर्तन तथा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण दिनांक 06.08.2013 के पारेषण सुविधाएं करार के अधीन प्रतिपूरक एवं घोषणात्मक राहत की मांग करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका		3 अप्रैल, 2018	विविध याचिका
2	239/एमपी/2016	15 नवम्बर 2016	एसीबी (इंडिया) लिमिटेड	विधि में परिवर्तन होने के परिणामों के कारण याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए राशि के दावे हेतु धारा 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका		3 अप्रैल, 2018	विविध याचिका
3	142/एमपी/2017	23 जून 2017	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा. लि.	याचिका सं. 9/एमपी/2016 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 16.05.2016 के आदेश के संबंध में याचिकाकर्ता पर विश्वसनीयता समर्थन प्रभारों की प्रयोज्यता के संबंध में केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 113 (अंतर्निहित शक्तियाँ) तथा विनियम 115 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) तथा धारा 79(1)(ट) के अधीन याचिका		4 अप्रैल, 2018	विविध याचिका
4	107/जीटी/2015	6 अप्रैल 2015	एनटीपीसी लि.	इकाई–1 एवं II के प्रत्याशित ब्व्क (01.07.2015) से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि तक के लिए कोलदम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (4X200 MW) के टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका		5 अप्रैल 2018	उत्पादन टैरिफ
5	याचिका सं. टीटी/142/2014 में 36/आरपी/2017	28 जुलाई 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के अंतर्गत 2014–19 की टैरिफ अवधि के लिए, 765/400 किलोवाट इन्दौर सब–स्टेशन पर बे के विस्तार के लिए एवं पश्चिमी प्रदेश में 765 किलोवाट S/c इन्दौर–वड़ोदरा पारेषण लाइन के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के मामले में याचिका सं. 142/टीटी/2014 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 21.03.2016 के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित		10 अप्रैल 2018	पुनरीक्षण याचिका

				विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका		
6	86/एमपी/2018	16 मार्च 2018	अलीपुरदुआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	नए सुरक्षा ट्रस्टी को रिकॉर्ड पर लाने के लिए याचिका	10 अप्रैल 2018	विविध याचिका
7	18/एमपी/2017	3 जनवरी 2017	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादियों के बीच निष्पादित दिनांक 13.06.2013 के विद्युत क्रय करारों के निबंधन के अनुसार विधि में परिवर्तन की स्थिति के कारण क्षतिपूर्ति के दावे के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	अप्रैल 18, 2018	विविध याचिका
8	137/एमपी/2017	19 जून 2017	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	सामूहिक संव्यवहारों में लागू संपर्क बिंदु पारेषण प्रभारों के संगणना में संशोधन	अप्रैल 20, 2018	विविध याचिका
9	20/टीडी/2018	10 जनवरी 2018	एनएचपीसी लि.	अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 6 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के अधीन आवेदन	अप्रैल 23, 2018	व्यापार
10	42/टीएल/2018	16 जनवरी 2018	ईआरएसएस XXI पारेषण लिमिटेड	ईआरएसएस XXI पारेषण लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियम आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अधीन आवेदन	अप्रैल 24, 2018	पारेषण अनुज्ञप्ति
11	85/जीटी/2016	27 मई 2016	पत्रातु विद्युत उत्पादन निगम लि.	अधीनीकरण की तिथि से अर्थात् 01.04.2016 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए पत्रातु थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका	अप्रैल 24, 2018	उत्पादन टैरिफ
12	239/एमपी/2017	31 अक्तूबर 2017	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	01.04.2019 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए वेलूर थर्मल पावर स्टेशन (3X500 मेगावाट) के स्टेशन ऊष्मा दर मानकों के शिथिलीकरण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के अध्याय–V तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 54 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 एवं 79(1)(क) के अधीन याचिका	अप्रैल 25, 2018	विविध याचिका

13	182/एमपी/2017	21 अगस्त 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र–भाग–क में परिवर्तन क्षमता की वृद्धि के अंतर्गत मोगा (सीओडीः 1.3.2014) पर 500 मेगावाट, 400/220 किलोवाट ICT ।। के पारेषण टैरिफ के मामले में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 92 व 94 के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के अधीन टैरिफ में पनुरीक्षण हेतु याचिका	अप्रैल 25, 2018	विविध याचिका
14	39/एटी/2018	16 जनवरी 2018	ईआरएसएस XXI पारेषण लिमिटेड	ईआरएसएस XXI पारेषण लि. (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक) द्वारा स्थापित की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	अप्रैल 25, 2018	टैरिफ का अंगीकार
15	126/एमपी/2016	21 जुलाई 2016	भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. (एचवीपीएनएल) द्वारा स्वामित्व, संचालित एवं अनुरक्षित इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (अरावली पावर स्टेशन) से दौलताबाद तक 400 किलोवाट डी/सी पारेषण लाईन की स्थिति से संबंधित घोषणा तथा निर्देश के लिए याचिका	अप्रैल 27, 2018	विविध याचिका
16	183/एमपी/2017	21 अगस्त 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र–भाग–क में परिवर्तन क्षमता की वृद्धि के अंतर्गत मोगा (सीओडीः 1.7.2013) पर 500 MVA, 400/220 किलोवाट ICT के पारेषण टैरिफ के मामले में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 92 व 94 के साथ पठित केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के अधीन टैरिफ में पनुरीक्षण हेतु याचिका	मई 3, 2018	विविध याचिका
17	112/टीटी/2017	3 अप्रैल 2017	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 तथा इसके अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार पीओसी पारेषण प्रभारों में समावेश के लिए अन्य राज्यों से जुड़ने वाली आरवीपीएन स्वामित्व वाली पारेषण लाईनों/प्रणाली तथा विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक अंतःक्षेप वाली पारेषण लाईनों के संबंध में वर्ष 2014–15, 2015–16 तथा 2016–17 के लिए टैरिफ का अवधारण	मई 4, 2018	पारेषण टैरिफ

18	126/एमपी/2017	6 जून 2017	हरियाणा पावर पर्चेज सेंटर	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि. (एचवीपीएनएल) द्वारा स्वामित्व, संचालित एवं अनुरक्षित इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन (अरावली पावर स्टेशन) से दौलताबाद तक 400 किलोवाट डी/सी पारेषण लाईन की स्थिति से संबंधित घोषणा तथा निर्देश के लिए याचिका	मई 4, 2018	विविध याचिका
19	92/एमपी/2017	24 अप्रैल 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	एटीपीसी के ऊँचाहर टीपीएस से विद्युत के निकास के लिए पारेषण प्रणाली हेतु दीर्घकालीन पहुँच करार पर हस्ताक्षर	मई 8, 2018	विविध याचिका
20	12/एसएम/2016	30 दिसम्बर 2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 के उपबंधों का गैर–अनुपालन	मई 9, 2018	स्वप्रेरणा से
21	222/टीटी/2016	25 अक्तूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में तमिलनाडु भाग–क1(क) के नागपट्टिणम/कुड्डालोर क्षेत्र में आईएसजीएस परियोजनाओं से संबंधित सामान्य पारेषण प्रणाली से संबंधित पारेषण प्रणाली के अंतर्गत संबद्ध बे तथा उपकरणों के साथ 400 किलोवाट नागपट्टिणम जीआईएस पर 1 x 125 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम 2014 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	14 मई, 2018	पारेषण टैरिफ
22	6/एसएम/2018	14 मई, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	अप्रैल 2018 से अक्तूबर 2018 के बीच समाप्त होने वाली आरईसी की वैधता की वृद्धि	15 मई, 2018	स्वप्रेरणा से
23	108/टीटी/2016	23 जून 2016	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	रैंगपो पर लीलो प्वाइंट तक 400 किलोवाट डी/सी तीस्ता III–रैंगपो सेक्शन के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियमों के विनियम 86 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 79(10)(घ) के अधीन अनुमोदन	15 मई, 2018	पारेषण टैरिफ
24	19/एमपी/2017	1 फरवरी, 2017	एसजेवीएन लिमिटेड	उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिनांक 15.07.2016 एवं 09.08.2016 को एसजेवीएन लि. के नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 250 मेगावाट) की घोषित क्षमता का पुनरीक्षण	15 मई, 2018	विविध याचिका
25	150/एमपी/2016	17 अगस्त, 2016	एसजेवीएन लिमिटेड	नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 250 मेगावाट) कुल 1500 मेगावाट तथा रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 68.67 मेगावाट) कुल 412 मेगावाट की घोषित क्षमता तथा नथपा झाकरी तथा रामपुर हाइड्रो पावर	16 मई, 2018	विविध याचिका

				स्टेशनों की क्षमता की शिड्यूलिंग तथा घोषणा पर दिनांक 24.02.2016 तथा दिनांक 22.04.2016 की उत्तर क्षेत्रीय पावर समिति की 120 वीं तथा 122वीं बैठकों के कार्यवृत्त के मामले में पुनर्विचार हेतु याचिका		
26	84/एमपी/2018	17 मार्च, 2018	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड	भारत सरकार की शक्ति योजना के अंतर्गत कोल लिंकेज के आबंटन के कारण टैरिफ में छूट के अनुमोदन के लिए 79(1)(ख) तथा (च) के अधीन याचिका	18 मई, 2018	विविध याचिका
27	याचिका सं. 103/एमपी/2017 में 44/आरपी/2017	15 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पुनर्विलोकन	21 मई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
28	146/एमपी/2017	4 जुलाई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र के संबंध में याचिका सं. 305/2010 के अधीन आस्तियों के पोर्सिलेन इन्सुलेटर के साथ पॉलिमर इन्सुलेटर के प्रतिस्थापन के लिए रख–रखाव लागत के एक–बारगी प्रतिपूर्ति हेतु केविविआ (टैरिफ की निबंधन एवं शर्तें), 2014 के विनियम 54 तथा विनियम 55, छूट के लिए शक्ति तथा कठिनाई दूर करने के लिए शक्ति के अधीन अनुमोदन	28 मई, 2018	विविध याचिका
29	196/जीटी/016	28 सितम्बर, 2016	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	सीओडी से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए बोकारो टीपीएस 'ए' (1x500 मेगावाट) के लिए टैरिफ का अवधारण	30 मई, 2018	उत्पादन टैरिफ
30	99/एमपी/2017	28 अप्रैल, 2017	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	दिनांक 20.12.2013 के पारेषण सेवा करार के अंतर्गत होने वाले विवाद के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित धारा 79(1)(ग) एवं (घ) के अधीन विविध आवेदन	31 मई, 2018	विविध याचिका
31	190/एमपी/2016	30 सितम्बर, 2016	ग्रीनको बुधिल हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) व (च) के अधीन याचिका	31 मई, 2018	विविध याचिका
32	97/एमपी/2017	1 मई, 2017	अदानी पावर लि.	''निम्न का आह्वान करते हुए याचिका:– (क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 तथा 63 (ख) प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा–निर्देशों के खंड 4.7 तथा 5.17, तथा (ग) दिनांक 07.08.2008 के पीपीए के अनुच्छेद 17 पठित अनुच्छेद 13 तथा के मामले मे: वर्ष 2016 की सिविल अपील सं. 5399–5400 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 11.04.2017 के निर्णय का कार्यान्वयन तथा बैच मामले''	31 मई, 2018	विविध याचिका

33	170/एमपी/2016	23 अगस्त, 2016	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	कानून में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए दावों के न्यायनिर्णयन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) व (च) तथा याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादियों के बीच दिनांक 27.11.2013 के पीपीए के उपबंधों के अनुसार अनुवर्ती राहत के अधीन याचिका	31 मई, 2018	विविध याचिका
34	146/एमपी/2018	14 मई, 2018	एनटीपीसी लि.	दिनांक 31.05.2018 के बाद कुदगी एसटीपीपी स्टेज–I (3x800 मेगावाट) के यूनिट–III के लिए ग्रिड के साथ अस्थिर पावर के अंतर्विनिमय हेतु माननीय आयोग की अनुमति की मांग	1 जून, 2018	विविध याचिका
35	211/एमपी/2017	30 अगस्त, 2017	सोलर पावर डेवेलेपर एसोसिएशन	दिनांक 14.10.2016 के पावर पर्चेज करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	5 जून, 2018	विविध याचिका
36	235/एमपी/2017	12 अक्तूबर, 2017	दरभंगा मोतीहारी पारेषण कम्पनी लि.	''(i) परियोजना (इसके आगे परिभाषित) को गठित करने वाले याचिकाकर्ता–I द्वारा स्थापित की जाने वाली उपयोगिता के सभी चल तथा अचल आस्तियों सहित याचिकाकर्ता–I की सभी चल तथा अचल आस्तियांय (पप) अगस्त, 2013 के माह में याचिकाकर्ता–I द्वारा निष्पादित पारेषण सेवा करार (ii) पूर्वी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना-VI ("परियोजना") के अधीन पारेषण प्रणाली के विकास के लिए दिनांक 30 मई, 2014 की पारेषण अनुज्ञप्तिय तथा (iii) ऋणदाता द्वारा प्रदान किए गए ऋणों के माध्यम से याचिकाकर्ता–I के मूल परियोजना ऋणदाताओं को पुनर्वित्त करने के अनुसरण में, परियोजना के अधीन, सभी परियोजना दस्तावेजों के साथ–साथ नकद प्रवाहों, प्राप्यों, बैंक खातों, स्वीकृतियों, अधिसूचनाओं, सरकारी अनुमोदनों, आदेशों, वर्तमान तथा भविष्य दोनों परंतु मौजूदा परियोजना दस्तावेजों के किसी संशोधन, परिशिष्टों तक सीमित नहीं, आदि के संबंध में वर्तमान एवं भविष्य के लिए याचिकाकर्ता–I के सभी अधिकारों, शीर्षकों तथा हितों पर आईडीएफसी बैंक लिमिटेड (इसके बाद ''ऋणदाता'' के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति, तब तक, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के लिए निरस्त न हो, समय–समय पर इसके उत्तराधिकारी, नियुक्त या विकल्प शामिल करने के लिए समझा जाए) की ओर से कार्यकारी, सिक्योरिटी ट्रस्टी के रूप में, आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता – I"/"सिक्योरिटी ट्रस्टी") के पक्ष में दरभंगा – मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ("याचिकाकर्ता – I"/"उधारकर्ता") द्वारा सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा (4) के अधीन अनुमोदन मांगने हेतु आवेदन	6 जून, 2018	विविध याचिका

37	219/टीडी/2017	27 अप्रैल, 2017	सैनी पावर ट्रांसैक्टर सैनी	व्यापार अनुज्ञप्ति श्रेणी – IV के अनुदान के लिए आवेदन	6 जून, 2018	व्यापार
38	176/एमपी/2018	4 मई, 2018	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	काकरापर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट (केएपीपी–3 व 4, 2x700 मेगावाट) की ईकाई–3 के लिए स्टार्टअप पावर के आहरण को जारी रखने के लिए माननीय केविविआ की अनुमति मांगना	11 जून, 2018	विविध याचिका
39	याचिका सं. 203/एमपी/2015 में 12/आरपी/2018	24 जनवरी, 2018	जीएमआर कमलांगा एनर्जी लि.	आदेश सं. 203/एमपी/2015 का पुनरीक्षण	12 जून, 2018	पुनरीक्षण याचिका
40	याचिका सं. 55/टीटी/2017 में 8/आरपी/2018	13 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 55/टीटी/2017 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 30.11.2017 के आदेश के संशोधन तथा पुनरीक्षण के लिए याचिका	12 जून, 2018	पुनरीक्षण याचिका
41	3/एसएम/2018	8 मार्च, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का भुगतान) विनियम, 2012 का गैर–अनुपालन	12 जून, 2018	स्वप्रेरणा से
42	215/टीटी/2017	सितम्बर 19, 2017	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	आरवीपीएन के स्वामित्व वाली पारेषण लाईनों/प्रणालियों के संबंध में वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ का अवधारण	20 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
43	223/एमपी/2017	13 सितम्बर, 2017	ईएनएन ईएनएन कॉर्प लिमिटेड	प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के आरईसी आवेदन की स्वीकृति के अवैध तथा विवेकाधीन अस्वीकृति को चुनौती देते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र के जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 की धारा 14 व 15 के अधीन याचिका	20 जून, 2018	विविध याचिका
44	याचिका सं. 60/टीटी/2017 में 7/आरपी/2018	12 जनवरी, 2018	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लि.	याचिका सं. 60/टीटी/2017 में पारित केविविआ के दिनांक 30.11.2017 के आदेश के पुनरीक्षण की मांग करते हुए नागरिक प्रक्रिया की संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103(1) के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	20 जून, 2018	पुनरीक्षण याचिका

45	237/टीटी/2016	2 नवम्बर, 2016	ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्रा प्रदेश लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अनुसार पीओसी पारेषण प्रभारों में समावेश के लिए याचिका सं. 15 स्वतः संज्ञान 2012 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 14.03.2012 के आदेश के अनुसार ऐपट्रांसको स्वामित्व वाली पारेषण लाईन प्रणाली के लिए दो राज्यों को जोड़ने वाली अंतर–राज्यिक पारेषण लाईनों के टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	21 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
46	241/टीटी/2016	16 नवम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में स्टेटिक वीएआर कॉम्पेन्सेटर (एसवीसी) के अंतर्गत आस्ति 1:400/220 किलोवाट कंकरोली सबस्टेशनः (+) 400 एमवीएआर / (–) 300 एमवीएआर एसवीसी के लिए डोको से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	21 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
47	4/एसएम/2018	9 अप्रैल, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	राष्ट्रीय स्तर पर औसत पावर क्रय लागत (एपीपीसी) की गणना	21 जून, 2018	स्वप्रेरणा से
48	6/टीटी/2018	19 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तर क्षेत्र में स्टेटिक वीएआर कॉम्पेनसेटर्स (एसवीसी) के अंतर्गत आस्तिः 400/220 किलोवाट नवीन वानपोह सबस्टेशनः (+) 300 एमवीएआर/(–) 200 एमवीएआर एसवीसी के लिए टैरिफ का अवधारण	22 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
49	155/टीटी/2017	29 जून, 2017	ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि.	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 तथा इसमें किए गए संशोधन के अनुसार PoC प्रभारों में समावेश के लिए याचिका सं. 07/एसएम/2017 में माननीय आयोग के दिनांक 12.05.2017 के आदेश के अनुसार संपर्क बिंदु प्रभारों तथा हानियों की संगणना में पारेषण आस्तियों के समावेश के लिए टैरिफ के अनुमोदन के लिए याचिका	22 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
50	171/एमपी/2016	23 अगस्त, 2016	के एस के महानदी पावर कम्पनी लि.	याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादियों के बीच दिनांक 26.02.2014 के पावर PURCHASE करार के निबंधन के अनुसार विधि में परिवर्तन की स्थिति तथा परिणामी राहत के कारण क्षतिपूर्ति के दावे के न्यायनिर्णयन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	22 जून, 2018	विविध याचिका

51	263/टीटी/2017	6 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	"आस्ति A: अंगुल सब–स्टेशन पर मेरामुंदली–जेपुर 400 किलोवाट एस/सी लाईन का लीलो, आस्ति ।।: 125 एमवीएआर रिएक्टर (प्रथम) का 01 नं. तथा अंगुल सब–स्टेशन के साथ संबद्ध बे, आस्ति ।।।रू , आस्ति AV: 125 एमवीएआर रिएक्टर (तृतीय) का 01 नं. तथा अंगुल सब–स्टेशन के साथ संबद्ध बे, आस्ति VA: झरसुगाडा सब–स्टेशन पर राउरकेला–राजगढ़ 400 किलोवाट डीध्सी लाईन का लीलो–। (सीकेटी–।।।), आस्ति VII: झरसुगाडा सब–स्टेशन पर राउरकेला–राजगढ़ 400 किलोवाट डीध्सी लाईन का लीलो–।। (सीकेटी–।), आस्ति VAAA: झरसुगाडा सब–स्टेशन पर 125 एमवीएआर रिएक्टर (प्रथम) का 01 नं. तथा संबद्ध बे, आस्ति IX: पूर्वी क्षेत्र में ओडीशा–भाग–क में फेस–। उत्पादन परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रणालियों के अधीन झरसुगाडा सब–स्टेशन पर 125 एमवीएआर रिएक्टर (द्वितीय) का 01 नं. तथा संबद्ध बे के (i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा (ii) टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ का अवधारण"	22 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
52	221/टीटी/2017	17 अक्तूबर, 2017	पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड	"टैरिफ ब्लॉक 2014–19 अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 में दिए गए पीओसी प्रभारों में समावेश के लिए याचिका सं. 15/स्वतः संज्ञान/2012 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 14.03.2012 के आदेश के अनुसार पीटीसीयूएल स्वामित्व वाली पारेषण लाईनों/प्रणाली तथा विद्युत के अंतर–राज्यिक पारेषण के लिए आकस्मिक अंतःक्षेप वाली पारेषण लाईनों के संबंध में टैरिफ का अनुमोदन।"	22 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
53	216/एमपी/2016	17 अक्तूबर, 2016	भोपाल धुले ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	कानून में परिवर्तन तथा अप्रत्याशित घटना के कारण दिनांक 07.12.2010 के पारेषण सेवा करार के अधीन क्षतिपूरक तथा घोषणात्मक राहत मांगने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 63 तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	25 जून, 2018	विविध याचिका
54	135/टीटी/2017	28 अक्तूबर, 2016	ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि.	पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी पावर अधिशेष के पारेषण के लिए 220 किलोवाट राउरकेला–तरकेरा – बुधिपदर–कोरबा (ओडिशा अंश) के संबंध में व्हीलिंग प्रभारों का अवधारण	26 जून, 2018	पारेषण टैरिफ

55	12/एमपी/2018	31 अक्तूबर 2017	राईचूर शोलापुर ट्रांसमिशन कंपनी प्रा. लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा 17(4) के अधीन आवेदन	27 जून, 2018	विविध याचिका
56	14/एमपी/2018	19 दिसम्बर, 2017	वेस्टर्न ट्रांस्को पावर लिमिटेड	आईडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस लिमिटेड की ओर से क्रियाशील एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में वेस्टर्न ट्रांस्को पावर लिमिटेड (याचिकाकर्ता/कर्जदार) द्वारा सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड तथा आईटीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस लिमिटेड के साथ ऋणदाताओं अर्थात् एलएडंटी इंफ्रा डेब्ट फंड लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड एवं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कंपनी के प्रतिस्थापन का अनुमोदन मांगने के लिएविद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 17 के अधीन याचिका	27 जून, 2018	विविध याचिका
57	85/टीटी/2017	28 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	टैरिफ ब्लॉक 2014–19 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी (भाग–क) की विंध्याचल–V (500 मेगावाट) परियोजना से संबंधित पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ति–1 (एनटी. वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.06.2017) – संबद्ध बे के साथ विध्यांचल पूलिंग स्टेशन पर 1x500 एमवीए, 765/400 किलोवाट ICT के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	27 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
58	149/टीटी/2017	19 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्तिः उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन हमीरपुर (220 किलोवाट हमीरपुर–जालंधर टीध्एल के प्रथम सीकेटी के लीलो के रूप में प्रयोग किए जाने) पर 220 किलोवाट जालंधर–हमीरपुर लाईन की बंधन मुक्ति हेतु 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ तथा टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	28 जून, 2018	पारेषण टैरिफ

59	110/टीटी/2017	23 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में ''अंतरराज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ कुदनकुलम 3 व 4 (2x1000 मेगावाट) के लिए संयोजकता के अधीन टुटीकोरिन पूलिंग स्टेशन पर संबद्ध बे के साथ टुटीकोरिन पूलिगं स्टेशन को कुदनकुलम एपीपी – तिरुनेल्वेली 400 किलोवाट (क्वॉड) डी/सी के विस्तार'' के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविवाआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	29 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
60	133/टीटी/2017	1 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	अनंतपुर जिला, आंध्रा प्रदेश – भाग क (फेस– I) में अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन एनपी कुंता पूलिंग स्टेशन पर 100 एमवीएआर स्टेटकॉम के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.04.2017)	29 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
61	175/टीटी/2017	21 जुलाई 2017	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2014 की धारा 62 एवं 79 के साथ पठित केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम–6 के अधीन निम्न के अवधारण के लिए अनुमोदनः (प) टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए टैरिफ अवधारण 100 किलोवाट मंडौला–बवाना डबल बज. तथा 400 किलोवाट बल्लभगढ़ डबल बज. पारेषण लाईनें।	29 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
62	61/जीटी/2016	1 अप्रैल, 2016	जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड	ओड़िशा वितरण कंपनियों के लिए विद्युत खरीद हेतु ओड़िशा सरकार के मनोनीत के रूप में कार्यरत ळत्प्क्ब् को जीएमआर–कमलांगा एनर्जी लिमिटेड के 3 ग 350 मेगावाट कमलांगा थर्मल पावर प्लांट से 262.5 मेगावाट सकल क्षमता बिक्री के संबंध में 01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण तथा 31.03.2014 तक सीओडी से उत्पादन टैरिफ के ट्रइंग–अप के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 79(1)(क) के अधीन याचिका	29 जून, 2018	उत्पादन टैरिफ

63	196/टीटी/2017	31 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए मुंद्रा यूएमपीपी (भाग–क) के साथ जुड़े पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन 400 किलोवाट बचाऊ एसध्एस – वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि – 01.10.2017 (प्रत्याशित) के विस्तार के साथ बचाऊ सब–स्टेशन पर मुंद्रा यूएमपीपी – लिम्बडी 400 किलोवाट डीध्सी लाईन (ट्रिपल स्नोबर्ड) के दोनों सर्किटों के लीलो के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन।	29 जून, 2018	पारेषण टैरिफ
64	29/एमपी/2017	17 फरवरी, 2017	जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड	सामूहिक संव्यवहार में निर्बाध पहुँच को प्रदान करने के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र, ओडिशा को उपयुक्त निर्देशनों को मांगने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ट) के साथ पठित धारा 79(1)(ग) तथा केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहूँच) विनियम, 2008 के अधीन याचिका	3 जुलाई, 2018	विविध याचिका
65	याचिका सं. 067/टीटी/2015 में 43/आरपी/2017	12 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तर पूर्वी में इंटरकनेक्टर – I उत्तर–पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी, उत्तरी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के साथ जुड़े पारेषण प्रणाली के अधीन i) आस्ति– I (एचवीडीसी अंश), ii) प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 31.03.2015 से 31.03.2019 तक से संयुक्त आस्ति II (एसी अंश) के लिए पारेषण टैरिफ अवधारण के मामले में याचिका सं. 67/टीटी/2015 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 31/08/2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	3 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
66	याचिका सं. 208/टीटी/2016 में 6/आरपी/2018	5 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 208/टीटी/2016 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 22.11. 2017 के अंतिम आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	4 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
67	11/टीटी/2018	23 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	ब्लॉक 2014–19 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र के एसएलडीसी पर एससीएडीए / ईएमएस प्रणाली के विस्तार / उन्नयन के अधीन आस्ति–1–छत्तीसगढ़ (सीएसपीटीसीएल) के मेन तथा बैकअप एसएलडीसी के लिए एससीएडीए / ईएमएस प्रणालियों, आस्ति–2–गोवा विद्युत विभाग (जीईडी) के मेन तथा बैकअप एसएलडीसी के लिए एससीएडीए/ईएमएस प्रणालियों, आस्ति–3–गुजरात (गेट्को) के मेन तथा बैकअप एसएलडीसी तथा सब–एलडीसी का एससीएडीए / ईएमएस प्रणाली उन्नयन,	4 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

				आस्ति–4– मध्य प्रदेश (एमपीपीटीसीएल) के मेन तथा बैकअप एसएलडीसी तथा सब–एलडीसी का एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली उन्नयन, आस्ति–5– दमन और दीयू (डीडीईडी) के मेन तथा बैकअप एसएलडीसी तथा सब–एलडीसी का एससीएडीए / ईएमएस प्रणाली उन्नयन तथा आस्ति–6– दादरा और नगर हवेली (डीएनएचईडी) के मेन तथा बैकअप एसएलडीसी तथा सब–एलडीसी का एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली उन्नयन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन		
68	157/टीटी/2017	4 जुलाई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(क) संबद्ध बे के साथ महेश्वरम् पूलिंग स्टेशन पर हैदराबाद–कुर्नूल 400 किलोवाट एसध्सी लाईन की लीलो (ख) हैदारबाद (महेश्वरम्) पूलिंग स्टेशन से संबद्ध सब–स्टेशन वर्क्स के अधीन महेश्वरम् पूलिंग स्टेशन पर संबद्ध बे के साथ 2X1500 एमवीए 765/400 किलोवाट ट्रांसफार्मर्स तथा दो 240 एमवीएआर 765 किलोवाट के साथ हैदारबाद (महेश्वरम्) पर 765/400 किलोवाट जीआईएस पूलिंग स्टेशन का निर्माण पारेषण आस्ति के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	5 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
69	याचिका सं. 154/एमपी/2015 में 35/आरपी/2017	4 सितम्बर, 2017	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	याचिका सं. 154/एमपी/2015 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 31.07.2017 के आदेश के पुनरीक्षण हेतु याचिका	5 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
70	58/टीटी/2017	15 दिसम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	एसआरएसएस XXIII के अधीन आस्तियाँ	5 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
71	याचिका सं. 213/टीटी/2016 में 41/आरपी/2017	23 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. एवं अन्य शीर्षक याचिका सं. 213/टीटी/2016 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 07.09.2017 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	6 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका

72	60/टीटी/2018	22 दिसम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए ट्रइंग vi पारेषण टैरिफ तथा (ii) उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII के अधीन संबध पर संबद्ध बे तथा तीन 220 किलोवाट लाईन बे के साथ दोनों सिरों पर बे, एक 315 एमवीए, 400/220 किलोवाट ICT–I के साथ 400 किलोवाट डी/सी किशनपुर–संबा पारेषण लाईन आस्ति के लिए टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	6 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
73	249/टीटी/2017	17 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में मणिपुरी तथा सिकार पर परिणमन क्षमता की वृद्धि के अधीन आस्ति –I: दो 220 किलोवाट लाईन बे के साथ संबद्ध बे के साथ 1X500 एमवीए, 400/220/33 किलोवाट ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ 400/220 किलोवाट सिकार सब–स्टेशन का विस्तार तथा आस्ति–II: दो 220 किलोवाट लाईन बे के साथ संबद्ध बे तथा 1X500 एमवीए, 400/220/33 किलोवाट ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ 400/220 किलोवाट मणिपुरी सब–स्टेशन का विस्तार के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम ‟ 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम ‟2014 के अधीन अनुमोदन	6 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
74	215/टीटी/2016	20 अक्तूबर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति–1) नरेन्द्र (नवीन) – मधुगिरी (तुमकुर) 765 किलोवाट डी/सी लाईन (400 किलोवाट पर प्रारंभिक चार्ज) के लिए नरेन्द्र (नवीन) पर 2 नं. 400 किलोवाट लाईन बे, मधुगिरी (तुमकुर) पर 2 नं. 400 किलोवाट लाईन बे, नरेन्द्र (नवीन) पर 2X63 एमवीएआर (आबद्ध) लाईन रिएक्टर (600 ओएचएम एनजीआर के साथ) एवं मधुगिरी (तुमकुर) पर 2X63 एमवीएआर (आबद्ध) लाईन रिएक्टर (600 ओएचएम एनजीआर के साथ), आस्ति–2) मधुगिरी (तुमकुर) – बिदाड़ी 400 किलोवाट डी/सी (क्वाड) लाईन के लिए मधुगिरी (तुमकुर) पर 2 नं. 400 किलोवाट लाईन बे तथा आस्ति–3) दक्षिणी क्षेत्र में एनटीपीसी लिमिटेड के कुदगी टीपीएस (फेस 1 में 3 X 800 मेगावाट) से विद्युत के निष्क्रमण के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली से संबद्ध सबस्टेशन विस्तार कार्य के अधीन मधुगिरी (तुमकुर) – बिदाड़ी 400 किलोवाट डी/सी (क्वाड) लाईन के लिए बिदाड़ी पर 2 नं. 400 किलोवाट लाईन बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन)	9 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

				विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन		
75	32/एमपी/2018	24 जनवरी, 2018	एनएलसी इंडिया लि. (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.)	दिनांक 01.01.2012 से एनएलसीआईएल खानों के कर्मचारियों (गैर–कार्यकारी व कामगार) को वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य वेतन वृद्धियों के कारण ओएंडएम खर्चों में एनएलसीआईएल खानों में वृद्धि – वर्ष 2012–14 के लिए एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों के हितधारकों से वसूली – प्रस्तुत की गई विविध याचिका	9 जुलाई, 2018	विविध याचिका
76	108/टीटी/2017	11 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र योजना में एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार माइक्रोवेव लिंकों के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन आस्ति I: मौजूदा माइक्रोवेव (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.04.2012) के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के **1099-803** किमी, आस्ति II: मौजूदा माइक्रोवेव (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.01.2013) के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के **1628-966** किमी, आस्ति III: मौजूदा माइक्रोवेव (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.04.2013) के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के **493-064** किमी, आस्ति IV: मौजूदा माइक्रोवेव (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.10.2013) के स्थान पर फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के **530-621** किमी के i) 2009–14 ब्लॉक के लिए ट्रूड अप फीस एवं प्रभारों ii) 2014–19 ब्लॉक अवधि के लिए फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप–धारा (4) तथा धारा 79(1)(घ) तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के अधीन अनुमोदन हेतु विविध याचिका	9 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
77	156/टीटी/2017	30 जून, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में "महेश्वरम् (हैदराबाद) 765/400 किलोवाट पूलिंग स्टेशन के लिए स्कीम संयोजकता लाईनों के लिए लाईन बे प्रदान करने" के अधीन आस्ति–I: निजामाबाद–येदुमेलारम (शंकरपल्ली) 400 किलोवाट डी/सी लाईन की समाप्ति के लिए निजामाबाद बे पर 400 किलोवाट जीआईएस लाईन बे के 2 नं. तथा आस्ति–II: महेश्वरम् (पीजी) महबूब नगर 400 किलोवाट डी/सी पारेषण लाईन की समाप्ति के लिए : महेश्वरम् (पीजी) पर 400 किलोवाट जीआईएस लाईन बे के 2 नं. के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	9 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

78	93/एमपी/2017	4 अप्रैल, 2017	केरला स्टेट विद्युत बोर्ड लि.	माननीय केविविआ द्वारा अनुमोदित मासिक ऊर्जा बिलों में अन्य प्रभारों के दावों तथा वार्षिक स्थाई लागत के दावों से अधिक पर स्पष्टीकरण मांगते हुए याचिका	11 जुलाई, 2018	विविध याचिका
79	याचिका सं. 218/टीटी/2016 में 42/आरपी/2017	25 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. बनाम मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. एवं अन्य शीर्षक याचिका सं. 218/टीटी/2016 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 18.09.2017 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	11 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
80	74/एमपी/2018	5 फरवरी, 2018	एसजेवीएन लिमिटेड	केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के विनियम 6.5(12) के अनुसार ओवरलोड क्षमता सहित स्थापित क्षमता के तदनुसार नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 250 मेगावाट) तथा रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन (6 x 68.67 मेगावाट) की घोषित क्षमता पर विचार	11 जुलाई, 2018	विविध याचिका
81	79/टीटी/2018	12 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ (आईपीपी डी) में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए प.क्षे. के पश्चिमी भाग में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन आस्ति क: 765/400 किलोवाट वर्धा सबस्टेशन पर बस रिएक्टर–1 के रूप में चार्ज किए जाने वाले 3x110 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टरय आस्ति ख: 765/400 किलोवाट वर्धा सबस्टेशन पर बस रिएक्टर 2 के रूप में चार्ज किए जाने वाले 3x110 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टरय आस्ति ग: औरंगाबाद सबस्टेशन पर 3x80 एमवीएआर 765 किलोवाट बस रिएक्टर तथा आस्ति घ: औरंगाबाद सबस्टेशन पर 765ध्400 किलोवाट 1500 एमवीए आईसीटी–2 के लिए प) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा पप) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	11 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

82	याचिका सं. 128/एमपी/2016 में 1/आरपी/2018	1 दिसम्बर, 2017	एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लि.	याचिका सं. 128/एमपी/2016 में दिनांक 12.10.2017 के आदेश के संशोधन के लिए पुनरीक्षण याचिका	11 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
83	97/एटी/2018	20 मार्च, 2018	गोआ–तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लि.	गोआ तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लि. द्वारा निर्माण किए जा रहे पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियम आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के अधीन आवेदन	13 जुलाई, 2018	टैरिफ का अंगीकार
84	48/टीडी/2018	25 जनवरी, 2018	एनएलसी इंडिया लि. (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.)	केविविआ (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 तथा इसके संशोधनों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14(ग) के अधीन अंतर–राज्यिक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति मांगते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन	13 जुलाई, 2018	व्यापार
85	112/एमपी/2018	29 मार्च, 2018	भोपाल धूले ट्रांसमिशन कंपनी लि.	भोपाल–धुले पारेषण कंपनी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही धुले पर निम्नलिखित पारेषण लाईनोः भोपाल–इंदौर 765 किलोवाट एसध्सी पारेषण लाईन से जबलपुर–भोपाल 765 किलोवाट एस/सी पारेषण लाईनय भोपाल–भोपाल 400 किलोवाट डी/सी पारेषण लाईनय औरंगाबाद–धुले 765 किलोवाट एस/सी पारेषण लाईनय धुले–वड़ोदरा 765 किलोवाट एस/सी पारेषण लाईन तथा धुले–धुले 400 किलोवाट डीध्सी लाईन तथा सबस्टेशनों के लिए बंधक सम्पत्तियों तथा परियोजना आस्तियों के गिरवी / भाराक्रांति / अधिन्यास के माध्यम से डिबेंचर होल्डरों तथा बंधक के अनुबंध–विलेख के अनुसरण में उनके किसी परवर्ती अंतरिती, नियुक्तों, नोवाटियों के लिए तथा सुरक्षा निर्माण करने वाले अन्य दस्तावेजोंधवित्तीय करारों तथा साथ ही आगामी संव्यवहारों के पुनर्वित्त के लाभ हेतु कार्यकारी याचिकाकर्ता नं. 2 अर्थात् डिबेंचर ट्रस्टी के पक्ष में याचिकाकर्ता नं. 1 की सभी चल तथा अचल आस्तियों सहित सभी आस्तियों पर सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) एवं 17(4) के अधीन अनुमोदन हेतु याचिका	13 जुलाई,	विविध याचिका
86	95/टीएल/2018	20 मार्च, 2018	गोआ–तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लि.	गोआ–तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लि. को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15(1) के साथ पठित धारा 14 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के अधीन आवेदन	13 जुलाई, 2018	व्यापार अनुज्ञप्ति

87	7/एसएम/2018	13 जुलाई, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	थर्मल/हाइड्रो के लिए 05–मिनट शेड्यूलिंग, मीटरिंग, अकाउंटिंग तथा समाधान पर तथा हाइड्रो जैसे फास्ट रिस्पोंस एनसिलियरी सर्विसेज (एफआरएएस) पर पायलट प्रोजेक्ट	16 जुलाई, 2018	स्वप्रेरणा से
88	याचिका सं. 87/टीटी/2017 में 2/आरपी/2018	14 दिसम्बर, 2017	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2009 तथा (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 के अनुसार संपर्क पारेषण प्रभारों के बिंदु के प्राक्कलन में दो 400 किलोवाट लाइनों अर्थात् 400 किलोवाट सियोनी (मप्र)–सरनी (मप्र) लाईन तथा 400 किलोवाट सियोनी (मप्र)–भिलाई (छत्तीसगढ़) लाईन के समावेश हेतु याचिका सं. 217/टीटी/2013 के अधीन माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के दिनांक 15.10.2015 के आदेश की निरंतरता में विद्युत को मानी जाने वाली आईएसटीएस लाइनों के रूप में सूचित करते हुए याचिकाकर्ता (एमपीपीटीसीएल) से संबंधित पारेषण लाइनों के लिए पारेषण टैरिफ	16 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
89	याचिका सं. 26/टीटी/2017 में 47/आरपी/2017	1 दिसम्बर, 2017	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.	याचिका सं. 26/टीटी/2017 में पारित दिनांक 18.10.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर, 1907 के आदेश 47 नियम 1 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	18 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
90	याचिका सं. 114/एमपी/2017 में 14/आरपी/2018	10 जनवरी 2018	गाटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	तीस्ता वैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा तीस्ता III – किशनगंज 400 किलोवाट डीध्सी क्वॉड मूस लाईन का निर्माण तथा समापन को लंबित रखते हुए पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सिक्किम qua तीस्ता–V–400 किलोवाट लाईन अर्थात् रैंग्पो – सिलिगुड़ी 400 किलोवाट डीध्सी लाईन अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली में उत्पादन परियोजनाओं को पारेषण क्षमता आबंटन के मामले में याचिका सं. 114/एमपी/2017 में इस माननीय आयोग द्वारा दिनांक 22.06.2017 के आदेश का पुनरीक्षणध्संशोधन मांगते हुए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन एक याचिका	18 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका

91	31/एमपी/2018	24 जनवरी, 2018	एनएलसी इंडिया लि. (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.)	01.01.2012 से एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों के कर्मचारियों (गैर–कार्यकारियों एवं कामगारों) को वेतन पुनरीक्षण तथा अन्य वेतन वृद्धि के कारण ओ एंड एम व्ययों में एनएलसीआईएल – थर्मल की वृद्धि – वर्ष 2012–14 के लिए एनएलसीआईएल पावर स्टेशनों के लाभार्थियों से वसूली – विविध याचिका – प्रस्तुत करने के संबंध में	18 जुलाई, 2018	विविध याचिका
92	230/टीटी/2016	1 नवम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा दक्षिणी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में श्रीकाकुलम क्षेत्र–भाग–क में एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड LTOA उत्पादन परियोजनाओं के साथ जुड़ी सामान्य प्रणाली के अंतर्गत 765 किलोवाट डी/सी श्रीकोकुलम अंगुल ट्रांसमिशन लाईन के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31–03–2019 तक केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	19 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
93	याचिका सं. 272/टीटी/2015 में 45/आरपी/2017	3 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 272/टीटी/2015 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 20.09. 2017 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	19 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
94	45/टीटी/2017	14 दिसम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पारेषण आस्ति (क) संबद्ध बे के साथ वेमागिरी पूलिंग स्टेशन पर गाजुवाका – विजयवाड़ा 400 किलोवाट एसध्सी लाईन का लीलो तथा (ख) पूर्वी क्षेत्र से विद्युत के आयात के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के साथ संबद्ध सब–स्टेशन कार्यों के अधीन श्रीनाकुलम पीएस – वेमागिरी पीएस 765 किलोवाट डी/सी लाईन के दोनों सर्किटों के लिए वेमागिरी तथा श्रीनाकुलम पूलिंग स्टेशनों, प्रत्येक पर, 1 नं. 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 2 नं. 765 किलोवाट बे तथा वेमागिरी पर 2x1500 एमवीए 765/400 किलोवाट ट्रांसफार्मरों, 2 नं. 240 एमवीएआर 765 किलोवाट तथा 1 नं 80 एमवीएआर 400 किलोवाट के साथ वेमागिरी पर 765/400 किलोवाट जीआईएस पूलिंग स्टेशन के निर्माण के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	19 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

95	4/टीटी/2018	12 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	एनआरएसएस XXIX के टैरिफ का अनुमोदन	19 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
96	212/टीटी/2017	1 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार योजना (पावरग्रिड अंश अर्थात् संचार प्रणाली अंश तथा पोसोको के निर्माण के बाद याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए एसएलडीसी प्रणाली) के लिए एसएलडीसी के एससीएडीए/इएमएस प्रणालियों के बढ़े हुए मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए 2014–19 ब्लॉक अवधि के लिए फीस एवं प्रभारों के संशोधन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप–धारा (4) के अधीन अनुमोदन हेतु पुनरीक्षित/नई याचिका	19 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
97	याचिका सं. 32/एमपी/2017 में 3/आरपी/2018	17 नवम्बर, 2017	हिमाचल सोरंग पावर प्रा. लिमिटेड	याचिका सं. 32/एमपी/2017 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 26.09.2017 के लगाए हुए आदेश के पुनरीक्षण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1) के अधीन याचिका	19 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
98	116/टीटी/2017	13 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति–I: दोनों सिरों पर (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.06.2017) पर संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट लखनऊ–कानपुर (नवीन) डी/सी पारेषण लाईन, आस्ति–II: 500 एमवीए ICT–III (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 30.04.2017) स्थापित करने द्वारा 400/220 किलोवाट बल्लभगढ़ सब–स्टेशन पर पारेषण क्षमता की वृद्धि, आस्ति–III: 500 एमवीए ICT-IV (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 31.05.2017) स्थापित करने द्वारा 400/220 किलोवाट बल्लभगढ़ सब–स्टेशन पर पारेषण क्षमता की वृद्धि, आस्ति–V: 400/220 किलोवाट जीआईएस गुड़गांव (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 30.05.2017) पर 500 एमवीए ICT (तृतीय) द्वारा पारेषण क्षमता की वृद्धि, आस्ति V: उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस–XXXII के अधीन 2 नं. 220 किलोवाट बे (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.06.2017) तथा संबद्ध बे के साथ 7*105 एमवीए प्ब्ज के साथ जीआईएस पार्बती पूलिंग स्टेशन के विस्तार के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	20 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

99	याचिका सं टीटी/411/2014 में 52/आरपी/2016	14 सितम्बर, 2016	पार्बती कोदलम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन "पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं अन्य" शीर्षक याचिका सं. 411/टीटी/2014 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 30.07.2016 के आदेश के पुनरीक्षण मामले में पुनरीक्षण याचिका	20 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
100	229/एमपी/2017	5 अक्तूबर, 2017	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	पावर कंपनी ऑफ कर्नाटका लि. द्वारा आरंभ किए गए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया आधारित टैरिफ के अनुसार विद्युत की खरीद के संबंध में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. तथा पावर कंपनी ऑफ कर्नाटका लि. के बीच विवादों का अधिनिर्णय	20 जुलाई, 2018	विविध याचिका
101	82/टीटी/2018	3 जनवरी 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति– I: संबद्ध बे के साथ सितारगंज पर 220 किलोवाट टनकपुर–बरेली पारेषण लाईन (सीकेटी– I I) की लीलो (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.03.2009), आस्ति– I I: संबद्ध बे के साथ सितारगंज पर 220/132, 100 एमवीए ICT– I (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.03.2009), आस्ति– I I I: संबद्ध बे के साथ सितारगंज पर 220/132, 100 एमवीए ICT– I I (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.08.2009), आस्ति– IV: संबद्ध बे के साथ पिथौरागढ़ पर 220/132, 100 एमवीए ICT– I (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.09.2010), आस्ति–V: संबद्ध बे के साथ पिथौरागढ़ पर 220/132, 100 एमवीए ICT– I I (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.12.2010), आस्ति–VA: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरांचल में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना से संबंधित संबद्ध बे (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.08.2010) के साथ पिथौरागढ़ पर धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन के एक सर्किट के लीलो के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ ट्रइंग अप तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	20 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
102	98/एमपी/2017	27 अप्रैल, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	थर्मल पावर स्टेशनों के लिए संशोधित पर्यावरण मानकों के अनुपालन को अनिवार्य करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के अनुपालन हेतु इस याचिका में विस्तृत रूप में विविध उत्सर्जन	20 जुलाई, 2018	विविध याचिका

				नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना पर व्यय के अनुमोदन हेतु केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 14(3)(ii) तथा विनियम 8(3)(ii) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका		
103	218/टीटी/2017	28 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	यूएलडीसी के एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली के बढ़े हुए मूल्यह्रास के लिए ट्रूइंग–vi हेतु अनुमोदन	20 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
104	64/टीटी/2018	20 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति I: आगरा पर संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट आगरा–सिकार (डी/सी क्वाड) लाईन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.01. 2014), आस्ति II: 400/220 किलोवाट सिकार सब–स्टेशन पर बस रिएक्टर प्रचालन मोड के अधीन 2 नं. 50 एमवीएआर लाई रिएक्टर सहित 400 किलोवाट डी/सी आगरा–सिकार लाईन के लिए 2 नं. 400 किलोवाट लाईन बे से मिलकर उत्तरी क्षेत्र में सासन तथा मुंद्रा यूएमपीपी के लिए उ.क्षे. में प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग vi पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	20 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
105	125/टीटी/2017	17 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	टैरिफ ब्लॉक 2014–19 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में लारा एसटीपीएस I (2x800 मेगावाट) उत्पादन परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन चम्पा पूलिंग स्टेशन पर संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट डीएससी (क्वॉड) लारा एसटीपीएस–I चम्पा पीएस लाईन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	20 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

106	264/टीटी/2017	31 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन (क): उत्तरी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सशक्तीकरण योजना – XXVII के अंतर्गत 400 किलोवाट एस/सी अंता–कोटा लाईन (आरवीपीएनएल के स्वामित्व वाली लाईन) के लिए कोटा सब–स्टेशन पर 400 किलोवाट अंता–बे	20 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
107	याचिका सं. टीटी/227/2014 में 46/आरपी/2017	7 नवम्बर, 2017	भोपाल धुले ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लि. एवं अन्य शीर्षक याचिका सं. 227/टीटी/2014 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 20.09.2017 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	23 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
108	207/टीटी/2017	18 जुलाई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी पारेषण प्रणाली के अंतर्गत आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	23 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
109	65/टीडी/2018	19 फरवरी, 2018	एनटीपीसी लि.	व्यापार अनुज्ञप्ति हेतु याचिका	23 जुलाई, 2018	व्यापार
110	याचिका सं. 45/जीटी/2016 में 29/आरपी/2017	10 जुलाई, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	01.04.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए ईकाई :1 (250 मेगावाट) के बोंगाईगांव थर्मल पावर स्टेशन के टैरिफ के अनुमोदन के मामले में याचिका सं. 45/जीटी/2016 में माननीय आयोग द्वारा पारित 22.05.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	23 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
111	122/एमपी/2018	11 अप्रैल, 2018	लैंको अनपरा पावर लिमिटेड	आईटी शुद्ध क्षमता का 100 प्रतिशत घोषित करने के लिए एलएपीएल को अनुमति	23 जुलाई, 2018	विविध याचिका
112	44/टीटी/2017	9 जनवरी, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–V के अधीन आस्तियों (09) के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम ‟ 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम ‟ 2014 के अधीन अनुमोदन	23 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

113	231/टीटी/2016	1 नवम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र तथा पूर्वी क्षेत्र में श्रीनाकुलम क्षेत्र–भाग–ग में ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एलटीओए उत्पादन परियोजनाओं से संबंधित सामान्य प्रणाली के अधीन श्रीनाकुलम 765 किलोवाट डीध्सी श्रीनाकुलम – अंगुल पारेषण लाईन, 2x1500एमवीए 765/400 किलोवाट ICT तथा 1x330 एमवीएआर 765 किलोवाट बस रिएक्टर के दोनों सर्किटों की समाप्ति के लिए श्रीनाकुलम एवं अंगुल प्रत्येक पर 2x240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 2 नं. 765 किलोवाट लाईन बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	23 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
114	115/टीटी/2017	27 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ अवधि 2009–14 के लिए उत्तरी ग्रिड भाग– I I के केन्द्रीय भाग हेतु 765 KV प्रणाली के अधीन आस्ति– I: झटीकरा 765/400 KV नवीन सबस्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.10.2012) पर संबद्ध बे के साथ 1500 MVA 765/400/33 KV] ICT&I] ICT&II] ICT&III एवं ICT&IV की संयुक्त आस्तियांय आस्ति– I I: मेरठ सबस्टेशन (पुनरीक्षित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.06.2013) पर संबंद्ध बे के साथ 1500 MVA 765/400/33 KV] ICT&I एवं ICT&II की संयुक्त आस्तियां य आस्ति– I I I: झटीकरा 765/400 KV नवीन सबस्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.10.2012) पर 400 KV डी/सी बामनौली–मुंडकाध्वाना के दोनों सीकेटी को लीलो हेतु संबद्ध बे; आस्ति– IV: 765/400 KV झटीकरा (नवीन) सबस्टेशन (पुनरीक्षित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.05.2013) पर बस रिएक्टर ऑपरेशन मोड के रूप में 765 KV 240 MVAr स्विचेबल लाईन रिएक्टर सहित 765 KV आगरा–झटीकरा लाईन के लिए एक सं. 765 KV लाईन बे; आस्ति–V: आगरा सबस्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.05.2013) पर (765 KV एस/सी आगरा–झटीकरा पारेषण लाईन) के लिए संबंधित लाईन बेय आस्ति–VI: 765/400/220 झट मेरठ सबस्टेशन (पुनरीक्षित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.06.2013) पर बस रिएक्टर ऑपरेशन मोड के अधीन 765 KV 240 MVAR स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 765 KV आगरा–मेरठ लाईन हेतु एक सं. 765 KV लाईन बे; आस्ति–VII: आगरा सबस्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.06.2013) पर 765 KV एस/सी	23 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

				आगर–मेरठ पारेषण लाईन के लिए संबंधित लाईन बेय आस्ति–VIII:765/400/220 KV मेरठ सबस्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.02.2013) पर संबंधित बे के साथ 765 KV 240 MVAR बस रिएक्टर; आस्ति–IX: 765/400/220 KV झटीकरा सबस्टेशन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.10.2012) पर संबंधित बे के साथ 765 KV 240 MVAR बस रिएक्टर; आस्ति–X: 765 kV झटीकरा–भिवानी लाईन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि:–01.10.2012) के लिए झटीकरा पर संबंधित बे के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन		
115	148/टीटी/2017	11 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति I: लाईन बे के साथ आगरा (पावरग्रिड) सबस्टेशन पर आगरा–भरतपुर 220 किलोवाट एस/सी लाईन तथा आगरा (पावरग्रिड) सबस्टेशन पर ICT बे के साथ 1X315 एमवीए 400/220 किलवाट ICT (बल्लभगढ़ सबस्टेशन से स्थानांतरित) का लीलो, आस्ति II: बे के साथ जालंधर (पार्वती पूलिंग स्टेशन–अमृतसर लाईन) पर 400 किलोवाट अमृतसर–हमीरपुर का लीलो, आस्ति III: कैथल सब–स्टेशन (बल्लभगढ़ से बचा हुआ ICT) पर संबद्ध बे के साथ 01X315 एमवीए, 400/220 किलोवाट ICT, आस्ति IV: कैथल सबस्टेशन पर 220 किलोवाट बे के 02 नं., आस्ति V: उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना XXXIV के अधीन भीनमल सबस्टेशन पर 220 किलोवाट लाईन बे के 02 नं. के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	23 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ
116	1/टीटी/2018	14 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पलाटाना जीबीपीपी तथा बोंगईगांव टीपीएस से संबंधित पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ति I: (i) पासीघाट तथा रोइंग सबस्टेशन पर संबद्ध बे के साथ 132 किलोवाट एस/सी (डी/सी टावर पर) पासीघाट रोइंग पारेषण लाईन, (ii) रोइंग पर संबद्ध बे के साथ 3x5 एमवीए (132/33 किलोवाट), 1–पीएच, आईसीटी– I, (iii) रोइंग पर संबद्ध बे के साथ 4x5 एमवीए (132ध्33 किलोवाट), 1–पीएच, आईसीटी– II, (iv) रोइंग पर संबद्ध बे के साथ 4x6-67 एमवीएआर, 1–पीएच, 132 किलोवाट	23 जुलाई, 2018	पारेषण टैरिफ

				बस रिएक्टर, आस्ति–।।: वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक से (i) रोइंग तथा टेजू सब–स्टेशन पर संबद्ध बे के साथ 132 किलोवाट एसध्सी (डी/सी टावर पर) रोइंग तेजू पारेषण लाईन, (ii) तेजू पर संबद्ध बे के साथ 4x6-67 एमवीएआर, 1–पीएच, 132 किलोवाट बस रिएक्टर के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन		
117	याचिका सं. एमपी/069/2014 में 9/आरपी/2018	5 फरवरी, 2018	आर्यन एम.पी. पावर जेनेरेशन प्राइवेड लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विनियम 18 के अधीन दिनांक 29.07.2009 के थोक विद्युत पारेषण करार के अधीन दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के त्याग के मामले में याचिका सं. 69/एमपी/2014 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 31.10.2017 के आदेश का पुनरीक्षण मांगने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	23 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
118	याचिका सं. जीटी/255/2014 में 27/आरपी/2017	27 जून, 2017	एनएलसी इंडिया लि. (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.)	2014–19 की अवधि के लिए एनएलसी इंडिया लि. के बारसिंगार थर्मल पावर प्लांट (2 X 125 मेगावाट) आधारित सर्कयूलेटिंग फ्लूडाइजड बेड कम्बस्शन (सीएफबीसी) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित मामले में याचिका सं. 255/जीटी/2014 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 03.05.2017 के आदेश के पनुरीक्षण हेतु याचिका	23 जुलाई, 2018	पुनरीक्षण याचिका
119	30/एमपी/2018	22 जनवरी, 2018	अदानी ग्रीन एनर्जी (एमपी) लिमिटेड	गुजरात के कच्छ जिले में दयापर पर याचिकाकर्ता की प्रस्तावित पवन परियोजना द्वारा खावदा पर मै. एजीईएल (याचिकाकर्ता की मूल कंपनी) को प्रदान की गई संयोजकता के उपयोग को गलत ढंग से नकारते हुए प्रतिवादी के दिनांक 22.11.2017 के पत्र के विरुद्ध केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 32 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) व (च) तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	30 जुलाई, 2018	विविध याचिका

120	216/आरसी/2017	21 फरवरी, 2017	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि. पर ई–सर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स् संव्यवहारों के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों के एक्सचेंज के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016 के संबंध में उपनियमों, नियमों एवं व्यवसाय नियमों के संशोधन का अनुमोदन मांगने के लिए याचिका	8 अगस्त, 2018	विनियामक अनुपालन
121	34/टीडी/2017	22 फरवरी, 2017	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि.	श्रेणी – 1 के लिए अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु आवेदन	अगस्त 8, 2018	व्यापार
122	216/एमपी/2018	23 जुलाई, 2018	आधुनिक पावर एंड नैचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी शक्ति स्कीम–2017 के अंतर्गत टैरिफ में छूट देने के लिए याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी के बीच निष्पादित दिनांक 15.02.2018 के अनुपूरक पावर पर्चेज करार का अनुमोदन मांगने हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के साथ पठित धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	10 अगस्त, 2018	विविध याचिका
123	35/एमपी/2017	21 फरवरी, 2017	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि. की विंटेज ईकाइयों के लिए आरजीएमओ / एफजीएमओ के कार्यान्वयन की आवश्यकता के संबंध में विनियम 5.2(च) की छूट मांगने के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के भाग 7 के विनियम (4) के अधीन याचिका	20 अगस्त, 2018	विविध याचिका
124	14/एमपी/2017	19 जनवरी, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के स्टेज II को प्रभावित करते हुए विधि में परिवर्तन के कारण राहत के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	21 अगस्त, 2018	विविध याचिका
125	94/टीएल/2018	16 मार्च 2018	फतेहगढ़–भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	फतेहगढ़–भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–14, 15, 79(1)(R) के अधीन आवेदन	27 अगस्त, 2018	पारेषण अनुज्ञप्ति

126	119/टीएल/2018	5 अप्रैल, 2018	डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को पारेषण अनुज्ञप्ति के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–14 के अधीन आवेदन	27 अगस्त, 2018	पारेषण अनुज्ञप्ति
127	एमपी/024/2014	19 फरवरी, 2014	अदानी पावर लि.	इंडोनेशिया सरकार द्वारा विनियमित नवीन कोयला कीमत के अधिनियमन सहित अभूतपूर्व, अप्रत्याशित तथा अनियंत्रित घटनाओं के कारण याचिकाकर्ताओं को व्यावसायिक तौर पर अलाभकारी पावर प्लांट देने के अनुवर्ती प्रसंगों के कारण एक तंत्र विकसित करने/टैरिफ के समाशोधन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	27 अगस्त, 2018	विविध याचिका
128	93/एटी/2018	16 मार्च 2018	फतेहगढ़–भादला ट्रांसमिशन लि.	फतेहगढ़–भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	27 अगस्त, 2018	टैरिफ का अंगीकार
129	57/एमपी/2018	12 फरवरी, 2018	दक्षिण क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	2016–17 दक्षेभाप्रेके के लिए पीएलआई याचिका	28 अगस्त, 2018	विविध याचिका
130	55/एमपी/2018	7 फरवरी, 2018	पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	01.04.2014 से 31.03.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए पूक्षेभाप्रेके प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए आवेदन	28 अगस्त, 2018	विविध याचिका
131	69/एमपी/2018	25 जनवरी, 2018	एमप्लस एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	विविध याचिका	30 अगस्त, 2018	विविध याचिका
132	44/टीडी/2018	29 जनवरी, 2018	रिफेक्स एनर्जी लिमिटेड	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 तथा के अधीन व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन	4 सितम्बर, 2018	व्यापार
133	245/टीटी/2017	10 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2014–19 की अवधि के लिए दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XIII के साथ जुड़े पारेषण प्रणाली के अंतर्गत याचिका सं. 54/आरपी/2016 में दिनांक 18.07.2017 के आदेश द्वारा माननीय आयोग के निदेशानुसार पारेषण टैरिफ तथा अतएव पूंजीगत लागत के द्विभाजन पर मधुगिरी सब–स्टेशन पर डाउनस्ट्रीम बे के साथ गूटी–मधुगिरी 400 किलोवाट डी/सी लाईन तथा 2x500 एमवीए ट्रांसफॉर्मर्स के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अर्थात् 01.12.2015 से 31.03.2019 तक से पारेषण टैरिफ का अनुमोदन	4 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

134	9/टीटी/2018	19 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	विंध्यांचल – IV की पारेषण प्रणाली एवं रिहंद – III {1000 मेगावाट} उत्पादन परियोजना की आस्तियों क. याचिका सं. 86/टीटी/2012 में केविविआ के दिनांक 04.09.2014 के आदेश में कवर की गई ख. याचिका सं. 113/टीटी/2013 में केविविआ के दिनांक 18.03.2016 के आदेश में कवर की गई ग. याचिका सं. 295/टीटी/2013 में केविविआ के दिनांक 17.07.2015 के आदेश में कवर की गई घ. याचिका सं. 192/टीटी/2014 में केविविआ के दिनांक 31.12.2015 के आदेश में कवर की गई, के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	5 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
135	123/टीटी/2017	31 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में सिक्किम उत्पादन परियोजनाओं – भाग ख के अंतर्गत रंगपो सब–स्टेशन पर रंगपो तथा संबंधित बे पर 400 किलोवाट डी/सी तीस्ता III – किशनगंज लाईन (LILO–I) के एक बाज की आस्तिः लीलो के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	5 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
136	136/एमपी/2018	25 अप्रैल, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारत सरकार से रंगिया एस/एस पर 132 किलोवाट एसध्सी दियोथांग रंगिया पारेषण लाईन तथा संबंद्ध बे का भारतीय हिस्सा नामक आस्तियों को अधिकार में लेने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन याचिका	5 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
137	120/एटी/2018	5 अप्रैल, 2018	डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	डब्ल्यूआर–एनआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक) द्वारा निर्माण की जा रही पारेषण प्रणाली के संबंध में पारेषण प्रभारों के अंगीकरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन आवेदन	5 सितम्बर, 2018	टैरिफ का अंगीकार

138	165/जीटी/2017	26 जुलाई, 2017	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	01.04.2011 से 31.03.2014 की अवधि के लिए कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (केएचईपी) (4X100 मेगावाट) के टैरिफ निर्माण का अनुमोदन	5 सितम्बर, 2018	उत्पादन टैरिफ
139	134/एमपी/2018	27 अप्रैल, 2018	जिंदल पॉली फिल्मस् लिमिटेड	अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के श्रेणी–I से श्रेणी–3 में पदावनति के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के तृतीय एवं चतुर्थ परंतुक से विनियम 7(ख) के अधीन याचिका	7 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
140	274/एमपी/2018	24 अगस्त, 2018	एनटीपीसी लि.	लारा एसटीपीपी (2 X 800 मेगावाट) के लिए 07.09.2018 के बाद ग्रिड के साथ विद्युत के बदलाव का विस्तार मांगना	7 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
141	252/एमपी/2018	10 अगस्त, 2018	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	थमिनापट्नम, चिलाकूर (मंदालम), एसपीएसआर नेल्लोर, आंध्र प्रदेश राज्य के समीप मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड की फेस II (ईकाई III) थर्मल विद्युत परियोजना को प्रवर्तने में लाने तथा टेस्टिंग के लिए अस्थाई विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त छह महीने की अवधि अर्थात् 10.08.2018 से 09.02.2019 तक का विस्तार मांगने हेतु अनुमति मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ज) के साथ धारा 79(1)(ट) के अधीन याचिका	10 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
142	77/एमपी/2016	10 मई, 2016	कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड	प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा–निर्देशों के खंड 4.7 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के साथ पठित दिनांक 22.04.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के अधीन याचिका	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
143	25/टीटी/2018	23 अगस्त, 2017	ओड़िशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 तथा उसमें किए गए संशोधन के अनुसार प्वाइंट ऑफ कनेक्शन में समावेश के लिए याचिका सं. 07/एस एम/2017 में माननीय आयोग के दिनांक 12.05.2017 के आदेश के अनुसार प्वाइंट ऑफ कनेक्शन प्रभारों एवं हानियों की संगणना में पारेषण आस्तियों के समावेश के लिए टैरिफ के अनुमोदन हेतु याचिका	17 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

144	145/एमपी/2013	23 जुलाई, 2013	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	विद्युत क्रय करारों (पूरक) से उत्पन्न होने वाले विवादों का अधिनिर्णय	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
145	235/एमपी/2015	16 अक्तूबर, 2015	अदानी पावर लिमिटेड	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. के साथ अदानी पावर लिमिटेड द्वारा निष्पादित दिनांक 02.02.2007 तथा 06.02.2007 के विद्युत क्रय करार तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के साथ अदानी पावर लिमिटेड द्वारा निष्पादित दिनांक 07.08.2008 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
146	143/एमपी/2017	28 जून, 2017	केरला राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	राज्य आयोग के दिनांक 27.04.2017 के आदेश से के.स्टे.वि.बो.लि. के सम्मुख आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए याचिका सं. 269/जीटी/2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पारित दिनांक 27.10.2016 के आदेश का पुनरीक्षण मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 54 तथा 55 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क), 79(1)(च) तथा 94(1)(च) के अधीन याचिका	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
147	158/एमपी/2017	12 जुलाई, 2017	टाटा पावर व्यापार कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता सं. 1 तथा प्रतिवादी के बीच निष्पादित दिनांक 22.12.2015 के NIT के निबंधनों के साथ पठित दिनांक 18.01.2016 के LOA के निबंधनों के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित प्रसंग के कारण प्रतिपूर्ति के दावों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
148	109/एमपी/2017	29 मई, 2017	पैट्रॉन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 155/एमपी/2016 में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) तथा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 142 तथा कारोबार का संचालन विनियम, 1999 के विनियम 119 के अधीन याचिका	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
149	179/एमपी/2018	3 मई, 2018	ऐस्सार पावर एम.पी. लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक और मध्यकालिक निर्बाध पहुँच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2017 के अनुसार याचिकाकर्ता के उत्पादन स्टेशन के ईकाई–2 के टेस्टिंग हेतु अस्थिर विद्युत के बदलाव के लिए समय तथा पूर्ण भार परीक्षण संचालन के लिए समय का विस्तार	17 सितम्बर, 2018	विविध याचिका

150	176/टीटी/2017	24 जुलाई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति– I: विजयवाड़ा सबस्टेशन पर संबद्ध बे तथा उपकरणों के साथ 01x125 एमवीएआर 400 किलोवाट बस रिएक्टर–3, हैदराबाद (घानापुर) तथा विजयवाड़ा सबस्टेशन प्रत्येक पर संबद्ध बे तथा उपकरणों के साथ 01x500 एमवीए 400/220/33 किलोवाट ICT-3 आस्ति– II: विजयवाड़ा सबस्टेशन पर संबद्ध बे के साथ 01x125 एमवीएआर 400 किलोवाट बस रिएक्टर–4, आस्ति– III: पुगलूर सब–स्टेशन पर संबद्ध बे तथा उपकरणों के साथ 1x500 एमवीए, 400/220/33 किलोवाट आईसीटी आस्ति– IV: ईलापल्ली (पलाक्कड) मादकाथरा (उत्तर त्रिसूर) 400 किलोवाट डीध्सी लाईन के दोनों सर्किटों पर मादकाथरा सिरे पर 50एमवीएआर लाईन रिएक्टरों का आवश्यक स्विचिंग व्यवस्था प्रदान करने द्वारा स्विचेबल रिएक्टर में परिवर्तन आस्ति–V: त्रिचि पर संबद्ध बे तथा उपकरणों के साथ 1x500 एमवीए, 400/220/33 किलोवाट ICT आस्ति – VA: दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XX के अधीन नरेन्द्र सबस्टेशन पर 2x500 एमवीए ट्रांसफार्मरों से मौजूदा 2x315 एमवीए 400/220 किलोवाट ट्रांसफार्मरों का प्रतिस्थापन तथा प्रतिस्थापित 2x315 एमवीए ट्रांसफार्मरों को क्षेत्रीय अतिरिक्त के रूप में उपयोग करने के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	18 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
151	104/एमपी/2018	27 मार्च, 2018	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थापित पारेषण प्रणाली के लिए याचिकाकर्ता पर प्रतिवादी सं. 1, एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा पारेषण प्रभारों की प्रत्यक्ष द्विपक्षीय बिलिंग के विरुद्ध निर्देश मांगने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग), 79(1)(च) तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	18 सितम्बर, 2018	विविध याचिका

152	273/एमपी/2018	20 अगस्त, 2018	के एस के महानदी पावर कम्पनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता को भारत (शक्ति) में कोयला उपयोग में लाने तथा पारदर्शिता से आबंटन के अनुसरण में प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ का संशोधन मांगने के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	18 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
153	24/एमपी/2017	6 फरवरी, 2017	भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड	ईकाई#1 के सीओडी की सफल घोषणा से बीआरबीसीएल के नबीनगर टीपीपी (4X250 मेगावाट) की ईकाई#1 की डीसी अथवा घोषित क्षमता को स्वीकार करने के लिए ईआरएलडीसी/ईआरपीसी को निर्देश जारी करने हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1) के अधीन याचिका	18 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
154	160/एमपी/2017	12 जुलाई, 2017	टाटा पावर व्यापार कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता सं. 2 के प्लांट से विद्युत की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता सं.1 पर प्रतिवादी द्वारा लगाए गए एलओए के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित प्रसंग के कारण प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	18 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
155	206/एमपी/2017	31 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति–I: आरएपीपी 7 एवं 8, भाग–क से संबंधित पारेषण प्रणाली के अधीन कोटा (एनटी. वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 31.08.2017) पर संबद्ध बे के साथ आरएपीपी–कोटा 400 किलोवाट डी/सी लाईन (कोटा पर एक सीकेटी लीलो के साथ आरएपीपी–जयपुर (दक्षिण) 400 किलोवाट डी/सी लाईन का भाग) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	19 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
156	22/जीटी/2017	15 दिसम्बर, 2016	भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड	2014–19 की अवधि के लिए भा.ब्या.मै.बो. उत्पादन केन्द्रों के टैरिफ का अवधारण	19 सितम्बर, 2018	उत्पादन टैरिफ
157	220/टीटी/2017	13 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में "400 किलोवाट वेमागिरी सबस्टेशन पर 400 किलोवाट बे एक्सटेंशनों में बाध्यताओं को दूर करना" के अधीन क) वेमागिरी–I (एपी) पर सिम्हाद्री–विजयवाड़ा 400 किलोवाट लाईन के एक लीलो डीध्सी भाग के दोनों सर्किटों को वेमागिरी–II (पीजी) पर संबद्ध बे के साथ वेमागिरी–II (पीजी)(डीध्सी भाग तथा मल्टी–सर्किट भाग) पर लीलो किया जाएगा, ख) वेमागिरी–I (एपी) पर सिम्हाद्री–विजयवाड़ा 400 किलोवाट लाईन के एक लीलो डीध्सी भाग के दोनों सर्किटों को वेमागिरी–II (पीजी) में लूप	19 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

				इन किया जाएगा। कोई लूप आउट नहीं होगा। वेमागिरी–। (एपी) से 400 किलोवाट डीध्सी लाईन के खुला अंश को वेमागिरी–।। (पीजी) पर संबद्ध बे के साथ के वी कोट लाईन की समाप्ति के लिए उपयोग किया जाएगा। ग) सिमहाद्री–।।–वेमागिरी–।। (पीजी) 400 किलोवाट डीध्सी लाईन पर उपयोग हेतु गाजुवाका से 63 एमवीएआर के 2 नं. का वेमागिरी–।। में स्थानांतरण पारेषण आस्ति के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03. 2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन		
158	52/एमपी/2018	30 जनवरी, 2018	एज्यूर पावर विनस प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन अर्थात् विद्युत क्रय करार की प्रभावी तिथि के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर विधियों के आरंभ के कारण राहत मांगते हुए याचिकाकर्ता तथा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निष्पादित दिनांक 21.10.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	19 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
159	259/टीटी/2017	29 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2014–19 अवधि के लिए "पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVI" के अधीन संबद्ध ICT बे के साथ सतना पर 400/220 किलोवाट 1X500 एमवीए ICT–।।। तथा सतना सब–स्टेशन पर दो 220 किलोवाट लाईन बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन।	19 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
160	50/एमपी/2018	8 फरवरी, 2018	प्रयत्न डेवेलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड	जीएसटी विधियों के अधिनियमन के कारण विधि में परिवर्तन का अनुमोदन मांगने के लिए याचिकाकर्ता तथा एनटीपीसी लि. के बीच निष्पादित दिनांक 16.09.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	19 सितम्बर, 2018	विविध याचिका

161	28/एमपी/2018	18 जनवरी, 2018	ईस्ट–नॉर्थ इंटरकनेक्शन कंपनी लिमिटेड	विधि में परिवर्तन के कारण प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पूर्वी–उत्तर इंटरकनेक्शन कंपनी लिमिटेड तथा इसके दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के बीच निष्पादित दिनांक 10.08.2009 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12 तथा वैधानिक ढांचे के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 तथा 79 के अधीन याचिका	19 सितम्बर, 2018	विविध याचिका
162	213/टीटी/2017	14 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	i) 2009–14 ब्लॉक के लिए ट्रूड अप फीस एवं प्रभार पप) 2014–19 ब्लॉक के लिए फीस एवं प्रभार पूर्वी क्षेत्र में वाईडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के अधीन फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन आस्ति–1: केन्द्रीय सेक्टर (127 किमी)(वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.11.2013) के अधीन दो ओपीजीडब्ल्यू लिंक तथा आस्ति ।।: केन्द्रीय सेक्टर (170.234 किमी)(वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.03. 2014) के अधीन तीन ओपीजीडब्ल्यू लिंक के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उपधारा (4) एवं 79(1)(घ) के अधीन अनुमोदन हेतु विविध याचिका	20 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
163	208/टीटी/2017	22 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) हैदराबाद (महेश्वरम्)–निजामबाद 765 किलोवाट डी/सी लाईन तथा (ii) दक्षिणी क्षेत्र में वर्धा हैदराबाद 765 किलोवाट लिंक के अधीन प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि यथा 01.08.2017 के साथ हैदराबाद–निजामबाद 765 किलोवाट डीध्सी लाईन के दोनों सर्किटों के लिए हैदराबाद (महेश्वरम्) एवं निजामबाद सबस्टेशन प्रत्येक पर 1 नं. 240 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 2 नं. 765 किलोवाट बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03. 2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	20 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
164	आरसी/441/2014	9 दिसम्बर, 2014	मनिकरण पावर लिमिटेड	अंतर–राज्यिक विद्युत व्यापार के लिए श्रेणी–।। व्यापार अनुज्ञप्ति से श्रेणी–। में परिवर्तन हेतु विनियामक अनुपालन	20 सितम्बर, 2018	विनियामक अनुपालन
165	248/टीटी/2017	3 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंकों के स्थान पर फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन आस्ति–।: 17 ओपीजीडब्ल्यू लिंक (759 किमी) (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.10. 2012), आस्ति ।।: 09 ओपीजीडब्ल्यू लिंक (490 किमी) (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.04.2013), आस्ति ।।।: 10 ओपीजीडब्ल्यू लिंक 440 किमी) (वाणिज्यिक प्रचालन की	20 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

				तिथिः 01.11.2013) तथा आस्ति IV: 01 डब्ल्यूबीएसईटीसीएल सेक्टर अंश ओपीजीडब्ल्यू लिंक (78.26 किमी) (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.03.2014		
166	134/टीटी/2017	28 अप्रैल, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में परिवर्तन क्षमता (भाग–1) में वृद्धि के अधीन आस्तियों के ट्रइंग–vi टैरिफ तथा टैरिफ का अनुमोदन	24 सितम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
167	118/टीटी/2017	11 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	वापी एस/एस से संबंधित बे के साथ नवासरी जीआईएस एवं 400 किलोवाट डीध्सी काकरापर एपीपी–वापी टी/एल पर संबंधित बे के साथ 400 किलोवाट डीध्सी काकरापर एपीपी–नवसारी टी/एल के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	3 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
168	191/टीटी/2017	1 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2014–19 की अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में "मौदा स्टेज–II (2 x 660 मेगावाट उत्पादन परियोजना से संबंधित पारेषण प्रणाली" के अधीन बेतुल जीआईएस पर संबद्ध बे के साथ मौदा–II बेतुल 400 किलोवाट डीध्सी (क्वाड) पारेषण लाईन – आस्ति–1 (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 01.01.2017), बेतुल जीआईएस तथा खांडवा सब–स्टेशन पर संबद्ध बे के साथ बेतुल–खांडवा 400 किलोवाट डीध्सी (क्वाड) पारेषण लाईन – आस्ति–2 (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 01.02.2017), संबद्ध बे के साथ खांडवा–इंदौर 400 किलोवाट डीध्सी पारेषण लाईन – आस्ति–3 (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 01.02.2017) तथा बेतुल पर 400ध्220 किलोवाट, 2'315 एमवीए जीआईएस का निर्माण – आस्ति–4 (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 01.02.2017) के लिए सीओडी से 31.03.2019 पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 86 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
169	5/एसएम/2018	19 अप्रैल, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	आरईसी तंत्र के लिए अनुपालन लेखा परीक्षक की सूचीबद्धता	4 अक्तूबर, 2018	स्वप्रेरणा से
170	2/एसएम/2018	1 मार्च, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017 पर	4 अक्तूबर, 2018	स्वप्रेरणा से

				आधारित नियंत्रण अवधि (2018–19) के द्वितीय वर्ष के लिए आरई टेक्नोलोजीस हेतु स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ		
171	81/एमपी/2018	1 मार्च, 2018	पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	प.क्षे.भा.प्रे.के. प्रभारों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु प.क्षे.भा.प्रे.के. के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन हेतु आवेदन	4 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
172	231/एमपी/2018	1 अगस्त, 2018	सृजन एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	याचिकाकर्ता को संयोजकता की अतिरिक्त मात्रा की वृद्धि प्रदान करने के लिए पीजीसीआईएल को निदेश देने हेतु विस्तृत क्रियाविधि की स्टेज ।। के अधीन तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 32 के अधीन याचिका	8 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
173	179/एमपी/2016	6 सितम्बर, 2016	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादी के बीच दिनांक 27.11.2013 के विद्युत क्रय करार के अधीन उत्पन्न विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	8 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
174	244/टीटी/2017	19 सितम्बर, 2017	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	220 किलोवाट डीध्सी लीलो पारेषण लाईन के साथ आस्तिः 33/220 किलोवाट, 80/100 एमवीए जीआईएस सबस्टेशन फोजल के टैरिफ अवधारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
175	80/एमपी/2018	9 फरवरी, 2018	उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. प्रभारों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन हेतु आवेदन	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
176	45/एमपी/2018	6 फरवरी, 2018	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01.04.2014 से 31.03.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए पू.क्षे.भा.प्रे. के प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पू.क्षे.भा.प्रे. के कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए आवेदन	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
177	59/टीटी/2017	24 नवम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2014–19 की टैरिफ ब्लॉक अवधि के लिए पश्चिमी क्षेत्र में सोलापुर एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) भाग–क से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन सोलापुर (पावरग्रिड) सब–स्टेशन पर संबद्ध बे के साथ सोलापुर एसटीपीपी सोलापुर (पावरग्रिड) 400 किलोवाट डी/सी (क्वॉड) द्वितीय पारेषण लाईन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ

178	13/एमपी/2018	29 दिसम्बर, 2017	एज्यूर पावर थर्टी सेवन प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन अर्थात् विद्युत क्रय करार की प्रभावी तिथि के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर विधियों के आरंभ के कारण राहत मांगते हुए याचिकाकर्ता तथा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा निष्पादित दिनांक 10.08.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
179	204/एमपी/2017	25 अगस्त, 2017	एसीएमई बाबाधाम सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड	दिनांक 22.08.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
180	231/एमपी/2017	9 अक्तूबर, 2017	एसीएमई रिवाड़ी सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड	दिनांक 24.06.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
181	233/एमपी/2017	9 अक्तूबर, 2017	एसीएमई यमुनानगर सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड	दिनांक 09.08.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
182	201/एमपी/2017	25 अगस्त, 2017	एसीएमई कैथल सोलर पावर प्राईवेट लिमिटेड	दिनांक 22.08.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
183	117/जीटी/2018	26 फरवरी, 2018	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	दिनांक 01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि के लिए कोटेश्वर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (केएचईपी) (4X100 मेगावाट) के उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	उत्पादन टैरिफ

184	2/टीटी/2018	12 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	तुमकुर (पावागड़ा), कर्नाटक – फेस–I पर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन आस्ति–1क: तुमकुर (पावागड़ा) पूलिंग स्टेशन पर 400 किलोवाट डी/सी गूटी–तुमकुर (वसंतनारसापुर) डी/सी लाईन के लीलो, आस्ति – 1ख: 1 X 500 एमवीए 400/220 किलोवाट ICT तथा 1 x 125 एमवीएआर बस रिएक्टर तथा संबद्ध बे एवं उपकरणों के साथ तुमकुर (पावागाड़ा) पर नवीन 400/220 किलोवाट पूलिंग स्टेशन, आस्ति – 2: संबद्ध बे एवं उपकरणों के साथ तुमकुर (पावागड़ा) पूलिंग स्टेशन पर 400 किलोवाट डी/सी बेलारी–तुमकुर (वसंतनारसापुर) डी/सी (क्वॉड मूस) टीएल का लीलो, आस्ति – 3: संबद्ध बे एवं उपकरणों के साथ 2 x 500 एमवीए 400/220 किलोवाट प्ब् तथा आस्ति 4: दोनों सिरों पर संबद्ध बे एवं उपकरणों के साथ तुमकुर (पावागाड़ा) पूल–हिरयूर 400 किलोवाट डीध्सी लाईन पारेषण आस्तियों के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
185	214/टीटी/2017	15 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मौजूदा एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार (यूएलडीसी) माइक्रोवेव लिंकों के स्थान पर फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के लिए प) 2009–14 ब्लॉक के लिए ट्रूड अप फीस एवं प्रभार पप) 2014–19 ब्लॉक अवधि के लिए फीस एवं प्रभार के अवधारण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप–धारा (4) तथा 79((1)(घ) तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन विविध याचिका	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
186	38/एमपी/2018	25 जनवरी, 2018	एनटीपीसी लिमिटेड	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, स्टेज–I (2X500 मेगावाट) की कट–ऑफ तिथि 31.03.2017 से 31.03.2019 का विस्तार	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
187	83/टीडी/2018	5 मार्च, 2018	जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन	9 अक्तूबर, 2018	व्यापार

188	190/एमपी/2017	19 अगस्त, 2017	एसीएमई हिसार सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 14.10.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
189	232/एमपी/2017	9 अक्तूबर, 2017	एसीएमई महबूबनगर सोलर ऊर्जा पावर प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 08.08.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
190	103/टीटी/2018	24 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए प.क्षे. तथा उ.क्षे. (भाग–क) के लिए अंतर–क्षेत्रीय प्रणाली सशक्तीकरण योजना के अधीन संबद्ध बे – वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि 25.08.2017 के साथ औरंगाबाद सब–स्टेशन पर 950 ओएचएमएस एनजीआर के साथ 2 x 240 एमवीएआर स्वीचेबल लाईन रिएक्टर के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
191	202/एमपी/2017	25 अगस्त, 2017	एसीएमई कोप्पाल सोलर ऊर्जा पावर प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 22.08.2016 के पावर पर्चेज करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
192	15/जीटी/2018	20 दिसम्बर, 2017	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सीओडी से 31.03.2019 की अवधि के लिए टुईरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट (टीआरएचईपी) (2 X 30 = मेगावाट) के अनुमोदन हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा 79(1)(क) के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	उत्पादन टैरिफ
193	192/टीटी/2017	9 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति I: 400 किलोवाट डी/सी औरंगाबाद – बोईसर टीएल (डीध्सी टावर पर औरंगाबाद एसध्एस से अवस्थिति 313/0 तथा मल्टी सर्किट टावर पर अवस्थिति 332/0 से बोईसर एस/एस) तथा आस्ति II: पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ (आईपीपी डी) में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के अधीन मल्टी सर्किट टावर पर अवस्थिति 332/0 से बोईसर तक से 400 किलोवाट डी/सी नवसरी बोईसर टीएल के भाग के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ

194	203/एमपी/2017	25 अगस्त, 2017	एसीएमई विजयपाड़ा सोलर ऊर्जा पावर प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 22.08.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
195	193/टीटी/2017	3 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: वापी (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.04.13) (वापी–नवसरी टीएल बनाने के लिए आकस्मिक व्यवस्था में निष्पादित) पर बे के साथ एलओसी एपी–18 पर वापी गैंट्री से प्रथम एमध्सी प्वांइट तक) 400 किलोवाट डी/सी वापी–नवी मुंबई टीएल का भाग तथा आस्ति 2: प.क्षे. में डब्ल्यूआरएसएस–V पारेषण प्रणाली के अधीन संबद्ध बे (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि: 01.10.10) के साथ 220 किलोवाट डी/सी वापी–खदोली पारेषण लाईन के लिए i) 2009–14 ब्लॉक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ तथा पप) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
196	16/एमपी/2018	14 दिसम्बर, 2017	ताड़स विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र तंत्र के अधीन याचिकाकर्ता के पुनःपंजीकरण के लिए निर्देश मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को जारी करने और मान्यता के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2010 के विनियम 14 व 15 के साथ पठित विनियम 5 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
197	33/एमपी/2018	24 जनवरी, 2018	एसीएमई जयपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन के कारण तथा राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना के माध्यम से प्रवर्तित केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के आरंभ होने के कारण पूंजीगत लागत में फलस्वरूप पुनरीक्षण के कारण राहत मांगने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
198	56/एमपी/2018	12 फरवरी, 2018	नॉर्दन रिजनल लोड डिस्पैच सेंटर	01.04.2014 से 31.03.2019 की नियंत्रण अवधि के लिए उ.क्षे.भा.प्रे.प्र. के प्रभारों के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए उ.क्षे.भा.प्रे.प्र. के लिए कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र की फीस एवं प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2015 के विनियम 6 एवं 29 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 की उप–धारा (4) के अधीन प्रस्तुत करना	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका

199	230/एमपी/2017	9 अक्तूबर, 2017	एसीएमई कुरुक्षेत्र सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 24.06.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
200	188/एमपी/2017	18 अगस्त, 2017	एसीएमई भिवाड़ी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 14.10.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
201	189/एमपी/2017	18 अगस्त, 2017	एसीएमई करनाल सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड	दिनांक 14.10.2016 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों से संबंधित पूंजीगत लागत में वृद्धि के कारण टैरिफ के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
202	113/एमपी/2018	29 मार्च, 2018	एनईआर II ट्रांसमिशन लिमिटेड	विधि में परिवर्तन अर्थात् विद्युत क्रय करार की प्रभावी तिथि के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर विधियों के आरंभ के कारण राहत मांगते हुए याचिकाकर्ता तथा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निष्पादित दिनांक 26.09.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका

203	113/टीटी/2017	16 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: मालदा सब–स्टेशन पर 160 एमवीए ट्रांसफार्मर (प्रथम) तथा संबद्ध बे, आस्ति I I: मालदा सब–स्टेशन पर 160 एमवीए ट्रांसफार्मर (द्वितीय) तथा संबद्ध बे, आस्ति I I I: मालदा सब–स्टेशन पर 1 नं. 400 किलोवाट बे, आस्ति IV: 220/132 किलोवाट बीरपाड़ा सब–स्टेशन पर 160 एमवीए ट्रांसफार्मर तथा संबद्ध बे, आस्ति V: पूर्वी क्षेत्र में ईआरएसएस– IV परियोजना के अधीन 220/132 किलोवाट सिलिगुड़ी सब–स्टेशन पर 160 एमवीए ट्रांसफार्मर तथा संबद्ध बे के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रूइंग अप पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
204	47/एमपी/2018	29 जनवरी, 2018	एज्यूर पावर थर्टी सिक्स प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन अर्थात् विद्युत क्रय करार की प्रभावी तिथि के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर विधियों के आरंभ के कारण राहत मांगते हुए याचिकाकर्ता तथा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निष्पादित दिनांक 26.09.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका

205	34/एमपी/2018	30 जनवरी, 2018	एज्यूर पावर जुपिटर प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन अर्थात् विद्युत क्रय करार की प्रभावी तिथि के बाद याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त कर भार के रूप में अतिरिक्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय वहन किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्र तथा राज्य स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर विधियों के आरंभ के कारण राहत मांगते हुए याचिकाकर्ता तथा एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा निष्पादित दिनांक 29.04.2016 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 16.3.1 के साथ पठित अनुच्छेद 12 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
206	215/एमपी/2018	5 जुलाई, 2018	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	वार्षिक पारेषण प्रभारों में कमी हेतु दूरसंचार कारोबार से पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा अर्जित आय को शेयर करने के अनुपात का पुनःअवधारणध्पुनरीक्षण मांगने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के साथ पठित धारा 79(1)(ग) तथा (घ) के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
207	127/एमपी/2016	8 जुलाई, 2016	आईएनडी बारथ एनर्जी उत्कल लिमिटेड	याचिकाकर्ता को दी गई दीर्घकालीन निर्बाध पहुँच से संबंधित प्रस्तुत बैंक गारंटी के गैर–रिलीज के संबंध में पार्टियों के बीच मामले के न्यायनिर्णयन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
208	100/टीटी/2017	16 मार्च, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र द्वारा उ.पू.क्षे./पू.क्षे. अधिशेष विद्युत के आयात को सक्षम बनाने के लिए पारेषण योजनाओं के अधीन 400 किलोवाट सिलिगुड़ी सब–स्टेशन पर 02 नं. 80 एमवीएआर स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 02 नं. 400 किलोवाट लाईन बे तथा बोंगाईगांव सब–स्टेशन पर 02 नं. 400 किलोवाट लाईन बे (400 किलोवाट डी/सी सिलिगुड़ी–बोंगाईगांव पारेषण लाईन के लिए)	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
209	115/एमपी/2016	29 जून, 2016	तमिलनाडु जेनेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन	एनएलसी द्वारा आयकर की गलत गणना के कारण दक्षिणी हितधारकों द्वारा अतिरेक कर की प्रतिपूर्ति	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका
210	133/एमपी/2016	26 जुलाई, 2016	सासन पावर लिमिटेड	प्रचालन अवधि के दौरान विधि में परिवर्तन द्वारा राजस्वों एवं लागतों को प्रभावित करने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रापयिताओं तथा सासन पावर लिमिटेड के बीच निष्पादित दिनांक 07.08.2007 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13.2(ख) प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति को नियंत्रित करने वाले सांविधिक रूपरेखा के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	9 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका

211	56/टीटी/2017	2 दिसम्बर, 2016	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना – XXIV के अधीन आस्ति– I: देहरादून तथा अब्दुल्लापुर सबस्टेशन पर संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट डी/सी (क्वार्ड) देहरादून – अब्दुल्लापुर पारेषण लाईन तथा आस्ति– II: किशनपुर सीमा पर संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट डीध्सी (क्वार्ड) दुलहस्ती–किशनपुर सिंगल सर्किट स्ट्रिंग के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन अनुमोदन I	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
212	161/टीटी/2017	12 जून, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्तिः उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XVI के अधीन न्यू वानपोह पर संबद्ध बे तथा 03 नं. 220 किलोवोट लाईन बे (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.10.2013) के साथ न्यू वानपोह पर बे तथा 1 नं. 315 एमवीए, 400ध्220 किलोवाट ICT–I के साथ 400 किलोवाट डी/सी किशनपुर वागूरा के दोनों सर्किटों का लीलो के लिए प) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	9 अक्तूबर, 2018	पारेषण टैरिफ
213	33/आरसी/2017	15 फरवरी, 2017	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियम, 2010 के विनियम 7(2) तथा 24 के अनुपालन में विनियामक अनुपालन आवेदन	10 अक्तूबर, 2018	विनियामक अनुपालन
214	312/एमपी/2015	30 दिसम्बर 2015	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एक उत्पादन कंपनी, तथा पीजीसीआईएल, केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता के बीच थोक विद्युत पारेषण करार के अधीन पारेषण प्रभारों के भुगतान तथा अन्य देयताओं पर न्यायनिर्णय के रूप में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	11 अक्तूबर, 2018	विविध याचिका

215	218/आरसी/2018	17 जुलाई, 2018	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	नए बोली (ऑर्डर) प्रकारों का आरंभ	16 अक्तूबर, 2018	विनियामक अनुपालन
216	8/एसएम/2018	29 अक्तूबर, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	अक्तूबर, 2018 तथा मार्च, 2019 के बीच समाप्त होने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की वैधता का विस्तार	30 अक्तूबर, 2018	स्वप्रेरणा से
217	159/एमपी/2017	12 जुलाई, 2017	टाटा पावर व्यापार कंपनी लिमिटेड	प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता सं. 1 पर रखे गए दिनांक 14.01.2016 के एलओआई के निबंधनों के अनुसार विधि में परिवर्तन से संबंधित परिणाम के कारण प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	5 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
218	172/एमपी/2016	2 सितम्बर, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	विधि के परिवर्तन घटना के रूप में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 25. 01.2016 की अधिसूचना के संगत फ्लाई ऐश की परिवहन लागत की शेयरिंग के तदन्तर किए गए अतिरिक्त व्यय की वसूली हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 8(3)(ii) तथा 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(क) तथा 79(1)(क) के अधीन याचिका	5 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
219	225/एमपी/2017	21 सितम्बर, 2017	नॉर्दन ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आसाम गैस आधारित विद्युत प्लांट के संबंध में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 54 (छूट के लिए शक्ति) के उपबंधों के अधीन ईंधन गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता प्रभार की हानि की क्षतिपूर्ति मांगने हेतु केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2013 के विनियम 103(1) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	5 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
220	7/टीटी/2018	27 सितम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: पश्चिमी क्षेत्र में रेवा जिले, मध्य प्रदेश में अल्ट्रा मेगा सौर पार्क (750 मेगावाट) के लिए पारेषण प्रणाली के अधीन 400/220 किलोवाट रेवा पूलिंग स्टेशन पर संबद्ध बे तथा उपकरणों के साथ विंध्यांचल–जबलपुर 400 किलोवाट द्वितीय डीध्सी लाईन (सीकेटी 3 व 4) के लीलो के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ का अवधारण	5 नवम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

221	12/एसएम/2017	19 जुलाई, 2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 के विनियम 8(5) के अनुसार दीर्घकालीन पारेषण ग्राहकों के एलटीए का संचालन	5 नवम्बर, 2018	स्वप्रेरणा से
222	205/टीटी/2017	23 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: उत्तरी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आईपीपी परियोजनाओं के लिए प.क्षे. उ.क्षे. एचवीडीसी इंटर कनेक्टर के अधीन संबद्ध बे के साथ 800 किलोवाट के पोल– II, 3000 मेगावाट चम्पा एवं कुरुक्षेत्र एचवीडीसी टर्मिनलों के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	6 नवम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
223	151/एमपी/2016	24 अगस्त, 2016	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 245/एमपी/2012 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 08.06.2013 के आदेश के गैर–अनुपालन तथा अनुवर्ती निदेशों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 तथा 146 के साथ पठित धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका	6 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
224	याचिका सं. 235/टीटी/2016 में 40/आरपी/2017	12 अक्तूबर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. बनाम कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन एवं अन्य नामक याचिका सं. 235/टीटी/2016 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 19.09.2017 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	6 नवम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
225	261/एमपी/2017	12 दिसम्बर, 2017	एनटीपीसी लि.	कुदगी पारेषण प्रणाली हेतु एलटीए प्रभारों के लिए केन्द्रीय पारेषण प्रयोज्यता के दिनांक 06.11.2017 के बिल को रद्द करने के लिए केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 के उपबंधों के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) एवं (च) के अधीन याचिका	6 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
226	217/एमपी/2018	13 जुलाई, 2018	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड	एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के बीच दिनांक 19 सितम्बर, 2017 की डिबेंचर ट्रस्ट डीड की अनुसूची VI में निर्दिष्ट मौजूदा ऋणों के पुनःअर्थप्रबंधन के लिए निजी नियोजन आधार पर रुपये 680,00,00,000 (रुपये छह सौ अस्सी करोड़ मात्र), (इसके आगे "डिबेंचरर" के रूप में निर्दिष्ट) के एकत्रीकरण में रुपये 10,00,000/– (रुपये दस लाख) प्रत्येक की फेस वैल्यू के एसटीआरपीपी के रूप में याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा जारी किए गए 6800 (छह हजार आठ सौ मात्र) वरिष्ठ, सूचीबद्ध, असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों	14 नवम्बर, 2018	विविध याचिका

				के संबंध में याचिकाकर्ता सं. 1 ("डिबेन्चर होल्डर्स") के डिबेन्चर होल्डरों के लाभ के लिए डिबेन्चर ट्रस्टी के रूप में कार्यकारी ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता–2"/ "डिबेन्चर ट्रस्टी") के पक्ष में याचिकाकर्ता सं 1 की आस्तियों पर सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) एवं (4) के अधीन अनुमोदन मांगने हेतु याचिका		
227	203/एमपी/2018	19 जुलाई, 2018	दरभंगा मोतीहारी पारेषण कम्पनी लिमिटेड	दरभंगा–मोतिहारी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के बीच निष्पादित दिनांक 21.12. 2017 की डिबेंचर ट्रस्ट डीड की अनुसूची टप्प में निर्दिष्ट मौजूदा ऋणों के पुनःअर्थप्रबंधन के लिए निजी नियोजन आधार पर रुपये 860,00,00,000 (रुपये आठ सौ साठ करोड़ मात्र), (इसके आगे "डिबेंचरर" के रूप में निर्दिष्ट) के एकत्रीकरण में सममूल्य पर नगद के लिए रुपये 10,00,000/– (रुपये दस लाख) प्रत्येक की फेस वैल्यू के सेपरेटली ट्रेडेबल एंड रिडीमेबल प्रिंसीपल पार्ट्स ("एसटीआरपीपी") के रूप में याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा जारी किए गए 6800 (छह हजार आठ सौ मात्र) सुरक्षित, वरिष्ठ, सूचीबद्ध, रेटेड, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में याचिकाकर्ता सं. 1 ("डिबेन्चर होल्डर्स") के डिबेन्चर होल्डरों के लाभ के लिए डिबेन्चर ट्रस्टी के रूप में कार्यकारी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ("याचिकाकर्ता–2" / "डिबेन्चर ट्रस्टी") के पक्ष में सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए दिनांक 06.08.2013 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 15.2.2 तथा 15.2.4 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) एवं (4) के अधीन याचिका	14 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
228	40/टीटी/2018	17 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	टैरिफ ब्लॉक 2014–19 की अवधि के लिए "पश्चिमी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना XV से संबंधित पावरग्रिड कार्य" के अधीन आस्ति– I: पर्ली (पावरग्रिड) स्विचिंग स्टेशन पर दो 400 किलोवाट लाईन बे (टीबीसीबी के अधीन पर्ली नवीन (टीबीसीबी)–पर्ली (पावरग्रिड) 400 किलोवाट डी/वी (क्वाड) लाईन के लिए) तथा आस्ति–2: सोलापुर (पावरग्रिड) स्टेशन पर दो 765 किलोवाट लाईन बे (टीबीसीबी रूट के अधीन पर्ली नवीन (टीबीसीबी) – सोलापुर (पावरग्रिड) 765 किलोवाट डी/सी लाईन के लिए) हेतु प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के अधीन अनुमोदन।	15 नवम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

229	37/टीटी/2018	31 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आस्ति 1: पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सशक्तीकरण योजना–XIV के अधीन इटारसी सबस्टेशन पर संबद्ध ट्रांसफॉर्मर बे एवं 220 किलोवाट लाईन बे के साथ I x 500 एमवीए, 400/220 किलोवाट ICT के लिए प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	15 नवम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
230	88/एमपी/2018	10 मार्च, 2018	जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. तथा ईएमसीओ एनर्जी लिमिटेड के बीच दिनांक 17.03.2010 के (क) विद्युत क्रय करार तथा प्रतिस्पर्धात्मक बोली ("प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों") के माध्यम से विद्युत की अधिप्राप्ति को नियंत्रित करने वाली सांविधिक रूपरेखा के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	15 नवम्बर, 2018	विविध याचिका
231	148/टीटी/2018	1 दिसम्बर, 2017	तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	TANTRANSCO की आईएसटीएस लाईनों के लिए पारेषण टैरिफ	16 नवम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
232	58/टीटी/2018	2 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति I: छत्तीसगढ़ में आईपीपी के लिए प.क्षे.–उ.क्षे. पारेषण कॉरिडोर में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट डी/सी (क्वाड) कुरुक्षेत्र–जींद पारेषण लाईन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	19 नवम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
233	153/एमपी/2017	6 जुलाई, 2017	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का प्रयोग करते हुए पारेषण तथा व्हीलिंग विद्युत के लिए निर्बाध पहुंच प्रभारों के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(घ) तथा केविविआ (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) के अधीन याचिका	नवम्बर 19, 2018	विविध याचिका

234	63/टीटी/2018	10 जनवरी 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति : पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना VII (ईआरएसएस VII) के अधीन पुरुलिया सब स्टेशन पर दो 400 किलोवाट बे के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	3 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
235	याचिका सं. 168/एमपी/2017 में 18/आरपी/2018	9 मई, 2018	वेस्ट बेंगाल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	याचिका सं. 168/एमपी/2017 में पारित दिनांक 29.01.2018 के आदेश का पुनरीक्षण मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103(1) तथा सिविल प्रक्रिया, 1908 की संहिता के आरध्डब्ल्यू आदेश 47 नियम के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन पुनरीक्षण हेतु याचिका	3 दिसम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
236	242/एमपी/2017	10 नवम्बर, 2017	आर्यन एम.पी. पावर जेनेरेशन प्राइवेड लिमिटेड	दिनांक 23.10.2017 की बैंक गारंटी के इन्वोकेशन पत्र को घोषित करने तथा तदुपरांत ऐक्सिस बैंक द्वारा जारी रु. 56.1 करोड़ की दिनांक 23.02.2010 की बैंक गारंटी को अवैध रूप से भुनाने तथा हर्जाने के साथ उक्त भुनाई गई राशि को वापस करने हेतु याचिका	3 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
237	8/टीटी/2018	17 नवम्बर, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2014–19 ब्लॉक अवधि के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी के एससीएडीए/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन परियोजना के अधीन आस्ति 1: मणिपुर की एसएलडीसी की मुख्य एससीएडीए ईएमएस प्रणाली (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि – 09.11.2016), आस्ति 2: मिजोरम की एसएलडीसी की मुख्य एससीएडीए ईएमएस प्रणाली (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि – 10.04.2017), आस्ति 3: अरुणाचल प्रदेश की एसएलडीसी की मुख्य एससीएडीए ईएमएस प्रणाली (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि – 15.11.2017), तथा आस्ति 4: नागालैंड की एसएलडीसी की मुख्य एससीएडीए ईएमएस प्रणाली (प्रत्याशित वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि – 30.11.2017) हेतु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	3 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

238	121/एमपी/2018	11 अप्रैल, 2018	माई होम पावर प्राइवेट लिमिटेड	अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी– II से श्रेणी– III पर पदावनति	3 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
239	254/एमपी/2017	7 नवम्बर, 2017	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	टैरिफ विनियम 2014–19 के खंड 45 के अधीन विलंबित अदायगी अधिभार की दर को रिसेट करना	3 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
240	याचिका सं. 97/एमपी/2017 में 24/आरपी/2018	13 जुलाई, 2018	हरियाणा पावर पर्चेज सेंटर	याचिका सं. 97/एमपी/2017 तथा 2018 का आईए सं. 21 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 31.05.2018 के आदेश के पुनरीक्षण हेतु याचिका	3 दिसम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
241	305/टीडी/2018	27 सितम्बर, 2018	एमप्लस एनर्जी सॉल्यूशन्स प्रा. लि.	श्रेणी IV से II पर उन्नयन	3 दिसम्बर, 2018	व्यापार
242	86/एमपी/2016	27 मई, 2016	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	बीटीपीएस स्टेज– I की समाप्ति तथा/अथवा डीकमीशन की मांग करना	3 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
243	126/टीटी/2018	16 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	(i) टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए पारेषण टैरिफ का ट्रइंग–vi तथा (ii) छत्तीसगढ़ (आईपीपी सी) में आईपीपी उत्पादन परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय भाग के साथ छत्तीसगढ़ में पूलिंग स्टेशनों के एकीकरण के अधीन वर्धा एसएस पर बस रिएक्टर के रूप में चार्ज किए जाने वाली 765 किलोवाट डी/सी रायपुर पीएस – वर्धा लाईन 1 सीकेटी#2 के लिए 3X110 एमपीएआर लाईन रिएक्टर हेतु टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ	10 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
244	101/टीटी/2018	1 फरवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	क. याचिका सं. 299/टीटी/2013 में केविविआ के दिनांक 24.11.2015 के आदेश में कवर की गई ख. याचिका सं. 96/टीटी/2014 में केविविआ के दिनांक 29.02.2016 के आदेश में कवर की गई कृष्णापटनम् यूएमपीपी – भाग ख से संबंधित पारेषण प्रणाली की आस्तियों के लिए (i) टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा (ii) टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	10 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
245	108/टीटी/2018	जनवरी 5, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति–I: संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट डीध्सी (क्वाड) गुड़गांव–मानेसर पारेषण लाईन (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.09.2012) आस्ति–II: संबद्ध बे के साथ मानेसर सबस्टेशन पर 400/220 किलोवाट 500 एमवीए ICT– I (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.06.2012) आस्ति–II: संबद्ध बे के साथ मानेसर सबस्टेशन पर 400/220 किलोवाट 500 एमवीए ICT– II (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.08.2012) तथा आस्ति प्टरू मानेसर पर 125 एमवीएआर बस रिएक्टर	11 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

				(वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.10.2012) को सम्मिलित करते हुए उत्तरी क्षेत्र में एनआरएसएस–XIII से संबंधित पारेषण प्रणाली के लिए (i) टैरिफ ब्लॉक 2009–14 के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा (ii) टैरिफ ब्लॉक 2014–19 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014		
246	160/टीटी/2018	29 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	रायबरेली एवं सितारगंज 220/132 किलोवाट सबस्टेशनों पर पारेषण क्षमता की वृद्धि के अधीन आस्ति–I: रायबरेली एसध्एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 19.02.2018) पर 1X200 एमवीए, 220/132 किलोवाट ICT–II द्वारा 1X100 एमवीए, 220/132 किलोवाट ICT–II के प्रतिस्थापन, आस्ति–II: रायबरेली एसध्एस (वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.12.2017) पर 1ग्200 एमवीए, 220ध्132 किलोवाट प्ज–III द्वारा 1ग्100 एमवीए, 220ध्132 किलोवाट प्ज–III के प्रतिस्थापन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	12 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ
247	याचिका सं. 156/टीटी/2015 में 15/आरपी/2017	23 फरवरी, 2017	एनएचपीसी लि.	याचिका सं. 156/टीटी/2015 में केन्द्रीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 29.12.2016 के टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 91(1)(च) के अधीन याचिका	12 दिसम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
248	याचिका सं. 156/टीटी/2015 में 4/आरपी/2017	27 जनवरी, 2017	पारबती कोल्दम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	पा.को.ट्रां.कं.लि. बनाम आरआरवीपीएनएल तथा अन्य यथा शीर्षक 156/टीटी/2015 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 29.12.2016 के आदेश के पुनरीक्षण हेतु पुनरीक्षण याचिका	12 दिसम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
249	151/एमपी/2018	मई 10, 2018	श्री सीमेंट लिमिटेड	व्यापार अनुज्ञप्ति की श्रेणी – I से श्रेणी–II में अवनति	17 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
250	95/एमपी/2017	मई 4, 2017	वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	याचिकाकर्ता अर्थात् वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड तथा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 26.07.2016 के पावर पर्चेज करार से उत्पन्न विवादों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	17 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
251	1/एसएम/2018	जनवरी 8, 2018	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति उपकर के आरंभ से पारेषण अनुज्ञप्तिधारकों पर अतिरिक्त कर भार	17 दिसम्बर, 2018	स्वप्रेरणा से
252	159/टीटी/2018	20 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति–I: उत्तरी क्षेत्र, फेस–II में बस रिएक्टर योजना के अधीन 400/220 किलोवाट मानेसर सबस्टेशन एक्सटेंशन पर 125 एमवीएआर बस रिएक्टर के लिए	19 दिसम्बर, 2018	पारेषण टैरिफ

				वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन		
253	288/एमपी/2018	सितम्बर 10, 2018	जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता सं.2, उसके ऋणदाता तथा उसके किसी भी अनुवर्ती हस्तांतरियों, संपत्ती–भागियों, नोवाटी तथा परियोजना के किसी पुनर्वित्त ऋणादाताओं के पक्ष में याचिकाकर्ता सं. 1 की आस्तियों पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा 17(4) के अधीन सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए अनुमोदन हेतु याचिका	19 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
254	146/जीटी/2015 में 39/आरपी/2017	5 सितम्बर, 2017	एनएलसी इंडिया लि. (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.)	एनएलसी इंडिया लि. – टीएस।। ईएक्सपीएन (2 X 250 मेगावाट) केविविआ (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन टैरिफ का पुनरीक्षण मांगने हेतु याचिका	19 दिसम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
255	225/एमपी/2018	15 जुलाई, 2018	डीबी पावर लिमिटेड	याचिका सं. 101/एमपी/2017 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 19.12.2017 के आदेश के गैर–अनुपालन के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई आरंभ करने की मांग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 तथा साथ–साथ विद्युत अधिनियम, 2003 के विनियम 149 के साथ पठित धारा 142 के अधीन याचिका	21 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
256	372/एमपी/2018	4 दिसम्बर, 2018	सथावहाना इस्पात लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुँच) विनियम, 2008 का उल्लंघन	21 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
257	350/एमपी/2018	9 अक्तूबर, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 38(2)(ख) के साथ पठित धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका	21 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका
258	याचिका सं. 135/जीटी/2015 में 38/आरपी/2017	25 अगस्त, 2017	एनएलसी तमिलनाडु पावर लि.	ईकाई–। एवं ईकाई–।। के व्यावसायिक संचालन की तिथि से दिनांक 31.03.2019 तक की अवधि के लिए कोल आधारित एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (टीपीएस 2 x 500 मेगावाट) के टैरिफ के अनुमोदन से संबंधित मामले में याचिका सं. 135/जीटी/2015 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांकं 11.07. 2017 के आदेश के पुनरीक्षण हेतु याचिका	26 दिसम्बर, 2018	पुनरीक्षण याचिका
259	66/एमपी/2017	1 फरवरी, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	ग्रिड कोड के 6.3 ए के उपबंधों के संबंध में केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ पठित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (यथासंशोधित) के विनियम 4 भाग 7 के अधीन याचिका	31 दिसम्बर, 2018	विविध याचिका

260	201/टीडी/2018	9 जून, 2018	रिलायन्स एनर्जी व्यापार लिमिटेड	अंतर–राज्यिक अनुज्ञप्ति का समर्पण	1 जनवरी, 2019	व्यापार
261	347/एमपी/2018	16 नवम्बर, 2018	एनईआर ।। ट्रांसमिशन लिमिटेड	याचिकाकर्ता सं. 1 की पारेषण परियोजना के वित्तपोषण के उद्देश्य हेतु ऋणदाताओं तथा उनके एजेंटों के लाभ के लिए याचिकाकर्ता सं. 2 अर्थात् सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा 17(4) के अधीन याचिकाकर्ता सं. 2 की आस्तियों पर सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए अनुमोदन हेतु याचिका	2 जनवरी, 2019	विविध याचिका
262	161/टीटी/2018	27 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति 1: 400 किलोवाट डी/सी बीकानेर (आरवीपीएनएल)–सिकार (पीजी) लाईन के सीकेटी–। के लिए 50 एमवीएआर गैर–स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 1 नं. 400 किलोवाट लाईन बे (पावरग्रिड, सिकार सीमा पर) तथा आस्ति 2: उत्तरी क्षेत्र योजना में विविध क्षेत्रीय सुदृढ़ीकरण योजनाओं से संबंधित लाईन बे के अधीन 400 किलोवाट डीध्सी बीकानेर (आरवीपीएनएल)–सिकार (पीजी) लाईन के सीकेटी–।। के लिए 50 एमवीएआर गैर–स्विचेबल लाईन रिएक्टर के साथ 1 नं. 400 किलोवाट लाईन बे (पावरग्रिड, सिकार सीमा पर) के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	3 जनवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
263	109/टीटी/2018	3 जनवरी 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXIV के अधीन 400 किलोवाट बलिया (पीजी) सब–स्टेशन (एक्सटेंशन) (वास्तविक वाणिज्यिक प्रचालन की तिथिः 01.02.2014) पर 63 एमवीएआर 400 किलोवाट लाईन रिएक्टर के दो नं. के टू अप 2009–14 तथा टैरिफ 2014–19 के अवधारण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	7 जनवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
264	16/टीटी/2017	15 दिसम्बर, 2016	भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड	2014–19 की अवधि के लिए भा.ब्या.मै.बो. पारेषण प्रणालियों तथा एसएलडीसी कार्यों के टैरिफ का अवधारण	9 जनवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
265	195/एमपी/2018	1 जून, 2018	क्रॉसबॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	400 किलोवाट डी/सी मुजफ्फरपुर – सुरसंद पारेषण लाईन तथामुजफ्फरपुर सब–स्टेशन पर दो 220 किलोवाट लाईन बे के लिए क्रॉसबॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को अनुमोदित दिनांक 01.12.2010 के पारेषण अनुज्ञप्ति सं. 12/ट्रांसमिशन/2010/सीईआरसी का संशोधन	10 जनवरी, 2019	विविध याचिका

266	याचिका सं. 229/एमपी/2016 में 23/आरपी/2018	19 मई, 2018	डीबी पावर लिमिटेड	दिनांक 19.12.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	10 जनवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
267	167/एमपी/2018	16 मई, 2018	सेंबकॉर्प गायत्री पावर लिमिटेड	एकीकरण की योजना के अधीन यथानुबद्ध, सेंबकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड को दिनांक 11.06.2014 के पारेषण सेवा करार के अधीन सेंबकॉर्प गायत्री पावर लिमिटेड के अधिकारों और दायित्वों को अंतरित तथा/या निर्धारित करने के लिए माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की अनुमति मांगने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका	10 जनवरी, 2019	विविध याचिका
268	याचिका सं. 101/एमपी/2017 में 22/आरपी/2018	19 मई, 2018	डीबी पावर लिमिटेड	याचिका सं. 101/एमपी/2017 में माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 19.12.2017 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन याचिका	10 जनवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
269	6/एमपी/2019	28 दिसम्बर, 2018	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	थमिनापट्नम, चिलाकूर (मंदालम), एसपीएसआर नेल्लोर, आंध्र प्रदेश राज्य के समीप मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड की फेस II (ईकाई III) थर्मल विद्युत परियोजना को प्रवर्तने में लाने तथा टेस्टिंग के लिए अस्थाई विद्युत के अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त छह महीने की अवधि अर्थात् 01.01.2019 से 30.06.2019 तक का विस्तार मांगने हेतु अनुमति मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8(7) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ज) के साथ धारा 79(1)(ट) के अधीन याचिका	17 जनवरी, 2019	विविध याचिका

270	121/2007	28 सितम्बर, 2007	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	विद्युत के अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा टैरिफ विनियमों की व्याख्या के संबंध में ब्लॉक वर्षों 2001–04 तथा 2004–09 के लिए टैरिफ का पुनरीक्षण	18 जनवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
271	254/एमपी/2018	10 अगस्त, 2018	गाटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	संपूर्ण स्थापित क्षमता की निर्बाध पहुँच/निकासी मांगने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	18 जनवरी, 2019	विविध याचिका
272	317/टीडी/2018	10 अक्तूबर, 2018	मनिकरण पावर लिमिटेड	अंतर–राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के श्रेणी– II से श्रेणी– पर उन्नयन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें, क्रियाविधि तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 7(ख) के तृतीय तथा चतुर्थ परंतुकों के अधीन याचिका	18 जनवरी, 2019	व्यापार
273	224/एमपी/2018	24 जुलाई, 2018	एमबी पावर (मध्यप्रदेश) लिमिटेड	दिनांक 18.01.2014 के विद्युत क्रय करार के उपबंधों को लागू करने के लिए निर्देश मांगने तथा एक कॉन्ट्रेक्ट वर्ष के लिए 80 प्रतिशत से नीचे उपलब्धता बनाए रखने के लिए जुर्माने की गणना के उद्देश्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) तथा धारा 79(1)(च) को लागू करने हेतु याचिका	18 जनवरी, 2019	विविध याचिका
274	227/एमपी/2018	15 जुलाई, 2018	डीबी पावर लिमिटेड	याचिका सं. 229/एमपी/2016 में आयोग द्वारा पारित दिनांक 19.12.2017 के गैर–अनुपालन के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही का प्रवर्तन मांगने के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 111 के साथ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 149 के साथ पठित धारा 142 के अधीन याचिका	18 जनवरी, 2019	विविध याचिका
275	260/एमपी/2018	16 अगस्त, 2018	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता द्वारा उसके प्रापयिताओं को विद्युत आपूर्ति का विनियम करने के लिए दिनांक 30.07.2018 के नोटिस को चुनौती देने वाले प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग), 79(1)(ख) एवं 79(1)(च) तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	21 जनवरी, 2019	विविध याचिका
276	याचिका सं. 6/टीटी/2018 में 33/आरपी/2018	6 अगस्त, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा फाईल की गई याचिका सं. 241/टीटी/2016 में इस माननीय आयोग के दिनांक 21.06.2018 के आदेश का पुनरीक्षण तथा संशोधन	23 जनवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
277	याचिका सं. 241/टीटी/2016 मे 32/आरपी/2018	6 अगस्त, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा फाईल की गई याचिका सं. 241/टीटी/2016 में इस माननीय आयोग के दिनांक 21.06.2018 के आदेश का पुनरीक्षण तथा संशोधन	23 जनवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका

278	248/एमपी/2016	23 दिसम्बर, 2016	कुदगी ट्रांसमिशन लिमिटेड	टीएसपी के नियंत्रण से परे कारणों के कारण एससीओडी का पुनरीक्षण	24 जनवरी, 2019	विविध याचिका
279	याचिका सं. एमपी/419/2014 में 4/आरपी/2018	13 दिसम्बर, 2017	रायचूर शोलपुर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	अपील सं. 193/2016 में विद्युत के लिए माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 01.12.2017 के आदेश के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103(1) के अधीन याचिका सं. 419/एमपी/2014 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पारित दिनांक 27.06.2016 के आदेश के पुनरीक्षण हेतु रायचूर शोलपुर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पुनरीक्षण याचिका	24 जनवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
280	99/टीटी/2018	13 फरवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में कल्पाक्कम पीएफबीआर (500 मेगावाट) से संबंधित पारेषण प्रणाली के अधीन क) कल्पाक्कम पीएफबीआर–सिरुचेरी 230 किलोवाट डी/सी लाईन ख) कल्पाक्कम पीएफबीआर–अरंज 230 किलोवाट डीध्सी लाईन के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग vi पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 के विनियम–6 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	29 जनवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
281	267/एमपी/2017	29 नवम्बर, 2017	तमिलनाडु जेनेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन	दिनांक 05.05.2017 की विस्तृत संचालक क्रियाविधि के कार्यान्वयन के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ तथा वित्तीय प्रभाव	30 जनवरी, 2019	विविध याचिका
282	2/एसएम/2019	31 जनवरी, 2019	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	अंतर–राज्यिक उत्पादन स्टेशनों (आईएसजीएस) पैन इंडिया के सुरक्षा बाध्य आर्थिक प्रेषण पर पायलट	31 जनवरी, 2019	स्वप्रेरणा से
283	123/टीटी/2018	16 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	सासन अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना से संबंधित पारेषण प्रणाली की आस्तियों के लिए i) 2009–14 टैरिफ ब्लॉक के लिए ट्रइंग अप पारेषण टैरिफ तथा ii) 2014–19 टैरिफ ब्लॉक के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2009 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	4 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ

284	53/टीटी/2018	5 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आस्ति–I: केन्द्रीय सेक्टर के अधीन लिंकों के 06 नं. (562-873), आस्ति–II: ओपीजीडब्ल्यू लिंकों के 07 नं. (664.53 किमी) तथा आस्ति–III: पूर्वी क्षेत्र में वाईड–बैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के अधीन पू.क्षे. में फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली योजना के अधीन केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत केन्द्रीय सेक्टर के अधीन 07 नं. लिकों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोद	4 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
285	262/एमपी/2018	जुलाई 26, 2018	वेस्टर्न ट्रांसमिशन (गुजरात) लिमिटेड	डिबेंचर होल्डर्स, टर्म ऋणदाताओं तथा कार्यशील पूंजी ऋणदाता (नीचे परिभाषित) के परस्पर लाभों के लिए कॉमन सिक्योरिटी ट्रस्टी के रूप में कार्यकारी कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड के पक्ष में सुरक्षा हितों के निर्माण के लिए अनुमोदन मांगने के साथ–साथ डब्ल्यूटीजीएल तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (ऋणदाता पद की अभिव्यक्ति, तब तक, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के लिए निरस्त न हो, समय–समय पर इसके उत्तराधिकारी तथा किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था किसी अन्य व्यक्ति को जिसे पूर्वोक्त टर्म ऋणदाता के अधिकार तथाध्या दायित्व सौंपे, नोवेटड तथाध्या अंतरित किए गए हैं, के रूप में समझी तथा सम्मिलित की जाए) के बीच दिनांक 27.12.2017 के कॉमन रुपी ऋण करार (समय–समय पर यथासंशोधित कॉमन रुपी ऋण करार) के अनुच्छेद 6.1.14 तथा 6.1.25 तथा डिबेंचर होल्डरों के लाभ के लिए कार्यकारी डब्ल्यूटीजीएल तथा एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच दिनांक 27.12.2017 के कॉमन रुपी लोन करार के अनुच्छेद 6.1.14 तथा 6.1.25 तथा डिबेंचर होल्डरों के लाभ हेतु कार्यकारी कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (डिबेंचर ट्रस्टी की अभिव्यक्ति, तब तक, जब तक कि यह संदर्भ या उसके अर्थ के लिए निरस्त न हो, इसके उत्तराधिकारी, विकल्पों तथा अनुज्ञप्त नियुक्तों के रूप में समझा तथा सम्मिलित किया जाए) तथा डब्ल्यूटीजीएल के बीच दिनांक 18.06.2018 के डिबेंचर ट्रस्ट डीड (समय–समय पर यथासंशोधित डिबेंचर ट्रस्ट डीड) के अनुच्छेद 10.1.14 तथा 10.1.25 के साथ साथ दिनांक 17.10.2017 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 17.2.2 तथा दिनांक 16.01.2009 के विद्युत पारेषण करार के अनुच्छेद 14.2 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा (4) के अधीन वेस्टर्न ट्रांसमिशन (गुजरात) लिमिटेड (याचिकाकर्ता / डब्ल्यूटीजीएल) द्वारा याचिका	4 फरवरी, 2019	विविध याचिका

286	192/एमपी/2018	1 जून, 2018	फीलान एनर्जी इंडिया आरजे प्राइवेट लिमिटेड	वस्तु एवं सेवा कर के आरंभ के परिणामस्वरूप टैरिफ का संशोधन	5 फरवरी, 2019	विविध याचिका
287	187/एमपी/2018	6 जून, 2018	रीन्यू विंड एनर्जी (टीएन2) प्राइवेट लिमिटेड	वस्तु एवं सेवा कर के आरंभ के परिणामस्वरूप टैरिफ का संशोधन	5 फरवरी, 2019	विविध याचिका
288	याचिका सं. 89/एमपी/2016 में 17/आरपी/2018	9 अप्रैल, 2018	बीएसईएस यमुना पावर लि.	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड तथा अन्य बनाम प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा अन्य यथाशीर्षक याचिका सं. 89/एमपी/2016 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 02.11.2017 के आदेश का पुनरीक्षण	5 फरवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
289	49/टीटी/2018	12 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र में विविध सबस्टेशनों के लिए स्प्लिट बस व्यवस्था के अधीन आस्ति I: बिहारशरीफ सब–स्टेशन पर सासाराम रु 1 बे के साथ कहलगांव रु 1 बे के साथ अदला–बदली के लिए 400 किलोवाट पारेषण लाईनय आस्ति प्रू बिहारशरीफ सब–स्टेशन पर सासाराम बे (3 व 4) के साथ पूर्णिया (1 व 2) बे के साथ अदला–बदली के लिए 400 किलोवाट पारेषण लाईन तथा आस्ति III: 400 किलोवाट बिहारशरीफ सब–स्टेशन के लिए टाई लाईन ब्रेकर के साथ स्प्लिट बस व्यवस्था के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन।	5 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
290	147/टीटी/2018	16 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	छत्तीसगढ़ (आईपीपी–ई) में आईपीपी परियोजनाओं के लिए पश्चिमी क्षेत्रों के उत्तर/पश्चिम भाग में प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन 765/400 किलोवाट 2x1500 एमवीए पाडघे जीआईएस एसएस की स्थापना तथा संबद्ध बे के साथ औरंगाबाद (पावरग्रिड) – पाडघे (पावरग्रिड) 765 किलोवाट डी/सी लाईन एवं पाडघे (पावरग्रिड) – पाडघे/कुदुस (एमएसईटीसीएल) 400 किलोवाट डीध्सी (क्वाड) लाईन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	5 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ

291	193/एमपी/2018	6 जून, 2018	रीन्यू विंड एनर्जी (टीएन2) प्राइवेट लिमिटेड	वस्तु एवं सेवा कर के आरंभ के परिणामस्वरूप टैरिफ का संशोधन	5 फरवरी, 2019	विविध याचिका
292	178/एमपी/2018	10 मई, 2018	एसीएमई जोधपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन तथा दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किए गए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 2017 के परिचय के कारण पूंजीगत लागत में अनुवर्ती पुनरीक्षण के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	5 फरवरी, 2019	विविध याचिका
293	189/एमपी/2018	11 मई, 2018	एसीएमई रेवा सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	विधि में परिवर्तन तथा दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किए गए केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 2017 के परिचय के कारण पूंजीगत लागत में अनुवर्ती पुनरीक्षण के अनुमोदन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ख) के अधीन याचिका	5 फरवरी, 2019	विविध याचिका
294	याचिका सं. 208/टीटी/2017 में 49/आरपी/2018	2 नवम्बर, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	पुनरीक्षण याचिकाकर्ता का ज्ञापन	7 फरवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
295	264/एमपी/2018	20 अगस्त, 2018	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड	याचिकाकर्ता के साथ निष्पादित पारेषण सेवा करार की समाप्ति हेतु दिनांक 01.08.2018 के नोटिस को चुनौती देने वाले प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग), 79(1)(ख) तथा 79(1)(च) तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	8 फरवरी, 2019	विविध याचिका
296	22/एमपी/2018	20 दिसम्बर, 2017	मीरा एंड मीरा इंडस्ट्रीज	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66, 79 तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	11 फरवरी, 2019	विविध याचिका
297	129/एमपी/2018	13 अप्रैल, 2018	शालीमार विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की मान्यता और जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66, 79 तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	11 फरवरी, 2019	विविध याचिका

298	198/एमपी/2018	4 जून, 2018	एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड	आरईसी तंत्र के अधीन मान्यता के विस्तार/पुनर्वेध करने हेतु याचिक	11 फरवरी, 2019	विविध याचिका
299	353/आरसी/2018	22 नवम्बर, 2018	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, नई दिल्ली के लिए स्वतंत्र निदेशकों के पैनल के अनुमोदन हेतु विनियामक अनुपालन आवेदन	12 फरवरी, 2019	विनियामक अनुपालन
300	याचिका सं. 222/टीटी/2016 में 26/आरपी/2018	29 जून, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 222/टीटी/2016 में केन्द्रीय विद्युत आयोग के दिनांक 14 मई, 2018 के आदेश के केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम 1999 के विनियम 103(1) के अधीन पुनरीक्षण	12 फरवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
301	205/एमपी/2018	29 जून, 2018	जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (पूर्व में हिमाचल बाप्सा पावर कंपनी लिमिटेड)	ओवरलोड क्षमता की शेड्यूलिंग के लिए निर्देश मांगते हुए भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका	12 फरवरी, 2019	विविध याचिका
302	3/एसएम/2019	13 फरवरी, 2019	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	अदानी पावर मुंद्रा लि.–फेस IV, ईकाइयाँ 7.8. 9 पर पहले से ही स्थापित एफजीडी में सहायक विद्युत उपभोग के प्लांट निर्दिष्ट परिचालन मानदंड	13 फरवरी, 2019	स्वप्रेरणा से
303	याचिका सं. 264/टीटी/2017 में 42/आरपी/2018	10 अक्तूबर, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. द्वारा फाईल की गई याचिका सं. 264/टीटी/2017 में इस माननीय आयोग के दिनांक 20.07.2018 के आदेश का पुनरीक्षण तथा संशोधन	13 फरवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
304	166/एमपी/2018	16 अप्रैल, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	14 फरवरी, 2019	विविध याचिका
305	59/टीटी/2018	22 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पूर्वी क्षेत्र के अधीन ओडिशा में फेस–II उत्पादन परियोजना के लिए सामान्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध कार्य के अधीन आस्ति–I: झरसुगुडा (सुंदरगढ़) सबस्टेशन पर 400 किलोवाट लाईन के 04 नं. के साथ 400 किलोवाट डी/सी राउरकेला–रायगढ़ (द्वितीय लाईन) के दोनों सर्किटों का लीलो, आस्ति–II: झरसुगुडा (सुंदरगढ़) सबस्टेशन पर 400 किलोवाट बस पर विखंडित बस व्यवस्था तथा आस्ति–III: झरसुगुडा (सुंदरगढ़) पर ओपीजीसी (आईबी टीपीएस) – झरसुगुडा 400 किलोवाट डी/सी लाईन (टीबीसीबी के अधीन) के समापन के लिए दो 400 किलोवाट लाईन बे	14 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ

306	75/एमपी/2018	8 फरवरी, 2018	ओलम एग्रो इंडिया प्रा. लि.	विनिर्दिष्ट अवधि के लिए याचिकाकर्ता को नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र के विरुद्ध निर्देश मांगने के लिए याचिका	18 फरवरी, 2019	विविध याचिका
307	याचिका सं. जीटी/325/2014 में 32/आरपी/2017	24 अगस्त, 2017	एनटीपीसी लिमिटेड	01.04.2014 से 31.03.2019 की अवधि झनोर गंधार जीपीएस (657.39 मेगावाट) के टैरिफ के अवधारण के संबंध में दिनांक 10.04.2017 के आदेश का पुनरीक्षण	19 फरवरी, 2019	पुनरीक्षण याचिका
308	10/एसएम/2017	21 जुलाई, 2017	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें, क्रियाविधि और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के उपबंधों का गैर–अनुपालन	20 फरवरी, 2019	स्वप्रेरणा से
309	33/एमपी/2016	2 मार्च, 2016	एनटीपीसी लिमिटेड	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन प्रभावित करने वाले विधि में परिवर्तन के कारण राहत के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(क) के अधीन याचिका	20 फरवरी, 2019	विविध याचिका
310	168/टीटी/2018	15 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्रों में केन्द्रीय सेक्टर सब–स्टेशनों तथा उत्पादन स्टेशनों के लिए फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अधीन आस्तियों के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 तक के पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 तथा केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 के अधीन अनुमोदन	20 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
311	89/एमपी/2018	16 मार्च, 2018	अरावली पावर कंपनी प्रा. लि.	मानकीय वार्षिक प्लांट उपलब्धता घटक के पुनरीक्षण हेतु याचिका	21 फरवरी, 2019	विविध याचिका
312	5/टीटी/2018	31 अगस्त, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	पश्चिमी क्षेत्र में मास्टर संचार योजना के अंतर्गत फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली का निर्माण	22 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
313	90/एमपी/2018	7 मार्च, 2018	आरएपीपी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	दिनांक 21.09.2019 की याचिका सं. 43/एमपी/2016 में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस माननीय आयोग के आदेश के दुराग्रही, जानबूझ कर, उद्धत तथा निरंतर गैर–अनुपालन लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 तथा धारा 146 के अधीन इसके विरुद्ध याचिका	22 फरवरी, 2019	विविध याचिका

314	3/टीटी/2018	27 जुलाई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में कुदमकुलम एटॉमिक विद्युत परियोजना से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन मौजूदा तिरुनेलवेली इडामोन 400 किलोवाट ट्विन डीएसी लाईन (220 किलोवाट पर चार्ज 400 किलोवाट लाईन) पर प्रारंभिक (तथा अस्थाई रूप से) तिरुनेलवेली मुवाथापुजा (कोचिन) 400 किलोवाट क्वाड डी/सी लाईन के तिरुनेलवेली इडामोन अनुभाग को एकत्रित करने के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन	22 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
315	169/टीटी/2018	27 मार्च, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	दक्षिणी क्षेत्र में मौजूदा एकीकृत भार प्रेषण एवं संचार माइक्रोवेव लिंकों की ऐवज में फाईबर ऑप्टिक संचार प्रणाली के अंतर्गत आस्तियों के लिए फीस एवं प्रभारों का ट्रइंग–vi	22 फरवरी, 2019	पारेषण टैरिफ
316	296/एमपी/2018	27 अगस्त, 2018	मीनाक्षी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा याचिकाकर्ता पर इस माननीय आयोग के लागू विनियमों तथा आदेशों के साथ असंगत तरीके से पारेषण प्रभारों के लिए गलत रूप से इनवॉइस प्रस्तुत करने की अवैध तथा गैर–कानूनी संहिता को चुनौती देने तथा इसके सांविधिक तथा संविदात्मक दायित्वों के साथ अनुपालन करने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध निर्देश मांगने के लिए विद्युध अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) तथा धारा 79(1)(ट) के अधीन याचिका	28 फरवरी, 2019	विविध याचिका
317	73/एमपी/2018	26 फरवरी, 2018	स्नेह काईनेटिक पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के स्वेच्छ कार्यों तथा त्रुटियों के विरुद्ध केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के विनियम 12 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) तथा (ग) तथा अन्य लागू उपबंधों के अधीन याचिका	28 फरवरी, 2019	विविध याचिका
318	357/एमपी/2018	21 नवम्बर, 2018	गोआ–तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लि.	याचिकाकर्ता सं. 1 की पारेषण परियोजना के वित्तपोषण के उद्देश्य से ऋणदाताओं एवं उनके एजेंटों के लाभ के लिए याचिकाकर्ता सं. 2 के पक्ष में याचिकाकर्ता सं. 1 की आस्तियों पर विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा 17(4) के अधीन सुरक्षा हितों के निर्माण के अनुमोदन हेतु याचिका	6 मार्च, 2019	विविध याचिका
319	62/टीटी/2018	2 जनवरी, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	उत्तरी क्षेत्र में "उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना XVI" के अधीन आस्ति 1: दोनों सिरों पर संबद्ध बे के साथ 400 किलोवाट डी/सी किशनपुर–नवीन वानपोह लाईन के लिए सीओडी से 31.03.2019 के पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु केविविआ (कारोबार का	7 मार्च, 2019	पारेषण टैरिफ

				संचालन) विनियम, 1999 के विनियम–86 तथा केविविआ (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2014 के अधीन अनुमोदन		
320	092/एमपी/2015	11 मार्च, 2015	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	आईए सं. 43/2014, 51/2014, 54/2014, 56/2014 एवं 59/2014, याचिका सं. 376/एमपी/2014, याचिका सं. 382/एमपी/2014, याचिका सं. 393/एमपी/2014 तथा पुनरीक्षण याचिका सं. 25/आरपी/2014 के साथ याचिका सं 92/एमपी/2014 में दिनांक 16.02.2015 के आदेश में दिए गए कुछ दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों के संबंध में दिशा–निर्देश मांगने के लिए याचिका	8 मार्च, 2019	विविध याचिका
321	249/एमपी/2018	6 अगस्त, 2018	अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड	एल डी आयोग के दिनांक 31.05.2018 के आदेश के संबंध में रख–रखाव लागत के अनुमोदन हेतु दिनांक 07.08.2008 के विद्युत क्रय करार के अनुच्छेद 13 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अधीन याचिका	11 मार्च, 2019	विविध याचिका
322	53/एमपी/2019	1 मार्च, 2019	एनटीपीसी लिमिटेड	गदरवाड़ा एसटीपीएस (2X800 मेगावाट) की ईकाई– I के प्रथम समक्रमण की तिथि अर्थात् 28.02.2019 से छह माह की अवधि से बाहर पूर्ण भार टेस्टिंग तथा ट्रायल–रन प्रचालन सहित टेस्टिंग के लिए विद्युत इंटरचेंज करने के लिए माननीय आयोग की अनुमति मांगना	11 मार्च, 2019	विविध याचिका
323	199/एमपी/2018	7 जून, 2018	महेशवरम् ट्रांसमिशन लिमिटेड	विधि में परिवर्तन के कारण क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए महेश्वरम् ट्रांसमिशन लिमिटेड तथा उसके दीर्घकालिक पारेषण ग्राहकों के बीच निष्पादित दिनांक 10.06.2015 के पारेषण सेवा करार के अनुच्छेद 12 तथा सांविधिक रूपरेखा के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	11 मार्च, 2019	विविध याचिका
324	381/एमपी/2018	5 दिसम्बर, 2018	कोहिमा–मारिआनी ट्रांसमिशन लिमिटेड	कोहिमा–मारियानी ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्मित, स्वामित्व वाली, संचालित तथा अनुरक्षित पारेषण परियोजना के वित्त–पोषण या पुनर्वित्तपोषण के संबंध में अन्य दस्तावेजों के तथा सुरक्षा का निर्माण करने वाले दस्तावेजों के अनुमोदन के लिए तथा ऋणदाताओं की ओर से कार्यकारी सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में पारेषण अनुज्ञप्ति का अधिन्यास तथा कोहिमा–मारियानी के सभी चल तथा अचल आस्तियों पर बंधक, भाराक्रांति, प्रभार या अधिन्यास के माध्यम से सुरक्षा हितों के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17(3) तथा (4) के अधीन अनुमोदन मांगने हेतु याचिका	12 मार्च, 2019	विविध याचिका

325	250/आरसी/2018	21 जून, 2018	मित्तल प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	व्यापार अनुज्ञप्ति अनुदान विनियम, 2009 के विनियम 7(न) के साथ पठित विद्युत अधिनियम की धारा 17(3) के अधीन नाम में परिवर्तन तथा मित्तल प्रोसेसर्स प्रा. लि. के नाम से रखे गए दस्तावेजों के क्रिएट एनर्जी (इ) प्रा. लि. में आवश्यक बदलावों के कारण विनियामक अनुपालन हेतु याचिका	12 मार्च, 2019	विनियामक अनुपालन
326	याचिका सं. 085/टीटी/2015 में 26/आरपी/2017	5 मई, 2017	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 85/टीटी/2015 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 24.02.2017 के अंतिम आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	13 मार्च, 2019	पुनरीक्षण याचिका
327	228/एमपी/2018	6 जुलाई, 2018	एनटीपीसी लिमिटेड	31.03.2018 से 31.03.2020 के लिए कोल्दम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कट–ऑफ तिथि के विस्तार हेतु याचिका	13 मार्च, 2019	विविध याचिका
328	1/एसएम/2019	11 जनवरी, 2019	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017 के विनियम 8 के अधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ का अवधारण	19 मार्च, 2019	स्वप्रेरणा से
329	54/एमपी/2018	24 जनवरी, 2018	एनएलसी इंडिया लि. (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लि.)	एनएलसी इंडिया लि. – बीटीपीएस (बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन) सीओडी से एबीटी का गैर–कार्यान्वयन – समाधान हेतु एनएलसीआईएल के प्रयासों के बावजूद राजस्थान डिसकॉम्स द्वारा बिलों के अनुवर्ती लघु प्रवेश। न्यायनिर्णयन हेतु विविध याचिका प्रस्तुत – के संबंध में।	19 मार्च, 2019	विविध याचिका
330	35/एमपी/2018	27 जनवरी, 2018	जीएमआर कमलांगा एनर्जी लिमिटेड	दिनांक 01.07.2016 के थोक विद्युत पारेषण करार के अधीन प्रदत्त पूर्वी क्षेत्र में 260 मेगावाट के लिए पीओसी प्रभारों का प्रत्यर्पन मांगने के लिए केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच, संयोजकता प्रदान करना और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के साथ पठित धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	19 मार्च, 2019	विविध याचिका

331	याचिका सं. 192/टीटी/2017 में 46/आरपी/2018	20 नवम्बर, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 192/टीटी/2017 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 09.10. 2018 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	19 मार्च, 2019	पुनरीक्षण याचिका
332	114/एमपी/2017	30 मई, 2017	डैंस एनर्जी प्रा. लि.	माननीय आयोग द्वारा अधिसूचित लागू विनियम तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 28 तथा 29 के साथ पठित धारा 79(1)(ग) के अधीन याचिका	19 मार्च, 2019	विविध याचिका
333	याचिका सं. 183/टीटी/2016 में 28/आरपी/2018	7 मई, 2018	डैंस एनर्जी प्रा. लि.	पुनरीक्षण याचिका का ज्ञापन	19 मार्च, 2019	पुनरीक्षण याचिका
334	याचिका सं. 1/टीटी/2018 में 37/आरपी/2018	3 सितम्बर, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 01/टीटी/2018 में इस माननीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 23.07.2018 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन हेतु याचिका	19 मार्च, 2019	पुनरीक्षण याचिका
335	194/एमपी/2017	28 अगस्त, 2017	नॉर्थ करनपुरा ट्रांसको लिमिटेड	पारेषण परियोजना मसमउमदजे के कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 14.03.2016 के टीएसए के अधीन राहत दावा करने के लिए पारेषण सेवा के लिए टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा–निर्देशों तथा टीएसए के अनुच्छेद 16 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63, 79(1)(ग) तथा 79(1)(च) के अधीन याचिका	20 मार्च, 2019	विविध याचिका
336	59/एमपी/2019	8 मार्च, 2019	एनटीपीसी लिमिटेड	07.03.2019 को समाप्त स्वीकृत विस्तृत अवधि से परे अस्थाई विद्युत के बदलाव के लिए विस्तारण मांगना। केविविआ (अंतर–राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुँच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुँच प्रदान करना तथा संबद्ध मामले) विनियम, 2009 के विनियम 8 के अधीन याचिका।	22 मार्च, 2019	विविध याचिका
337	याचिका सं. 110/टीटी/2017 में 31/आरपी/2018	13 अगस्त, 2018	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	याचिका सं. 110/टीटी/2017 में दिनांक 29. 06.2018 के आदेश के पुनरीक्षण तथा संशोधन के लिए केविविआ (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 103 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 94(1)(च) के अधीन पुनरीक्षण याचिका	25 मार्च, 2019	पुनरीक्षण याचिका
338	38/एमपी/2019	15 फरवरी, 2019	लैंको बाभंद पावर लिमिटेड	दिनांक 08.08.2013 के विद्युत क्रय करार को अवैध रूप से समाप्त करने तथा दिनांक 16. 01.2019 के उसके अवैध मांग नोटिस को रद्द करने के लिए प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरुद्ध निर्देश मांगने हेतु माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (माननीय आयोग) की सभी अन्य समर्थकारी शक्तियों का आह्वान करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(च) के अधीन याचिका	29 मार्च, 2019	विविध याचिका

339	195/एमपी/2017	31 अगस्त, 2017	एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड	पारेषण परियोजनाओं के टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन एनआरएसएस XXXI (ख) पारेषण योजना को प्रदान करने के बाद v&"V तथा अनियंत्रित घटनाओं के कारण पारेषण प्रभारों में वृद्धि तथा परियोजना अधिसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि में विस्तार मांगने के लिए अन्य निर्धारित सांविधिक रूपरेखा के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 तथा 79 के अधीन याचिका	29 मार्च, 2019	विविध याचिका
340	238/एमपी/2017	28 अक्तूबर, 2017	दरभंगा मोतीहारी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अधीन दरभंगा–मोतीहारी ट्रांसमिशन कं. लि. द्वारा कार्यान्वित ईआरएसएस–VI पारेषण योजना को प्रदान करने के बाद v&"V तथा अनियंत्रित घटनाओं के कारण पारेषण प्रभारों में वृद्धि तथा परियोजना अधिसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि में विस्तार मांगने के लिए अन्य निर्धारित सांविधिक रूपरेखा के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 63 तथा 79 के अधीन याचिका	29 मार्च, 2019	विविध याचिका

अनुबन्ध-II

एनटीपीसी के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.03.2019 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2019 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
एनटीपीसी का कोयला आधारित थर्मल उत्पादनकारी स्टेशन			
क	पिट हेड उत्पादनकारी स्टेशन		
1	रिहंद एसटीपीएस St-I	1000.00	01.01.1991
2	रिहंद एसटीपीएस St-II	1000.00	01.04.2006
3	रिहंद एसटीपीएस St-III	1000.00	27.03.2014
4	विंध्याचल एसटीपीएस St-I	1260.00	01.02.1992
5	विंध्याचल एसटीपीएस St-II	1000.00	01.10.2000
6	विंध्याचल एसटीपीएस St-III	1000.00	15.07.2007
7	विंध्याचल एसटीपीएस St-IV	1000.00	27.03.2014
8	विंध्याचल एसटीपीएस St-V	500.00	30.10.2015
9	कोरबा एसटीपीएस Stl &II	2100.00	01.06.1990
10	सिपत टीपीएस St-I	1980.00	01.08.2013
11	सिपत टीपीएस St-II	1000.00	01.01.2009
12	रामागुंडम एसटीपीएस St-I & II	2100.00	01.04.1991
13	रामागुंडम एसटीपीएस St-III	500.00	25.03.2005
14	तलचर टीपीएस	460.00	01.07.1997
15	तलचर एसटीपीएस St-I	1000.00	01.07.1997
16	तलचर एसटीपीएस St-II	2000.00	01.08.2005
17	कोरबा एसटीपीएस (Stage-III)	500.00	21.03.2011
18	सिंगरौली एसटीपीएस	2000.00	01.05.1988
	उप–जोड़	**21400.00**	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2019 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
ख.	**गैर–पिट हेड उत्पादनकारी स्टेशन**		
1	ऊंचाहार टीपीएसए स्टेज–I	420.00	13.2.1992 (अधिग्रहण की तारीख)
2	ऊंचाहार टीपीएसए स्टेज–II	420.00	01.01.2001
3	ऊंचाहार टीपीएसए स्टेज–III	210.00	01.01.2007
4	ऊंचाहार टीपीएसए स्टेज–IV	500.00	31.3.2017
5	एनसीटीपी दादरी स्टेज–I	840.00	01.12.1995
6	एनसीटीपी दादरी स्टेज–II	980.00	30.07.2010
7	फरक्का एसटीपीएस स्टेज I और II	1600.00	01.07.1996
8	फरक्का एसटीपीएस स्टेज-III	500.00	04.04.2012
9	टांडा टीपीएस	440.00	14.1.2000 (अधिग्रहण की तारीख)
10	कहलगांव एसटीपीएसए स्टेज–I	840.00	01.08.1996
11	कहलगांव एसटीपीएसए स्टेज II	1500.00	20.03.2010
12	सिमहाद्री एसटीपीएस स्टेज I	1000.00	01.03.2003
13	सिमहाद्री एसटीपीएस स्टेज II	1000.00	30.09.2012
14	मौदा एसटीपीएस स्टेज I	1000.00	30.3.2014
15.	मौदा एसटीपीएस स्टेज II	1320.00	1.2.2017
16.	बड एसटीपीएस स्टेज II	1320.00	18.02.2016
17.	कुडुगी एसटीपीएस स्टेज I	2400.00	25.12.2016
18.	बोगेगांव एसटीपीएस स्टेज I	750.00	26.03.2019
19.	बरौनी टीपीएस	220.00	15.12.2018 (अधिग्रहण की तारीख)
20.	सोलापुर एसटीपीएस	1320.00	30.03.2019
	उप–जोड़ (मेगावाट)	**18580.00**	
	कुल एनटीपीसी कोयला (ए+बी)	**39980.00**	

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2019 को संस्थापित क्षमता	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
	एनटीपीसी का गैस/तरल ईंधन आधारित स्टेशन		
1	दादरी सीसीजीटी	829.78	01.04.1997
2	फरीदाबाद	431.59	01.01.2001
3	अंटा सीसीजीटी	419.33	01.03.1990
4	ओरय्या जीपीएस	663.36	01.12.1990
5	गंधार जीपीएस	657.39	01.11.1995
6	कवास जीपीएस	656.20	01.09.1993
7	कयामकुलम सीसीजीटी	359.58	01.03.2000
	कुल एनटीपीसी (गैस)	**4017.23**	
	कुल एनटीपीसी (कोयला+गैस)	**43997.23**	

अनुबंध-III

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.3.2019 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2019 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख
1.	टीपीएस-I	500	21.02.1970
2.	टीपीएस–2 (स्टे– I)	630	23.04.1988
3.	टीपीएस–2 (स्टे– II)	840	09.04.1994
4.	टीपीएस– I (विस्तार)	420	05.09.2003
5.	बरसिंगसर टीपीएस	250	21.01.2012
6.	टीपीएस–2 (विस्तार)	500	जुलाई, 2015
7.	**कुल लिग्नाइट आधारित टीपीएस**	**3140**	

अनुबंध-IV

दामोदर वैली कारपोरेशन के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.3.2019 को संस्थापित क्षमता

उत्पादन केन्द्र	क्षमता (मेगावाट)	आरंभ
	थर्मल	
बोकारो टीपीएस 'बी'	(1X 210) = 210	अगस्त, 1993
बोकारो टीपीएस 'ए'	(1 X500) = 500	फरवरी, 2017
चन्द्रपुरा टीपीएस	(1X 130)+(2 X 250) = 630	U-III: जुलाई, 1968 U-VII: नवम्बर, 2011 U-VIII: जुलाई, 2011
दुर्गापुर टीपीएस	(1 X 210) =210	U-IV: सितम्बर, 1982
मेजिआ टीपीएस	(4X210)+(2X 250)+(2 X500)=2340	U-I मार्च, 1996 U-II मार्च, 1998 U-III सितम्बर, 1999 U-IV फरवरी,2005 U-V फरवरी, 2008 U-VI सितम्बर, 2008 U-VII अगस्त, 2011 U-VIII अगस्त, 2012
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	(2 X 500) = 1000	U-I मई, 2012 U-II मार्च, 2013
कोडरमा टीपीएस	(2 X 500) =1000	U-I जुलाई, 2013 U-II जून, 2014
रंगनाथपुर टीपीएस	(2 X 600) = 1200	मार्च, 2016
कुल थर्मल	**7090**	

अनुबंध-V

नीपको के उत्पादन केन्द्रों/यूनिटों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख और 31.3.2018 को संस्थापित क्षमता

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	31.03.2019 को संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	केन्द्र/यूनिट के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	
1.	अगरत्तला जीपीएस	84 (21X4) गैस टर्बाइन	01.08.1998	
		51 (25.5X2) स्टीम टर्बाइन	01.09.2015	
2.	असम जीपीएस	291	01.04.1999	
3.	त्रिपुरा गैस आधारित समन्वित साइकल पावर प्रोजेक्ट	101 (1 X 65.42 MW) गैस टर्बाइन और (1 X 35.58 MW) स्टीम टर्बाइन=101	गैस टर्बाइन (65.42 MW)	24.12.2015
			स्टीम टर्बाइन (35.58 MW)	31.03.2017
	कुल	**527.00**		

अनुबंध-VI

थर्मल पावर स्टेशनों का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ विवरण				
क्र. सं.	स्टेशन	नियत प्रभार (P/ किलोवाट घण्टा)	ऊर्जा प्रभार (P/ किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (P/ किलोवाट घण्टा)
एनटीपीसी एवं उसके संयुक्त उद्यम				
1	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	80.98	399.49	480.47
2	बड़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन -II	186.48	215.36	401.84
3	बोंगेगांव टीपीएस	271.42	305.41	576.83
4	फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन -I	83.47	240.35	323.82
5	फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन -III	150.42	240.79	391.21
6	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन ऊंचाहार -I	109.65	289.00	398.65
7	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन ऊंचाहार -II	101.32	289.65	390.97
8	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन ऊंचाहार -III	136.43	291.57	427.99
9	फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन ऊंचाहार -IV	153.13	279.75	432.88
10	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन -I	106.53	225.60	332.14
11	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन -II	109.80	216.34	326.14
12	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन -I	68.88	128.46	197.34
13	कोरबा सुपर थर्मल पावर स्टेशन-III	139.61	126.55	266.16
14	कुदगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	155.18	380.45	535.63
15	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन -I	189.43	298.10	487.53

16	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन -II	142.20	286.21	428.41
17	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी-I	98.69	368.41	467.10
18	नेशनल कैपिटल थर्मल पावर स्टेशन दादरी-II	144.99	343.14	488.13
19	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	73.21	256.68	329.89
20	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन-III	77.64	250.79	328.44
21	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	85.78	132.20	217.98
22	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन-II	71.17	131.96	203.12
23	रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन -III	145.63	133.78	279.40
24	सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन -I	95.13	285.19	380.32
25	सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन-II	153.32	286.47	439.80
26	सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन	65.75	136.96	202.71
27	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	131.54	122.31	253.85
28	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन-II	124.87	126.34	251.21
29	सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	215.58	392.89	608.48
30	तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	96.36	174.14	270.50
31	तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन-II	72.14	173.44	245.58
32	तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन	145.32	173.62	318.94
33	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	128.32	277.91	406.23
34	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन-I	86.36	150.05	236.40
35	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन-II	70.10	150.09	220.19
36	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन-III	105.46	150.37	255.83
37	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन-IV	158.00	152.48	310.48
38	विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन-V	168.65	160.45	329.09
39	कोलदम एचपीएस	249.19	248.91	498.10
40	अंता गैस टीपीपी	71.73	503.7	575.45
41	औरैया गैस टीपीपी	64.18	601.4	665.59
42	दादरी गैस टीपीपी	58.25	421.4	479.60
43	फरीदाबाद गैस टीपीपी	75.80	343.1	418.91
44	कवास गैस टीपीपी	85.41	285.5	370.90
45	झानोर गांधार गैस टीपीपी	108.21	277.5	385.73
46	केबीयूएनएल कांती स्टेज-I	115.70	338.80	454.50
47	केबीयूएनएल कांती स्टेज-II	274.10	248.40	522.50
48	बीआरबीसीएल	241.00	194.00	435.00
49	एपीसीपीएल, झज्जर	163.00	339.00	502.00

50	एनटीईसीएल–वैल्लूर	178.00	337.70	515.70
	डीवीसी			
1	बीटीपीएस यू # 3	77.02	209.92	286.94
2	सीटीपीएस यू # 3	105.16	0.00	105.16
3	सीटीपीएस 7 & 8	156.61	189.00	345.61
4	एमटीपीएस 1-3	84.82	283.23	368.05
5	एमटीपीएस 4	83.58		366.81
6	एमटीपीएस 5 & 6	139.84	286.10	425.94
7	एमटीपीएस 7 & 8	144.46	261.90	406.36
8	डीएसटीपीएस 1-2	156.51	250.60	407.11
9	बीटीपीएस यू # 4	92.34	325.38	417.72
10	केटीपीएस 1-2	166.65	203.70	370.35
11	बीटीपीएस ए	218.80	163.70	382.50
12	आरटीपीएस 1&2	164.84	228.30	393.14
13	मैथन एचपीएस (1 से 3)	173.00	173.00	346.00
14	पंचेत एचपीएस (1 & 2)	163.10	163.10	326.20
15	तिलैया एचपीएस (1 & 2)	951.80	951.80	1903.60
	नीपको			
1	दोयांग एचईपी	216.90	289.30	508.20
2	रंगानदी एचईपी	140.70	108.80	250.80
3	कोपिली एचईपी	79.00	58.20	138.40
4	खानडाँग एचईपी	129.30	89.10	219.40
5	कोपिली-II एचईपी	82.30	81.70	163.90
6	परे एचईपी	250.00	250.00	500.00
7	तुईरियल एचईपी	408.40	120.90	529.40
8	अगरतला जीपीएस	204.60	248.80	465.70
9	आसम जीपीएस	230.10	204.60	443.80
10	त्रिपुरा गैस आधारित सीसीपीपी	258.90	178.80	437.80
11	मोनारचक सौर विद्युत प्लांट	0.00	289.90	289.90
	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि.			
1	ओटीपीसीएल–पलाटना विद्युत परियोजनाएं	170.00	142.00	312.00
	एनएलसी इंडिया लि.			
1	टीपीएस	105.9	366.8	472.7
2	थर्मल पावर स्टेशन-2 स्टेज-I	80.5	258.4	338.9

3	थर्मल पावर स्टेशन-2 स्टेज-II	83.4	258.5	341.9
4	थर्मल पावर स्टेशन-I विस्तार	102.5	239.2	341.7
5	थर्मल पावर स्टेशन-2 विस्तार	230.9	254.0	484.9
6	बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन	228.2	112.8	341

नोट: वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ विवरण संबद्ध उत्पादनकारी कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

अनुबंध-VII

दिनांक 31.03.2019 को संस्थापित क्षमता तथा विभिन्न प्रकार के प्रत्येक हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	वाणिज्यिक प्रचालन का वर्ष
क.	**एनएचपीसी**				
1.	बैरा सियूल	हिमाचल प्रदेश	पॉंडेज	3 X 60 = 180	01.04.1982
2	लोकताक	मणिपुर	स्टोरेज	3 x 35 = 105	01.06.1983
3	टनकपुर	उत्तराखण्ड	आरओआर	3 x 31.40 = 94.20	01.04.1993
4	चमेरा – I	हिमाचल प्रदेश	पॉंडेज	3 x 180 = 540	01.05.1994
5	सलाल	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	6 x 115 = 690	01.04.1995
6	उरी–I	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4 x120 = 480	01.06.1997
7	रंगीत एच.ई. परियोजना	सिक्किम	पॉंडेज	3 x 20 = 60	15.02.2000
8	चमेरा – II	हिमाचल प्रदेश	पॉंडेज	3 x 100 = 300	31.03.2004
9	धौलीगंगा	उत्तराखण्ड	पॉंडेज	4 x 70 = 280	01.11.2005
10	दुलहस्ती	जम्मू और कश्मीर	पॉंडेज	3 x130 = 390	07.04.2007
11	तीस्ता–V	सिक्किम	पॉंडेज	3 x 170 = 510	10.04.2008
12	सेवा–II	जम्मू और कश्मीर	पॉंडेज	4 x 30 = 120	24.07.2010
13	चमेरा – III	हिमाचल प्रदेश	पॉंडेज	3 x 77 =231	04.07.2012
14	चटक	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4x11=44	01.02.2013
15	तीस्ता निम्न बांध –III	सिक्किम	छोटे पॉंडेज के साथ आरओआर	4 x 33 =132	19.05.2013
16	निम्मो बाजगो	जम्मू और कश्मीर	पॉंडेज	3x15= 45	10.10.2013
17	उरी – II	जम्मू और कश्मीर	आरओआर	4 x 60 =240	01.03.2014
18	पार्बती एसटीजी–III	हिमाचल प्रदेश	पॉंडेज	4x130=520	06.06.2014
19	तीस्ता निम्न बांध IV	सिक्किम	दैनिक पॉंडेज के साथ आरओआर	4 x40=160	19.08.2016
20	किशनगंगा	जम्मू और कश्मीर	पॉंडेज	3x110=330	24.05.2018
	कुल आई.सी.			**5451.20**	
ख	**एनएचडीसी**				
21	इंदिरा सागर	मध्यप्रदेश	स्टोरेज	8x125=1000	25.08.2005
22	ओंकारेश्वर	मध्यप्रदेश	पॉंडेज	8x65 = 520	15.11.2007
	कुल आई.सी.			**1520**	

ग	**टीएचडीसी**				
23	टिहरी	उत्तराखण्ड	स्टोरेज	4x250=1000	09.07.2007
24	कोटेश्वर	उत्तराखण्ड	पोंडेज	4x100=400	01.04.2012
	कुल आई.सी.			**1400**	
घ	**एसजेवीएनएल**				
25	नथपा झाकड़ी	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	6X250=1500	18.05.2004
26	रामपुर		Tandem	6x68.66=412	16.12.2014
	कुल आई.सी.			**1912**	
ङ	**डीवीसी**				
27	मैथान	झारखण्ड/प. बंणल	स्टोरेज	2x20,1x23.20=63.2	December, 1958
28	पंचेत	झारखण्ड/प. बंगाल	स्टोरेज	2x40=80	March,1991
29	तैलईया	झारखण्ड	स्टोरेज	2x2=4	August,1953
	कुल आई.सी.			**147.20**	
च	**नीपको**				
30	रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	3x135=405	12.04.2002
31	कोपिली स्टे–I	असम	स्टोरेज	4x50=200	12.07.1997
32	कोपिली स्टे–II	असम	स्टोरेज	1x25=25	26.07.2004
33	खानडौंग	असम	स्टोरेज	2x25=50	04.05.1984
34	दोयांग	नागालैण्ड	स्टोरेज	3x25=75	08.07.2000
35	तुईरियल	मिजोरम	स्टोरेज	2x30=60	27.04.2018
36	परे	अरुणाचल प्रदेश	पोंडेज	2x55=110	28.05.2018
	कुल आई.सी.			**815.00**	
छ	**एनटीपीसी**				
37	कोलदम	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x200=800	18.07.2015
	कुल आई.सी.			**800.00**	
ज	**बीबीएमबी**				
38	बीबीएमबी के उत्पादन स्टेशन	पंजाब	आरओआर/स्टोरेज	2,918.72	1955-1983
	कुल आई.सी.			**2,918.72**	
झ	**तीस्ता ऊर्जा लि.**				
39	तीस्ता–III एचईपी	सिक्किम	पोंडेज	6x200=1200	28.02.2017
	कुल आई.सी.			**1200.00**	
ञ	**आईपीपी**				
40	कर्चम वांगतू	हिमाचल प्रदेश	पोंडेज	4x250=1000	13.09.2011
	कुल आई.सी.			**1000.00**	
	आई.सी. का कुल योग			**17164.12**	

अनुबंध-VIII

हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों के समग्र टैरिफ

क्र. सं.	उत्पादनकारी कंपनी/स्टेशन का नाम	प्रकार	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	वार्षिक नियत प्रभार (₹/करोड़)	समग्र टैरिफ (₹/किलोवाट घंटा)
	एनएचपीसी					
1	बैरा सियूल	पोंडेज	180	779	138	2.03
2	लोकताक	भंडारण	105	448	150	3.84
3	सलाल	आरओआर	690	3082	331	1.23
4	टनकपुर	आरओआर	123	452	130	3.29
5	चमेरा–I	पोंडेज	540	1665	330	2.28
6	उरी–I	आरओआर	480	2587	370	1.64
7	रंगीत	पोंडेज	60	339	112	3.80
8	चमेरा –II	पोंडेज	300	1500	262	2.01
9	धौलीगंगा-I	पोंडेज	280	1135	240	2.43
10	दुलहस्ती	आरओआर	390	1907	912	5.50
11	तीस्ता-V	पोंडेज	510	2572	520	2.32
12	सेवा-II*	पोंडेज	120	534	199	4.33
13	चमेरा-III*	पोंडेज	231	1086	405	4.25
14	चटक	आरओआर	44	213	145	7.85
15	उरी-II	आरओआर	240	1124	469	4.86
16	निम्मो बाजगो	पोंडेज	45	239	176	8.46
17	तीस्ता–एलडीपी-III*	पोंडेज	132	594	361	6.20
18	तीस्ता –एलडीपी-IV*	पोंडेज	160	581	162	2.56
19	पार्बती-III	आरओआर	520	1977	520	3.02
	कुल		**5150**	**22814**		
	एनएचडीसी					
1	इंदिरा सागर	भंडारण	1000	2247	529	2.70
2	ओंकारेश्वर	भंडारण	520	957	398	4.78
	कुल		**1520**	**3204**		
	टीएचडीसी					
1	टिहरी एचपीपी स्टेज–I	भंडारण	1000	2767	1292	5.36
2	कोटेश्वर एचईपी	पोंडेज के साथ RoR	400	1155	466	4.63
	कुल		**1400**	**3922**		
	एसजेवीएनएल					
1	नथपा झाकड़ी	आरओआर	1500	6924	1345	2.23
2	रामपुर एचईपी	आरओआर	412	1878	697	4.27

	कुल		**1912**	**8802**		
	नीपको					
1	कोपिली एचईपी स्टेज-I	भंडारण	200	1186	120	1.16
2	कोपिली एचईपी स्टेज-II	भंडारण	25	86	12	1.63
3	खानडौंग	भंडारण	50	278	44	1.81
4	दोयांग	भंडारण	75	227	108	5.48
5	रंगानदी एचईपी	पोंडेज	420	1874	273	1.67
	कुल		**770**	**3651**		

*वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ अभी तक अवधारित नहीं किया गया है, इसलिए, बिलिंग के लिए स्वीकृत टैरिफ दिया गया है।

अनुबंध-IX

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के सामान्य टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2019–20) (₹/किलोवाट घंटा)
लघु हाइड्रो पावर योजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य (5 मेगावाट से कम)	5.27
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.44
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम)	6.23
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	5.21

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.82	4.82	7.65	0.11	7.53
हरियाणा	2.88	5.49	8.37	0.11	8.25
महाराष्ट्र	2.89	5.61	8.50	0.11	8.39
पंजाब	2.90	5.74	8.64	0.11	8.53
राजस्थान	2.82	4.79	7.61	0.11	7.50
तमिलनाडु	2.82	4.74	7.56	0.11	7.45
उत्तर प्रदेश	2.83	4.91	7.74	0.11	7.62
अन्य	2.85	5.16	8.01	0.11	7.89

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.98	4.93	7.91	0.13	7.78
हरियाणा	3.03	5.61	8.65	0.13	8.52
महाराष्ट्र	3.04	5.74	8.79	0.13	8.66
पंजाब	3.05	5.87	8.93	0.13	8.80
राजस्थान	2.97	4.90	7.88	0.13	7.75
तमिलनाडु	2.97	4.85	7.82	0.13	7.70
उत्तर प्रदेश	2.98	5.02	8.00	0.13	7.88
अन्य	3.01	5.28	8.28	0.13	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.93	4.82	7.76	0.13	7.63
हरियाणा	2.99	5.49	8.48	0.13	8.35
महाराष्ट्र	3.00	5.61	8.61	0.13	8.49
पंजाब	3.01	5.74	8.75	0.13	8.63
राजस्थान	2.93	4.79	7.72	0.13	7.60
तमिलनाडु	2.93	4.74	7.67	0.13	7.55
उत्तर प्रदेश	2.94	4.91	7.85	0.13	7.72
अन्य	2.96	5.16	8.12	0.13	7.99

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	3.10	4.93	8.03	0.14	7.89
हरियाणा	3.15	5.61	8.77	0.14	8.63
महाराष्ट्र	3.16	5.74	8.91	0.14	8.77
पंजाब	3.18	5.87	9.05	0.14	8.91
राजस्थान	3.09	4.90	8.00	0.14	7.86
तमिलनाडु	3.09	4.85	7.94	0.14	7.81
उत्तर प्रदेश	3.10	5.02	8.12	0.14	7.99
अन्य	3.13	5.28	8.40	0.14	8.27

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.82	4.74	7.55	0.11	7.44
हरियाणा	2.87	5.39	8.26	0.11	8.15
महाराष्ट्र	2.88	5.51	8.39	0.11	8.28
पंजाब	2.89	5.64	8.53	0.11	8.41
राजस्थान	2.81	4.71	7.52	0.11	7.40
तमिलनाडु	2.81	4.66	7.47	0.11	7.35
उत्तर प्रदेश	2.82	4.82	7.64	0.11	7.53
अन्य	2.84	5.07	7.91	0.11	7.79

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.97	4.84	7.81	0.13	7.69
हरियाणा	3.02	5.51	8.54	0.13	8.41
महाराष्ट्र	3.04	5.64	8.68	0.13	8.55
पंजाब	3.05	5.77	8.81	0.13	8.69
राजस्थान	2.97	4.81	7.78	0.13	7.65
तमिलनाडु	2.96	4.77	7.73	0.13	7.60
उत्तर प्रदेश	2.98	4.93	7.91	0.13	7.78
अन्य	3.00	5.18	8.18	0.13	8.05

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
वाटर कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	2.93	4.74	7.66	0.13	7.54
हरियाणा	2.98	5.39	8.37	0.13	8.25
महाराष्ट्र	2.99	5.51	8.50	0.13	8.38
पंजाब	3.00	5.64	8.64	0.13	8.51
राजस्थान	2.92	4.71	7.63	0.13	7.50
तमिलनाडु	2.92	4.66	7.58	0.13	7.45
उत्तर प्रदेश	2.93	4.82	7.75	0.13	7.63
अन्य	2.95	5.07	8.02	0.13	7.89

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
पवन कूल कन्डेन्सर और एएफबीसी बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जैली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना)					
आन्ध्रा प्रदेश	3.09	4.84	7.94	0.14	7.80
हरियाणा	3.15	5.51	8.66	0.14	8.52
महाराष्ट्र	3.16	5.64	8.80	0.14	8.66
पंजाब	3.17	5.77	8.93	0.14	8.80
राजस्थान	3.09	4.81	7.90	0.14	7.76
तमिलनाडु	3.08	4.77	7.85	0.14	7.71
उत्तर प्रदेश	3.10	4.93	8.03	0.14	7.89
अन्य	3.12	5.18	8.30	0.14	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
बगास आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	3.23	3.13	6.36	0.17	6.19
हरियाणा	2.89	4.45	7.34	0.15	7.19
महाराष्ट्र	2.59	4.38	6.98	0.13	6.85
पंजाब	2.85	3.91	6.76	0.15	6.61
तमिलनाडु	2.51	3.37	5.88	0.13	5.75
उत्तर प्रदेश	3.26	3.49	6.75	0.17	6.58
अन्य	2.84	3.79	6.63	0.15	6.48

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2019-20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)	(₹/kWh)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	2.62	4.40	7.02	0.08	6.94
हरियाणा	2.68	5.01	7.68	0.08	7.60
महाराष्ट्र	2.68	5.12	7.81	0.08	7.72
पंजाब	2.69	5.24	7.93	0.08	7.85
राजस्थान	2.62	4.37	6.99	0.08	6.91
तमिलनाडु	2.62	4.33	6.95	0.08	6.86
उत्तर प्रदेश	2.63	4.48	7.11	0.08	7.02
अन्य	2.65	4.71	7.36	0.08	7.27
बायो–गैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.43	4.40	7.83	0.19	7.64

अनुबन्ध-X

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान केविविआ के अध्यक्ष/सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का विवरण

क्र. सं.	अवधि	प्रतिनियुक्त अधिकारी का नाम एवं पद	संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यक्रम का नाम	दौरा किया गया देश
12	7–11/मई/2018	सुश्री गीतू जोशी प्रमुख (अर्थशास्त्र)	जौहनसबर्ग में क्रॉस–बार्डर विद्युत बाजार पर अध्ययन दौरा	दक्षिण अफ्रीका
2	7–11/मई/2018	सुश्री शिल्पा अग्रवाल संयुक्त प्रमुख (अभियांत्रिकी)	जौहनसबर्ग में क्रॉस–बार्डर विद्युत बाजार पर अध्ययन दौरा	दक्षिण अफ्रीका
3	9–11/मई/2018	श्री पी. के पुजारी, अध्यक्ष	साफिर की 15वीं ईसीएम एवं 24वीं एससीएम में सहभागिता के लिए	बांग्लादेश
4	9–11/मई/2018	श्री सनोज कुमार झा सचिव	साफिर की 15वीं ईसीएम एवं 24वी एससीएम में सहभागिता के लिए	बांग्लादेश
5	9–11/मई/2018	डॉ. एस. के. चटर्जी संयुक्त प्रमुख (आरए)	साफिर की 15वीं ईसीएम एवं 24वी एससीएम में सहभागिता के लिए	बांग्लादेश
6	14–17/मई/2018	सुश्री रश्मि एस. नायर डीसी(आरए)	दक्षिण एशिया में नॉलेज शेयरिंग, क्रॉस कटिंग ऊर्जा विनियामक मुद्दों को निपटाने तथा सीबीपी को सुकर बनाने के लिए विनियामक सहयोग के संबंध में साफिर की डब्ल्यूजी की प्रथम बैठक में उपस्थित होने के लिए	श्रीलंका
7	18–20/जुलाई/2018	श्री अनीपू सुरेश उप–प्रमुख (अभियांत्रिकी)	"दक्षिण एशिया में कुशल राष्ट्रीय एवं क्रॉस बॉर्डर अंतः परस्पर संबद्ध विद्युत प्रणालियों के लिए पीएसएस/ई का उपयोग करते हुए भार/विद्युत प्रवाह अध्ययन के संबंध में प्रशिक्षण" के संबंध में सार्क कार्यशाला में सहभागिता के लिए	थिंपू (भूटान)
8	18–20/ अगस्त/2018	श्री महेश गुप्ता सहायक प्रमुख (लेखा)	एमईए द्वारा आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में सहभागिता के लिए	मॉरिशियस
9	24–28/सितम्बर./2018	डॉ. एम. के. अय्यर, सदस्य	आरआई एवं लचीले प्रचालन तथा यूरोपीय विद्युत एक्सचेंज के लिए यूरोपीय विनियामक रूपरेखा के संबंध में अध्ययन दौरा	जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया
10	24–28/सितम्बर/2018	श्री एस. सी. श्रीवास्तव प्रमुख (अभियांत्रिकी)	आरआई एवं लचीले प्रचालन तथा यूरोपीय विद्युत एक्सचेंज के लिए यूरोपीय विनियामक रूपरेखा के संबंध में अध्ययन दौरा	जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया
11	26/सितम्बर से 6/अक्तूबर/2018	श्री पी. के पुजारी, अध्यक्ष	भारत ऊर्जा भंडारण एवं स्मार्ट ग्रिड रिवर्स व्यापार मिशन कार्यक्रम में सहभागिता के लिए	संयुक्त राष्ट्र अमेरिका
12	15–19/अक्तूबर/2018	श्री सनोज कुमार झा सचिव	ऊर्जा विनियम केन्द्र, आईआईटी (कानपुर) द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहभागिता के लिए	फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम
13	15–19/अक्तूबर/2018	सुश्री गीतू जोशी प्रमुख (अर्थशास्त्र)	ऊर्जा विनियम केन्द्र, आईआईटी (कानपुर) द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहभागिता के लिए	फ्रांस एवं यूनाइटेड किंगडम

14	29/अक्तूबर से 2/नवम्बर/2018	श्री पी. के पुजारी, अध्यक्ष	11वें सिंगापुर ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह में स्पीकर के रूप में सहभागिता के लिए	सिंगापुर
15	13–14/नवम्बर/2018	श्री टी. राउत प्रमुख (विधि)	ऊर्जा विनियामकों (विद्युत) के विशेषज्ञों के सार्क परिषद की तीसरी बैठक	श्री लंका
16	19–22/नवम्बर/2018	श्री पी. के पुजारी, अध्यक्ष	यूरोपीय संघ–भारत स्मार्ट ग्रिड वर्कशॉप में सहभागिता के लिए	इटली
17	21–23/नवम्बर/2018	श्री अरुण कुमार सहायक सचिव (विनियामक फोरम)	साफिर की 16वीं ईसीएम में सहभागिता के लिए	थिंपू (भूटान)
18	27–30/नवम्बर/2018	श्री पी. के पुजारी, अध्यक्ष	2018 एपीईआर फोरम बैठक में सहभागिता के लिए	जापान
19	27–30/नवम्बर/2018	श्री सनोज कुमार झा सचिव	2018 एपीईआर फोरम बैठक में सहभागिता के लिए	जापान
20	27–30/नवम्बर/2018	डॉ. एस. के. चटर्जी संयुक्त प्रमुख (आरए)	2018 एपीईआर फोरम बैठक में सहभागिता के लिए	जापान
21	06/01/2019–16.02.2019	श्री जगदीश चंदर, सहायक प्रमुख (अभियांत्रिकी)	जानकारी सह–निर्माण कार्यक्रम में सहभागिता के लिए	जापान
22	11/03/2019–15/03/2019	श्री एच. टी. गांधी, संयुक्त प्रमुख (अभियांत्रिकी)	विद्युत के लचीलेपन के अंतर्गत लचीलेपन तथा पावर बाजार डिज़ाइन के दानिश अनुभवों से सीखने के लिए	डेनमार्क
23	11/03/2019–15/03/2019	डॉ. यू. आर. प्रसाद, उप–प्रमुख (अर्थशास्त्र)	विद्युत के लचीलेपन के अंतर्गत लचीलेपन तथा पावर बाजार डिज़ाइन के दानिश अनुभवों से सीखने के लिए	डेनमार्क
24	18/03/2019–28/03/2019	श्री राजीव पुष्करना डीसी (वित्त)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के ग्रिड में एकीकरण के लिए मध्यम स्तर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	स्पेन एवं जर्मनी
25	25/03/2018–28/03/2019	श्री पी. के पुजारी, अध्यक्ष	फ्लोरेंस में हुए प्रथम एफएसआर वैश्विक फोरम में सहभागिता के लिए	इटली
26	25/03/2018–28/03/2019	श्री टी. राउत प्रमुख, (विधि)	फ्लोरेंस में हुए प्रथम एफएसआर वैश्विक फोरम में सहभागिता के लिए	इटली
27	29/03/2019–30/03/2019	श्री सनोज कुमार झा सचिव	नेपाल निवेश शिखर सम्मेलन में सहभागिता के लिए	नेपाल

अनुबन्ध-XI

वर्ष 2018–19 के दौरान भारत में केविवि आयोग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे की सूची

क्रम सं.	नाम	पद	उद्देश्य	स्थान
1	श्री टी. राउत	प्रमुख (विधि)	इटानगर में विद्युत क्षेत्र अधिकारियों के लिए कार्यशाला / अभिविन्यास कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए	गुवाहाटी
2	श्री एम. के. अय्यर	सदस्य	केरला में राज्य स्तर पर नवीकरण के संबंध में रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु स्थायी तकनीकी समिति की 20वीं बैठक	केरला
3	श्री ए. एस. बक्शी	सदस्य	केरला में राज्य स्तर पर नवीकरण के संबंध में रूपरेखा के कार्यान्वयन हेतु स्थायी तकनीकी समिति की 20वीं बैठक	केरला
4	श्री महेश गुप्ता	सहायक प्रमुख (लेखा)	रायपुर, छत्तीसगढ़ में कार्याशाला	छत्तीसगढ़
5	सुश्री शिल्पा अग्रवाल	संयुक्त प्रमुख (अभि.)	कोलकाता में प्वाइंट ऑफ कनेक्शन ईआरपीसी के संबंध में कार्यशाला	कोलकाता
6	श्री एस. सी. श्रीवास्तव	प्रमुख (अभि.)	पावर फाईनेंस निगम विद्युत विनियम निवेशक परिप्रेक्ष्य 2018	मुंबई
7	श्री अनेपू सुरेश	उप प्रमुख (अभि.)	प्वाइंट ऑफ कनेक्शन प्रभारों के संबंध में कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए	कोलकाता
8	श्री एम. एम. चौधरी	उप प्रमुख (अभि.)	पावर फाईनेंस निगम विद्युत विनियम निवेशक परिप्रेक्ष्य 2018	मुंबई
9	श्री राजीव पुष्करणा	उप प्रमुख (वित्त)	निवेशकों का सम्मेलन	मुंबई
10	श्री एम. के. आनंद	प्रमुख (वित्त)	डार्ट इंडिया सम्मेलन	मुंबई
11	श्री वी. एस. राणा	सहायक प्रमुख (अभि.)	नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड समेकीकरण के विषय के संबंध में अध्ययन दौरा	कोइम्बटूर
12	श्री अनेपू सुरेश	उप प्रमुख (अभि.)	आईआईटी, मुंबई में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए	मुंबई
13	श्री वी. एस. राणा	सहायक प्रमुख (अभि.)	प्रणाली का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए	कोलकाता
14	श्री एम. के. अय्यर	सदस्य	विनियामकों के लिए द्वितीय कार्यकारी प्रबंधन कार्यशाला	हैदराबाद/ विशाखापट्टनम
15	डॉ. एस. के. चटर्जी	प्रमुख (आरए)	विद्युत क्षेत्र अधिकारियों के लिए कार्यशाला / अभिविन्यास कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए	गुवाहाटी
16	डॉ. एस. के. चटर्जी	प्रमुख (आरए)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के लिए कुशलता कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए	गुजरात
17	श्री टी. राउत	प्रमुख (विधि)	विद्युत क्षेत्र अधिकारियों के लिए कार्यशाला / अभिविन्यास कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए	गुवाहाटी
18	सुश्री वैशाली राणा	उप प्रमुख (एमआईएस)	ई–गवर्नेंस में उभरती प्रौद्योगिकियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर थीमेटिक कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए	हैदराबाद

अनुबन्ध-XII

वर्ष 2018–19 के लिए परिक्षित वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ), नई दिल्ली के वार्षिक लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा–परीक्षा रिपोर्ट

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2019 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) के संलग्न तुलनपत्र तथा उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखाओं की लेखापरीक्षा की। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी केविविआ के प्रबंधक की है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है।

2. इन पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, बेहतर पद्धतियों के अनुरूप लेखांकन मानक तथा प्रकटन मानकों आदि के बारे में केवल लेखांकन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका–टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियमों तथा विनियमों (प्रोप्राइटी तथा नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय संव्यवहारों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा दक्षता एवं कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम इस बात के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तथा कार्यनिष्पादन करें कि वित्तीय विवरण में गलत विवरण नहीं हो। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशि के साक्ष्य स्वरूप दस्तावेज तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन सम्मिलित होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

4. अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि :–

i. हमने वह सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ii. इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र तथा आय तथा व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100 की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकारा द्वारा अनुमोदित प्रारूप से लिए गए हैं;

iii. हमारी राय में, लेखाओं की समुचित बहियां तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 100(1) के अंतर्गत यथापेक्षित (वर्ष 2003 तथा 2007 के संशोधन सहित) केविविआ द्वारा रख–रखाव किया गया है ऐसा बहियों का हमारी जांच से प्रतीत होता है।

iv. हम यह भी रिपोर्ट करते है:

क. सहायता अनुदान

वर्ष 2017–18 तक, केविविआ अपनी समग्र फीस तथा अन्य प्राप्तियां विद्युत मंत्रालय के साथ केविविआ निधि में जमा कर रहा था तथा केविविआ के खर्चों के लिए, विद्युत मंत्रालय सहायता अनुदान जारी करता था। वर्ष 2018–19 से, वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के साथ निर्णय/विचार–विमर्श के अनुसार, केविविआ की फीस तथा अन्य प्राप्तियों की राशि, केविविआ की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट के परिमाण तक केविविआ में रखी जाती हैं।

ख. प्रबंधन पत्र

वे कमियां, जिन्हें पृथक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया, उसे उपचारात्मक / सुधार कार्रवाई के लिए पृथक रूप से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से, अध्यक्ष, केविविआ की जानकारी में लाया गया।

v. हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट के द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा खाता बहियों के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में हमारी बेहतर जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों तथा लेखाओं पर टिप्पण के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणों तथा उपरोक्त कथित महत्वपूर्ण मामलों और इस पृथक संपरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध–1 में उपरिलिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा अन्य मामलों के अधीन, रहते हुए, भारत में साधारणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

क) जहां तक तुलन–पत्र का संबंध है, विद्युत विनियामक आयोग का कार्य 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार है; और

ख) जहां तक आय तथा व्यय लेखा में व्यय से अधिक आय का संबंध है, यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(राजदीप सिंह)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 अक्तूबर, 2019

अनुबंध – I
{पैरा 4(vi) में उल्लिखित}

1.	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	केविविआ का अपना आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल है जो 18 जून, 2013 को अनुमोदित हुआ। केविविआ, विद्युत मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा के भी अधीन है। वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा केविविआ की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के लिए केविविआ की आंतरिक लेखापरीक्षा मै. एन के बंसल एंड कं., चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा की गई है।
2.	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता	ए2 में हमारे संप्रेक्षण के अधीन मॉनिटरिंग प्राप्तियां और भुगतान तथा उसके लेखांकन के लिए आंतरिक नियंत्रण मैकेनिज्म केविविआ गतिविधियों के आकार और प्रकृति के अनुरूप था।
3.	नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली	वर्ष 2018–19 के लिए नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन केविविआ के अधिकारियों की समिति द्वारा किया गया है जिसमें उप–प्रमुख (प्रबंध सूचना प्रणाली), सहायक सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) तथा सहायक अनुभाग अधिकारी शामिल हैं। नियत आस्तियों के रजिस्टर का रख–रखाव केविविआ द्वारा किया गया है।
4.	उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता	केविविआ उनके लिए लागू सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है।

हस्ता/–
प्रधान निदेशक

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
पूंजी निधि और दायित्व			
पूंजी निधि	1	**189.83**	267.93
केविविआ निधि	2	**52,799.11**	42,917.13
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3	**85,620.05**	80,114.93
कुल		**138,608.99**	123,299.99
आस्तियां			
नियत आस्तियां	4,4A	**205.15**	267.93
पूंजी चालू कार्य	5	**12.08**	
जमा – प्रतिभूति जमा	6	**503.73**	504.20
ऋण तथा अग्रिम	7	**22.38**	18.12
विविध देनदार	8	**-**	22.12
नकद तथा बैंक शेष	9	**84,593.68**	79,782.50
अन्य चालू आस्तियां	10	**53,271.97**	42,705.12
कुल		**138,608.99**	123,299.99
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	20		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	21		

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाख में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
आय			
विद्युत मंत्रालय से अनुदान	11	-	4,141.59
फीस (पूर्ववर्ती वर्ष– रु. 12,703 लाख accounted for in Sch.2 - केविविआ निधि, Note 21 Refers)	12	14,253.64	-
ब्याज आय (Previous Year-Rs194 Lakhs accounted for in Sch.2-CERC FUND,Note 21 Refers)	13	599.01	-
अन्य आय	14	10.72	0.76
पूर्व अवधि मदें (निवल)	15	7.30	
आस्थागित आय	4	77.89	144.91
(सहायता अनुदान से अर्जित आस्तियों पर अवक्षयण)			
सीईआरसी निधि से समायोज्य व्यय (उपचित आधार)		-	182.87
कुल (क)		**14,948.56**	**4,470.13**
व्यय			
स्थापना खर्चे	16	1,403.33	1,396.19
व्यावसायिक एवं अन्य सेवाओं का भुगतान		329.67	306.56
यात्रा खर्चे	17	68.59	42.82
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	18	3,024.74	2,445.22
स्टेशनरी तथा मुद्रण		30.13	28.58
मरम्मत तथा रखरखाव	19	50.78	66.19
पेट्रोल तथा स्नेहक		15.18	14.40
आतिथ्य खर्चे		29.94	21.86
लेखा–परीक्षा शुल्क		4.82	3.40
मूल्यह्रास	4,4A	89.19	144.91
अशोध्य बट्टे खाते डालना		13.42	
संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था		8.00	-
कुल (ख)		**5,067.79**	**4,470.13**
सीईआरसी निधि लेखा में अंतरित व्यय पर आय की अधिकता		9,880.77	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	20		
आकस्मिक दायित्व और लेखाओं पर टिप्पण	21		

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च, 2019 को तुलनपत्र की भागरूप अनुसूचियां

(₹ लाख में)

अनुसूची 1 : पूंजी निधिः		चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
पूंजी रिजर्व – अनुदान सहायता से सृजित आस्तियां :		**267.93**	371.18
घटाएं : अचल आस्तियों पर अवक्षयण के कारण आस्थागित आय (सहायता अनुदान से अर्जित)	77.89		
घटाएं : सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य	0.21	**(78.10)**	(103.25)
कुल योग		**189.83**	**267.93**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 2 : सीईआरसी निधिः			चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष			**42,917.13**	34,312.67
घटाएं: पूर्ववर्ती वर्ष में रिलीज की गई रकम का खर्च न किया गया शेष	-	1,484.97		
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज	-	4,215.00		
			-	5,699.97
			42,917.13	28,612.70
जोड़ें: **प्रत्यक्ष आयः**				
फाईलिंग शुल्क/टैरिफ शुल्क	-	8,254.66		
लाइसेंस शुल्क	-	4,248.27		
वार्षिक पंजीकरण शुल्क	-	58.00		
विविध शुल्क	-	142.29	-	12,703.21
अप्रत्यक्ष आय :				
अर्जित ब्याज **(टीडीएस निल)**	-	193.77		
अन्य आय	-	72.61	-	266.37
			42,917.13	**41,582.28**
जोड़ें: अविवादित दंड			**1.00**	1.00
जोड़ें: अगले वित्त वर्ष में आगे ले जाए गए अव्ययित अनुदान नकदी आधार			-	1,558.38
घटाएं: केविविआ निधि से समायोज्या चालू वर्ष की आय पर व्यय की अधिकता (वृद्धि आधार)			-	182.87
जोड़ें: व्यय पर आय की अधिकता			**9,880.77**	-
जोड़ें: सहायता अनुदान से निधिक आस्तियों के निपटान का अवशिष्ट मूल्य			**0.21**	41.66
कुल योग			**52,799.11**	**42,917.13**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 3 : जमा – प्रतिभूति जमा	चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
क. चालू देयताएं		
1. विविध क्रेडिटर्स	563.79	617.39
2. प्रतिदेय वेतन	106.67	88.23
3. स्टाफ को देय अन्य राशि		
3.1 बाल शिक्षा भत्ता देय	8.91	2.13
3.2 चिकित्सा खर्चे देय	6.05	6.57
3.3 छुट्टी यात्रा रियायत देय	0.73	-
3. प्राप्त अग्रिम (फाइलिंग/टैरिफ शुल्क)		
3.1 लौटाने योग्य/समायोज्य फीस	97.52	26.05
3.2 अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेजों के बिना प्राप्त फीस	106.75	63.56
3.3 पारेषण अनुज्ञप्ति शुल्क दृ वित्त वर्ष 18–19	-	2.00
3.4 विविध याचिका शुल्क वित्त वर्ष – 18–19	-	10.00
3.5 विविध याचिका शुल्क वित्त वर्ष – 19–20	7.00	-
3.6 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 18–19	-	92.25
3.7 पारेषण टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष 19–20	0.40	0.40
3.7 पारेषण शुल्क के लिए आवेदन– वित्त वर्ष 19–20	1.00	
3.7 संवादात्मक आवेदन शुल्क – वित्त वर्ष 19–20	1.00	-
3.8 उत्पादन टैरिफ शुल्क – वित्त वर्ष – 18–19	-	26.47
4. भविष्य निधि तथा अन्य अंशदान :		
4.1 सीपीएफ समरूप अंशदान	-	0.12
4.2 जीपीएफ समरूप अंशदान	0.09	0.26
4.3 ईपीएफ समरूप अंशदान	1.24	6.88
4.4 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान	33.13	14.13
4.5 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए छुट्टी वेतन अंशदान	33.72	25.09
4.6 केविविआ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी अंशदान भुगतान	6.28	4.36
4.7 ग्रुप बचत संबद्ध बीमा/एलआईसी	0.01	0.01
4.8 ईपीएफ कर्मचारी अंशदान	1.17	0.26
4.9 एनपीएस समरूप अंशदान	-	0.25
4.10 जीपीएफ अग्रिम	-	0.05
4.11 एचबीए अग्रिम	-	0.07
4.12 ईपीएफ स्वैच्छिक अंशदान	-	0.30
4.13 अन्य वसूली	-	0.02
5. अन्य चालू दायित्व		
5.1 जुर्माना	534.02	499.69
5.2 प्रतिभूति जमा	28.53	78.53
5.3 अन्य वसूलियां (कंप्यूटर अग्रिम)	-	-
5.4 भारत सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना	-	-
5.5 अन्य वसूलियां (कार अग्रिम)	-	0.08
5.6 बयाना जमा	-	2.00
5.7 स्रोत पर कर कटौती	5.45	0.13
कुल (क)	**1,543.46**	1,567.28
6. प्रावधान		
6.1 छुट्टी नकदीकरण	313.76	318.45
6.2 ग्रेच्युटी	258.49	279.08
7. अन्य (विनिर्दिष्ट)		
7.1 संदेय लेखा परीक्षा शुल्क	10.91	6.80
7.2 अन्य	11.77	4.64
कुल (ख)	**594.93**	608.97
8. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आवर्ती जमा (ग)	83,481.66	77,938.68
कुल योग (क+ख+ग)	**85,620.05**	80,114.93

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुसूची 4 – नियत आस्तियां (सहायता अनुदान)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति पर कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
क. मूर्त आस्तियां :											
लकड़ी का विभाजन एवं नवीकरण	**297.94**			**297.94**	**229.58**	18.04			**247.62**	**50.32**	68.36
फर्नीचर और फिटिंग्स	**393.69**			**393.69**	**339.33**	15.98			**355.31**	**38.38**	54.36
मशीनरी और उपकरण	**334.03**			**334.03**	**271.40**	15.21			**286.61**	**47.42**	62.63
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	**78.88**			**78.88**	**40.74**	11.36			**52.10**	**26.78**	38.14
कंप्यूटर/बाह्य उपकरण	**263.69**		4.24	**259.45**	**230.04**	14.50		4.03	**240.51**	**18.94**	33.65
पुस्तकालय पुस्तकें	**5.68**			**5.68**	**5.68**	-			**5.68**	-	-
ख. अमूर्त आस्तियां :											
सॉफ्टवेयर	**161.32**		147.31	**14.01**	**150.53**	2.80		147.31	**6.02**	**7.99**	10.79
कुल	**1,535.23**	-	**151.55**	**1,383.68**	**1,267.30**	**77.89**		**151.34**	**1,193.85**	**189.83**	**267.93**
कुल योग	**1,535.23**	-	**151.55**	**1,383.68**	**1,267.30**	**77.89**	-	**151.34**	**1,193.85**	**189.83**	**267.93**
पूर्ववर्ती वर्ष	**1,501.91**	**64.28**	**30.96**	**1,535.23**	**1,130.73**	**80.56**	**64.35**	**8.34**	**1,267.30**	**267.93**	**371.18**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुसूची 4क – नियत आस्तियां (अन्य)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
<u>क. मूर्त आस्तियां :</u>											
फर्नीचर और फिटिंग्स	-	2.88	-	**2.88**	-	-	0.56	-	**0.56**	**2.32**	-
मशीनरी और उपकरण	-	2.63	-	**2.63**	-	-	1.62	-	**1.62**	**1.01**	-
विद्युत संस्थापन एवं उपकरण	-	1.63	-	**1.63**	-	-	0.42	-	**0.42**	**1.21**	-
कंप्यूटर / बाह्य उपकरण	-	17.22	-	**17.22**	-	-	8.34	-	**8.34**	**8.88**	-
<u>ख. अमूर्त आस्तियां :</u>											
सॉफ्टवेयर	-	2.26	-	**2.26**	-	-	0.36	-	**0.36**	**1.90**	-
कुल		**26.62**	-	**26.62**	-	-	**11.30**	-	**11.30**	**15.32**	-
कुल योग	-	**26.62**	-	**26.62**	-	-	**11.30**	-	**11.30**	**15.32**	-
पूर्ववर्ती वर्ष	-	-		-			-		-	-	-

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुसूची 5 – प्रगति में पूंजी सकर्म (अन्य)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड				मूल्यह्रास					निवल खंड	
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष की समाप्ति में लागत	वर्ष के आरंभ के रूप में	प्रारंभ पर	वर्ष के दौरान जोड़ पर	वर्ष के दौरान कटौती पर	वर्ष की समाप्ति पर कुल	वर्तमान वर्ष के रूप में	पूर्ववर्ती वर्ष के रूप में
<u>अमूर्त आस्तियां :</u>											
निर्माणाधीन सॉफ्टवेयर	-	12.08	-	12.08	-	-	-	-	-	12.08	-
कुल		12.08	-	12.08	-	-	-	-	-	12.08	-
कुल योग	-	12.08	-	12.08	-	-	-	-	-	12.08	-
पूर्ववर्ती वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाख में)

अनुसूची 6 : जमा – प्रतिभूति जमा		चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
1	प्रतिभूति जमा – ब्रॉडबैंड	**0.02**	0.02
2	प्रतिभूति जमा – एमटीएनएल	**0.90**	0.90
3	प्रतिभूति जमा – एनडीएमसी	**500.88**	500.88
4	प्रतिभूति जमा – पेट्रोल और स्नेहक	**0.40**	0.40
5	प्रतिभूति जमा – कर्मचारियों के लिए पट्टे	**1.53**	2.00
	कुल	**503.73**	504.20

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 7 : ऋण तथा अग्रिम		चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
1	स्टाफ	**14.59**	10.17
2	अन्य	**7.79**	7.95
	कुल	**22.38**	18.12

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ in Lacs)

अनुसूची 8 : विविध देनदार	चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
<u>प्राप्य शुल्क</u>	**8.00**	22.12
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था	**(8.00)**	
कुल	**-**	22.12

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुसूची 10 : अन्य चालू आस्तियां	चालू वर्ष 31.03.2019	पूर्ववर्ती वर्ष 31.03.2018
1 चालू आस्तियां		
केविविआ निधि खाता (भारत का लोक खाता)	**52,658.01**	42,354.53
2 नकद या वस्तु रूप में प्राप्य अग्रिम तथा अन्य राशियां या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए		
2.2.1 पूर्वदत्त खर्चे	67.02	50.65
2.2.2 छुट्टी का वेतन तथा प्राप्य उपदान	3.95	-
2.2.3 विनियामक फोरम	-	51.66
2.2.4 भारतीय विनियामक फोरम	-	6.11
2.2.5 अवसंरचना विनियम के लिए दक्षिण एशिया फोरम	-	14.76
2.2.6 प्राप्य मानदेय	-	0.05
3 आय प्रोद्भूत परंतु देय नहीं		
3.1 उपचित ब्याज (ऑटोस्वीप पर)	7.69	9.63
3.2 उपचित ब्याज (शास्ति के लिए एफडीआर पर)	35.75	1.42
3.3 उपचित ब्याज (आवर्ती खाते के लिए ऑटोस्वीप पर)	495.14	212.98
3.4 उपचित ब्याज (स्टाफ अग्रिम पर)	1.34	
4 वस्तुसूची	3.07	3.33
कुल	**53,271.97**	42,705.12

(₹ लाखों में)

अनुसूची 11 : विद्युत मंत्रालय से अनुदान	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
पूर्ववर्ती वर्ष से लाया गया अव्ययित अनुदान	-	1,484.97
चालू अवधि के दौरान केविविआ निधि से रिलीज़	-	4,215.00
वर्ष के लिए स्वीकृत अनुदान की कुल रकम	-	5,699.97
घटाएं : केविविआ निधि को वापस अंतरित नकदी आधार पर बचत/अव्ययित रकम	-	1,558.38
कुल	-	4,141.59

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ in Lacs)

अनुसूची 12 : शुल्क से आय		चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1	फाइलिंग शुल्क/ टैरिफ शुल्क	8,804.45	-
2	अनुज्ञप्ति शुल्क	5,225.28	-
3	वार्षिक पंजीकरण शुल्क	58.00	
4	विविध शुल्क	165.91	
	कुल	14,253.64	-

*(रु. 127.03 करोड़ अनुसूची.2 – केविविआ निधि में लेखाबद्ध किया गया ; संदर्भित नोट 21)

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

	अनुसूची 13 : ब्याज आय	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1	ऋण तथा अग्रिम पर ब्याज	1.50	-
2	बैंक में नकद पर ब्याज	597.51	-
	कुल	**599.01**	-

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ in Lacs)

	अनुसूची 14 : अन्य आय	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1	घर में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए वसूली	0.21	0.39
2	विनियम के कम्पेंडियम की बिक्री पर लाभ	0.18	0.37
3	आरटीआई शुल्क	-	-
4	विविध प्राप्तियां	0.13	-
5	अखबार की बिक्री	0.05	-
6	देयताएं जिन्हें अब और राइट बैक करने की आवश्यकता नहीं	10.15	-
	कुल	**10.72**	0.76

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ in Lacs)

	अनुसूची 15 : अवधि पूर्व मदें	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
	पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में प्राप्त शुल्क / प्राप्यों का समायोजन	7.30	
	कुल	**7.30**	-

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 16 : स्थापना व्यय		चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1	वेतन एवं मजदूरी :		
1.1	कर्मचारी/अधिकारी के वेतन	**720.57**	682.23
1.2	अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन	**112.76**	186.74
1.3	भत्ते तथा बोनस	**227.77**	173.01
1.4	भविष्य निधि में अंशदान	**81.03**	84.61
2	अन्य निधियों में अंशदान :		
2.1	उपदान अंशदान	**6.79**	4.10
2.2	पेंशन अंशदान	**33.91**	14.39
2.3	छुट्टी वेतन अंशदान	**35.50**	27.39
2.4	उपदान के लिए प्रावधान	**16.10**	63.74
2.5	छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**24.94**	33.51
3	**कर्मचारी कल्याण खर्चे**		
3.1	चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं	**62.58**	57.99
3.2	अन्य	**33.43**	34.65
4	**अन्य (विनिर्दिष्ट):**		
4.1	ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	**9.56**	8.37
4.2	छुट्टी यात्रा रियायत	**24.98**	12.81
4.3	छुट्टी नकदीकरण	**13.41**	12.65
	कुल	**1,403.33**	1,396.19

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ in Lacs)

अनुसूची 17 : यात्रा खर्चे		चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1	स्वदेश यात्रा खर्चे	**39.08**	40.85
2	विदेश यात्रा खर्चे	**29.51**	1.97
	कुल	**68.59**	**42.82**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 18 : अन्य प्रशासनिक खर्चे		चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1	श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	552.42	508.46
2	विद्युत एवं ऊर्जा	60.02	53.75
3	जल प्रभार	4.80	5.89
4	किराया दर एवं कर	2,115.10	1,625.79
5	डाक व्यय एवं टेलिफोन प्रभार	32.90	31.60
6	वाहन	0.74	1.44
7	अभिदाय खर्चे	66.56	67.84
8	विज्ञापन तथा प्रकाशन प्रभार	41.86	36.10
9	अन्य (विनिर्दिष्ट):		
9.1	पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएं	16.69	14.62
9.2	विविध खर्चे	0.85	0.71
9.3	टैक्सी/कार पट्टे किराए पर लेने संबंधी प्रभार	75.12	57.71
9.4	सूचना प्रणाली–अनुज्ञप्ति शुल्क इत्यादि	48.20	38.78
9.5	प्रशिक्षण खर्चे	1.21	0.60
9.6	उपभोग्य वस्तुएं	4.14	0.73
9.7	बैंडविड्थ प्रभार	4.01	1.10
9.8	विनियम का कम्पैंडियम (आंतरिक उपयोग)	0.12	0.10
	कुल	**3,024.74**	**2,445.22**

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

(₹ लाखों में)

अनुसूची 19 : मरम्मत एवं रखरखाव		चालू वर्ष 2018-19	चालू वर्ष 2017-18
1	कंप्यूटर	**15.33**	11.61
2	भवन	**13.73**	26.47
3	अन्य	**2.40**	2.64
4	यूपीएस	**1.94**	4.30
5	एयरकंडीशनर्स	**17.38**	21.17
	कुल	**50.78**	66.19

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 20 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन कन्वेंशन

वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा कथित न किया जाए वह ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के आधार पर और लेखांकन की प्रोदभवन नीति पर तैयार किए जाते हैं। लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 100 की उपधारा (1) के केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार किए गए केविविआ (वार्षिक लेखा विवरणी के फार्म एवं रिकॉर्ड) नियमावली, 2007 के अंतर्गत तैयार किया गया है। लेखों को लेखांकन सिद्धांतों एवं मानक अनुपालन में तैयार किया गया है।

2. नियत आस्तियां

नियत आस्तियां आवक मालभाड़ा, शुल्क तथा करों तथा अर्जन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्चों सहित अर्जन की लागत पर कथित का जाती है। स्वयं की निधियों से निर्मित नियत आस्तियों की तुलना में अनुदान से निर्मित नियत आस्तियां अलग से प्रदर्शित की जाती हैं।

3. मूल्यह्रास

i. नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–।। में दी गई दरों के अनुसार अवलिखित मूल्य प्रणाली में निकाला गया है।

ii. वर्ष के दौरान नियत आस्तियों में जोड़/कटौतियों के संबंध में 30 सितम्बर तक अर्जित आस्तियों पर पूर्ण मूल्यह्रास और 30 सितम्बर के पश्चात् अर्जित आस्तियों आधी दर से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण वर्ष का मूल्यह्रास 30 सितम्बर के बाद निपटाई गई / हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है और उस वर्ष के लिए आधी दर पर मूल्यह्रास 30 सितम्बर से पूर्व निपटाई गई / हटाई गई आस्तियों पर प्रभारित किया जाता है।

iii. 5000/– रुपए या उससे कम के मूल्य की नियत आस्ति को पूंजीगत किया जाता है और पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है।

4. अमूर्त आस्तियों का उपाकरण

सॉफ्टवेयर का 5 वर्षों की अवधि के लिए या सॉफ्टवेयर के पूर्ण काल के लिए जो भी कम हो, जब तक की अन्यथा कथित न किया गया हो, उपाकरण किया जाता है।

5. केविविआ निधि के लिए लेखांकन संव्यवहार

केविविआ निधि (निधि के प्रयोग का संगठन और ढंग) नियम, 2007 के अनुसार केविविआ निधि खाता भारत के पब्लिक लेखा में खोला गया है। वर्ष 2018–19 से, केविविआ द्वारा प्राप्त सभी फीस तथा अन्य रकमों को

'प्रोदभवन आधार' पर आय के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। जुर्मानों की प्राप्त अविवादित रकम को विद्युत मंत्रालय को अंतरित किया जाता है तथा जुर्मानों की प्राप्त विवादित रकम को चालू देयताओं के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान / सब्सिडी

i. सरकारी अनुदान / सब्सिडी को उगाही आधार पर परिगणित किया जाता है।

ii. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा मानक 12 के अनुसार अनुदान सहायता में से अर्जित नियत आस्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास आस्थगित आय के रूप में आय एवं व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाया जाता है और तदनुरूपी रकम की पूंजी निधि से कटौती की गई है।

7. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा में निर्धारित संव्यवहार को संव्यवहार की तारीख पर प्रचालित विनिमय दर को परिगणित किया जाता है। विदेशी विनियम लाभ या हानि यदि कोई है, तो उसे लेखा मानक–11 के अनुसार वर्ष के आय एवं व्यय खाते में मान्यता दी जाती है।

8. पट्टा

पट्टा किराया पट्टा निबंधनों के प्रति निर्देश से व्ययित किए जाते हैं।

9. सेवा निवृत्ति फायदे

कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर संदेह उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रति देयता को लेखा मानक–15 के अनुसार बीमांकन मूल्य के आधार पर परिगणित किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन एवं पेंशन / ग्रेच्युटी के लिए अंशदान को प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार परिगणित किया जाता है।

10. माल सूची

विनियमों का सार संग्रह आंतरिक एवं सरकारी तथा सरकारी कंपनियों व प्राइवेट पार्टियों को निर्धारित कीमत पर प्रयोग के लिए मुद्रित किया जाता है। वर्ष 2016–17 से, वर्ष के अंत में विनियमों के सार संग्रह की सूची कम लागत या उसकी बाजार कीमत पर परिगणित है।

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं की भागरूप अनुसूचियां

अनुसूची 21 – आकस्मिक देयातओं और लेखों पर टिप्पण

1. केविविआ निधि

i. केविविआ निधि (निधि का गठन और उपयोजन की निधि) तथा बजट का प्रारूप एवं तैयारी के लिए समय नियम 2007 के अनुसार इन निधियों में अधिनियम की धारा 98 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को दिए गए किसी भी अनुदान और ऋणों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस, समय समय से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णय के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा या अन्य स्रोतों से प्राप्त अन्य रकम में सम्मिलित हैं। निधि (क) केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक के लिए (ख) अधिनियम की धारा 79 के अधीन अपने कार्यों के निर्वाह में केन्द्रीय आयोग के व्यय तथा (ग) अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए व्यय के लिए प्रयुक्त होंगे। केन्द्रीय आयोग स्थापना से संबंधित और अन्य व्ययों की पूर्ति के लिए अपने वार्षिक बजट के लिए इन निधियों से रकम रिलीज़ करने की मांग करेगा।

ii. भारत के लोक खाता के अधीन एक निधि खाता खोला गया है जो गैर–व्ययगत और गैर–ब्याज वहन खाता होगा। विद्युत मंत्रालय ने 'अनुदान सहायता' के रूप में भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई केविविआ निधि से रिलीज़ राशि को मान लिया। वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक, केविविआ का समग्र व्यय प्रोदभवन आधार पर केविविआ निधि से रिलीज़ 'अनुदान सहायता' से किया गया। वर्ष 2018–19 से, वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय में निर्णय / विचार–विमर्श तथा परिवर्तित लेखा नीति के अनुसार, केविविआ ने वार्षिक व्यय तथा चालू पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा करना आरंभ किया है।

iii. वर्ष 2018–19 के दौरान, ₹ 10303 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 12927 लाख) केविविआ निधि में जमा किए गए हैं और इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय ने केविविआ के स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए निधि से ₹ शून्य की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 4215 लाख) रिलीज़ की जो केविविआ निधि (भारत को लोक खाता) में 31 मार्च, 2019 को ₹ 52658 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 42355 लाख) का शेष रखते हुए केविविआ स्थापना व्यय की पूर्ति के लिए थे।

iv. चालू वर्ष के दौरान, सभी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आय को व्यय के बाद आय (पूर्ववर्ती वर्ष में शून्य) एवं अधिशेष के रूप में लेखाबद्ध कर केविविआ निधि में अंतरित किया गया। वर्ष 2017–18 के अंत में, सहायता अनुदान की ₹ 1558 लाख के अव्ययित शेष को केविविआ निधि में वापस अंतरित की गई।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं

विकास के अधीन सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर की प्राप्ति के संबंध में 31 मार्च, 2019 को ₹ 44 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में शून्य) की पूंजी प्रतिबद्धता रही। उन दावों के संबंध में जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया, आकस्मिक देयताएं वित्तीय वर्ष के अंत के निकट ₹ 12 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 00 लाख) रहीं।

3. पट्टा दायित्व

वाहनों के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भावी दायित्व की राशि ₹ 11 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 14 लाख) रही।

4. नियत आस्तियां

i. विद्युत मंत्रालय से प्राप्त की गई सहायता अनुदान में से अर्जित आस्तियां मूल्यह्रासित हैं एवं पूंजी रिजर्व में तदनुरूपी कटौती से प्रत्येक वर्ष अस्थगित आय के रूप में परिगणित की गई है।

ii. आस्तियों का भौतिक सत्यापन मई, 2019 में किया गया। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने के अंतर्गत है। भौतिक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण असंगति नहीं पाई गई। समायोजन, यदि कोई हो, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

5. चालू देयताएं

i. पावर एक्सचेंजों में गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की व्यापार कीमत के संबंध में एक विवाद के समाधान को लंबित करते हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ₹ 500 प्रति गैर–सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की राशि केविविआ में जमा की जाए। मामले के निपटान पर, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा। तदनुसार, ₹ 1081 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 77187 लाख) की प्राप्त राशि को एक पृथक बैंक खाते में रखा गया। ₹ 4461 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 752 लाख) की ब्याज की राशि सहित ₹ 83481 लाख की कुल प्राप्त राशि को 'चालू देयता' में अनुरूप राशि के साथ 'चालू आस्ति' में लेखाबद्ध किया गया है।

ii. 31 मार्च, 2019 तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अंतर्गत केविविआ द्वारा लगाए गए निवल दंड की राशि ₹ 1782 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1781 लाख) की थी जिसमें ₹ 1288 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1288 लाख) विभिन्न न्यायालयों में पार्टियों द्वारा विवादित रही और अनुदत्त स्थगन के कारण केविविआ में उनके द्वारा जमा नहीं करवाई गई। ₹ 494 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 493 लाख) की शेष रकम केविविआ में प्राप्त की गई। प्राप्त

रकम से, ₹ 357 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 357 लाख) विभिन्न न्यायालयों में विवादित रही और चालू देयताओं के रूप में प्रकट की गई है। प्राप्त परंतु विविदित रकम बैंक में अल्पकालिक नियत जमा के अधीन रखी गई है और केविविआ निधि (भारत के लोक लेखा के अधीन रखी गई) जमा की जाएगी या न्यायालय मामलों के परिणाम के आधार पर, जैसा भी मामला हो, पार्टी को वापस की जाएगी। शेष ₹ 137 लाख जो कि विवादित है, उसे केविविआ निधि में अंतरित (चालू वर्ष ₹ 1 लाख तथा पूर्ववर्ती वर्षों तक ₹ 136 लाख) किया गया है। इसमें केविविआ के आदेश पर आधारित प्रत्यर्पणीय ₹ 1 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 1 लाख) सम्मिलित है। यह विद्युत मंत्रालय के अनुमोदन से है। भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक के कार्यालय से निर्देशों के अनुसार विवादित दंड की रकम से की गई नियत जमा पर 'प्राप्त' और 'उपचित लेकिन प्राप्त नहीं' ब्याज अन्य चालू देयताओं के अधीन परिगणित किया गया है। इस कारण से आय एवं व्यय लेखा पर कोई प्रभाव नहीं।

iii. केविविआ के स्थाई कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर क्रमशः ₹ 314 लाख और ₹ 258 लाख (पूर्ववर्ती वर्ष में ₹ 318 लाख तथा ₹ 279 लाख) की व्यवस्था की गई है।

iv. मार्च, 2019 में एनडीएमसी से प्राप्त पट्टा करार मसौदे में शून्य प्रतिभूति जमा का ध्यान रखा गया है। इस पट्टा करार पर हस्ताक्षर को लंबित रखते हुए, एनडीएमसी के साथ प्रतिभूति जमा के समायोजन को आरंभ नहीं किया गया है।

v. एनडीएमसी से प्राप्त बिल के आधार पर, तृतीय एंव चतुर्थ तल पर 942 स्क्वेयर फीट क्षेत्र के संबंध में किराए के लिए ₹ 329 लाख की देयता को लेखा बहियों में लेखाबद्ध किया गया है। केविविआ ने इस मांग को विवादित किया है तथा वास्तविक देयता, यदि कोई हो, को जानने हेतु क्षेत्र के संयुक्त माप के लिए मामले को एनडीएमसी के समक्ष उठाया है। एनडीएमसी द्वारा आबंटित क्षेत्र को अंतिम रूप दिए जाने के बाद समायोजन किया जाएगा।

6. चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम

i. प्रबंधन की राय में चालू आस्तियां ऋणों और अग्रिमों का कारोबार के सामान्य उपकरण में उनकी वसूली पर तुलन पत्र में दर्शाई गई न्यूनतम सकल रकम के बराबर होता है।

ii. वर्ष 2010–11 के दौरान, ₹ 16,91,875/– के डिमांड ड्राफ्ट आयोग की रजिस्ट्री में खो गए और केविविआ के कर्मचारी द्वारा धोखे से इसका नकदीकरण करा दिया गया। पुलिस अधिकारी के पास इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके स्तर पर जांच की जा रही है। संबंधित कर्मी के विरुद्ध विभागीय जांच मार्च, 2013 में पूरी हो गई थी और दोषी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में लंबित है। अंतिम सुनवाई दिनांक 6 जून, 2019 को हुई थी और सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 16 अगस्त, 2019 को नियत है। मामले के निष्कर्ष को देखते हुए, इस रकम को न तो आय के रूप में बुक किया गया और न ही हानि के लिए (चुराए गए डिमांड ड्राफ्ट) प्रावधान को लेखा बहियों में किया गया।

7. **कराधान**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23)(खखछ) के अनुसार आयोग की आय को आयकर से छूट प्राप्त है।

8. **आय एवं व्यय लेखा**

वर्ष 2017–18 तक, समग्र फीस एवं प्राप्तियां केविविआ निधि में अंतरित की गई थीं तथा व्यय को सहायता अनुदान में से किया गया था। आय को प्रोदभूत आधार पर अनुदान की राशि तक स्वीकृत किया गया था। केविविआ द्वारा केवल अधिशेष निधियों को भारत के लोक खाता में जमा करने की अनुमति के मामले को भारत सरकार तक ले जाया गया है। वित्त मंत्रालय तथा विद्युत मंत्रालय के निर्णय / विचार–विमर्श के अनुसार, केविविआ द्वारा उसके वार्षिक व्यय तथा चालू पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद केवल अधिशेष धन को केविविआ निधि में जमा किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2018–19 से लेखा नीति में परिवर्तिन किया गया है। संशोधित लेखा नीति के अनुसार, केविविआ के लिए समग्र फीस तथा अन्य उपार्जित आय को आय तथा अधिशेष के रूप में लेखाबद्ध कर केविविआ निधि में अंतरित किया गया है। लेखा नीति में इस परिवर्तन के कारण, चालू वर्ष की आय में ₹ 9881 लाख से वृद्धि हुई है।

9. **देयताओं के लिए प्रावधान**

वार्षिक लेख, लेखांकन के उपचित आधार पर होते हैं। तदनुसार बकाया देयताओं, सांविधिक दायित्वों जैसे पेंशन और छुट्टी वेतन, अंशदान, सीपीएफ / ईपीएफ समरूप अंशदान लेखा परीक्षा फीस आदि के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें लेखों में प्रदर्शित किया गया है।

10. **मालसूची**

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श अनुसार वर्ष 2016–17 से विनियमों के सार–संग्रह के स्टॉक को माल सूची के रूप में लेखाबद्ध किया गया है।

11. अनुसूची 1 से 21 को 31 मार्च, 2019 के अनुसार तुलनपत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अभिन्न भाग के रूप में अनुबद्ध किया गया है।

12. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पुनः समूहित किया गया है।

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां और भुगतान

(₹ लाखों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18	भुगतान	चालू वर्ष 2018-19	पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18
1. आरंभिक शेष के लिए			1. खर्चों द्वारा		
			(क) स्थापना खर्चे		
(क) बैंक शेष			(i) वेतन (आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य)	116.76	189.87
(i) चालू खोतों में:			(ii) वेतन (अधिकारी एवं स्थापना)	695.85	679.58
कॉर्पोरेशन बैंक (ऑटोस्वीप सहित)	1,510.79	1,484.97	(iii) भत्ते एवं बोनस	229.41	162.64
सेंट्रल बैंक (ऑटोस्वीप सहित)	47.59	–	(iv) वृत्तिक एवं अन्य सेवाओं के लिए भुगतान	297.42	346.54
			(v) छुट्टी नकदीकरण	45.92	12.65
(ii) बचत खाते:			(ख) यात्रा खर्चे		
कॉर्पोरेशन बैंक (ऑटोस्वीप सहित)	0.15	3.19	(i) विदेश यात्रा	26.94	0.99
कॉर्पोरेशन बैंक–आवर्ती जमा (ऑटोस्वीप सहित)	77,725.70	–	(ii) स्वदेश यात्रा	40.90	33.81
			(ग) चिकित्सा तथा स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं	58.65	59.08
(iii) सावधि जमा	498.27	463.37	(घ) अन्य स्थापना प्रभार		
			(i) ट्यूशन फीस/बाल शिक्षा भत्ता	7.22	2.11
(ख) हाथ में नकदी	–	0.20	(ii) छुट्टी यात्रा रियायत	23.59	12.04
			(ङ) भविष्य निधि में अंशदान	83.85	79.81
2. प्राप्त अनुदान			(च) अन्य निधियों में अंशदान		
विद्युत मंत्रालय से	–	4,215.00	(i) सीपीएफ मैचिंग अंशदान	1.41	2.69
			(ii) एनपीएस मैचिंग अंशदान	3.32	3.19
3. आयोग की प्राप्ति के लिए			(छ) स्टाफ कल्याण खर्चे	31.04	34.70
(i) ब्याज प्राप्ति					
–ऑटो स्वीप जमा पर ब्याज	598.78	195.93	2. प्रशासनिक खर्चों द्वारा		
–बचत खातों से ब्याज	0.67	1.17			
–पेनल्टी एफडीआर से जुड़ा ब्याज	–	32.91	(क) श्रम एवं प्रसंस्करण खर्चे	553.09	490.81
–कार लोन पर ब्याज	0.11	–	(ख) विद्युत एवं ऊर्जा	61.21	52.81
–कंप्यूटर अग्रिम पर ब्याज	0.05	–	(ग) जल प्रभार	5.20	5.74
			(घ) मरम्मत तथा रखरखाव	4.18	5.28

जारी...

(₹ लाखों में)

(ii) कम्पेंडियम की बिक्री	0.32	0.66	**(ङ) किराया, दर तथा कर**	1,996.75	1,481.10
			(च) वाहन चलन एवं रखरखाव		
(iii) अखबारों की बिक्री	0.05	0.25	(i) टैक्सी भाड़े पर लेने का खर्च	74.78	55.49
			(ii) चालन तथा रखरखाव	15.83	14.01
(iv) आयोग द्वारा फीस प्रभार			**(छ) डाक–व्यय, टैलिफोन तथा संसूचना प्रभार**	33.67	33.27
– फाइलिंग फीस	962.00	860.50	**(ज) मुद्रण तथा स्टेशनरी**	25.21	22.27
– अनुज्ञप्ति फीस	5,220.28	4,234.26	**(झ) यात्रा तथा वाहन**	0.77	1.44
– टैरिफ फीस	7,797.52	7,452.86	**(ञ) संगोष्ठी/बैठकों पर खर्च**	30.46	21.40
– वार्षिक पंजीकरण फीस	58.00	58.00	**(ट) अभिदान खर्च**	79.42	66.32
– जुर्माना	1.00	1.00	**(ठ) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक/विधिक फीस**	0.71	–
– अपेक्षित ब्यौरे/दस्तावेज के बिना प्राप्त फीस	80.71	48.51	**(ड) विज्ञापन तथा प्रचार**	44.00	38.68
– अतिरिक्त प्राप्त फीस	79.66	7.36	**(ढ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**		
– आरटीआई फीस	0.00	0.00	– एएमसी ईपीएबीएक्स	0.76	0.82
			– एएमसी फोटोकॉपी मशीन	5.08	6.53
(अ) विविध प्राप्तियां	62.54	43.51	– एएमसी एयरकंडीशनर	13.70	11.55
			– एएमसी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर	7.47	9.42
4. <u>ऋण/जमा प्राप्तियों के लिए</u>			– एएमसी यूपीएस	0.59	0.79
			– एएमसी विद्युत	4.87	2.37
(क) स्टाफ से अग्रिमों की वसूली			– एयरकंडीशनर मरम्मत तथा रखरखाव	3.32	5.67
(i) मोटर कार/निजी कंप्यूटर अग्रिम	0.92	1.04	– पुस्तकें तथा पत्रिकाएं	17.46	13.85
(ii) स्कूटर/मोटर साईकिल अग्रिम	0.07	0.07	– बैंडविड्थ प्रभार	4.01	1.10
(iii) अन्य अग्रिम (विनिर्दिष्ट करें)			– भवन मरम्मत तथा रखरखाव	7.72	22.19
– उत्सव		–	– उपभोग्य	3.96	0.74
– अग्रदाय	0.81	0.96	– कंप्यूटर मरम्मत तथा रखरखाव	2.57	5.00
			– मानदेय व्यय	–	0.10
(ख) अग्रिमों की वसूली			– सूचना प्रणाली – सॉफ्टवेयर का रखरखाव	80.57	20.30
(i) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम	1.41	–	– विविध खर्चे	0.69	0.72
			– प्रशिक्षण खर्चे	1.20	0.60
(ग) अन्य जमा					
(i) प्रतिभूति जमा	1.97	30.82	**3. <u>किए गए निक्षेप</u>**		
			(क) प्रतिभूति जमा	1.51	0.39

जारी...

(₹ लाखों में)

5. विप्रेषण प्राप्तियों के लिए			**4. (I) स्टाफ को अग्रिम द्वारा**		
(क) प्रतिनियुक्तों से वसूली	0.39	1.05	(क) अन्य अग्रिम (खर्चे)	0.98	0.79
(ख) अनुज्ञप्ति शुल्क	1.73	1.37	(ख) एफटीई अग्रिम	0.81	0.10
(ग) आयकर (वेतन/ गैर–वेतन)	229.91	230.74	(ग) छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम	2.23	0.82
(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	0.26	0.21	(घ) चिकित्सा अग्रिम	–	0.64
(ङ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना	0.14	0.15			
(च) अन्य प्राप्तियां			**(II) आकस्मिक अग्रिमों दवारा**		
– ईपीएफ/जीएसएलआई वसूली	9.08	4.82	(क) प्रदायकर्ताओं को अग्रिम	19.04	7.95
– सीपीएफ मैचिंग अंशदान/ईपीएफ/जीएसएलआई/जीपीएफ/एनपीएस	110.55	116.62			
– डीटीई वसूली	0.15	0.05	**(III) अन्य द्वारा**		
– एफटीई वसूली	0.26	0.10	(क) प्रतिभूति निक्षेप प्रतिदाय	52.08	23.22
– एलटीसी वसूली	0.65	0.16			
– एचबीए वसूली	4.91	0.44	**(IV) समायोजन/विप्रेषण**		
– अनुज्ञप्ति फीस की वसूली (आवास लीज़)	0.38	0.41	(क) प्रतिनियुक्तों से जीपीएफ/सीपीएफ/ईपीएफ आदि की वसूली		
– प्राप्त उपदान	2.23	11.69	– विप्रेषित जीपीएफ वसूली	29.58	31.43
– छुट्टी वेतन अंशदान	–	1.08	– विप्रेषित ईपीएफ वसूली (केविविआ कर्मचारी स्वैच्छिक)	85.30	81.99
6. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अधीन आरईसी जमा			– विप्रेषित ईपीएफ (स्वैच्छिक) वसूली	0.66	1.85
– प्राप्ति	1,081.49	77,186.89	– विप्रेषित सीपीएफ वसूली	–	1.61
– फ्लैक्सी जमा पर ब्याज	4,179.34	538.81	– विप्रेषित एनपीएस वसूली	3.28	2.70
			(ख) अनुज्ञप्ति फीस	1.73	1.37
7. अन्य प्राप्तियों के लिए			(ग) आयकर (वेतन/ गैर–वेतन)	229.91	230.74
– एफओआईआर/एफओआर/साफिर	72.53	24.43	(घ)) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	0.26	0.21
– आस्तियों की बिक्री	0.21	0.44	(ङ) सीजीईजीआईएस/सीईईआईएस	0.15	0.15
– प्राप्त मानदेय	0.05	0.05	(च) भवन निर्माण अग्रिम	8.51	8.77
– अग्रिम किराया	–	0.27	(छ) अन्य वसूलियां	0.49	1.49
– चिकित्सा अग्रिम की धन वापसी	–	0.64			

जारी...

(₹ लाखों में)

			5. अंशदानों द्वारा		
			(क) पेंशन	14.90	12.02
			(ख) छुट्टी वेतन	26.87	40.93
			(ग) उपदान	44.87	23.79
			6. नियत आस्तियां तथा प्रगति में संकर्म व्यय द्वारा		
			(क) फर्नीचर एवं फिटिंग्स	2.77	0.95
			(ख) मशीनरी एवं उपकरण	170.75	48.15
			(ग) अमूर्त आस्तियां	2.26	12.63
			7. अन्य द्वारा		
			(क) वापस ली गई फीस	6.00	3.00
			8. केविविआ निधि को अंतरित निधियां (भारतीय लोक लेखा)	10,303.48	12,926.70
			9. हाथ में नकदी	–	–
			10. अंतिम शेष द्वारा		
			(i) चालू खातों में :		
			कॉर्पोरेशन बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	1,108.73	1,510.79
			सेंट्रल बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	–	47.59
			(ii) बचत खातों में :		
			कॉर्पोरेशन बैंक (ऑटो स्वीप सहित)	0.15	0.15
			कॉर्पोरेशन बैंक आवर्ति जमा (ऑटो स्वीप सहित)	82,986.53	77,725.70
			(iii) सावधि जमा	498.27	498.27
	100,343.63	97,256.96		100,343.63	97256.96

हस्ता/–
एकीकृत वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

अनुबन्ध-XIII

संगठन चार्ट

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)

(31-03-2019 के अनुसार)

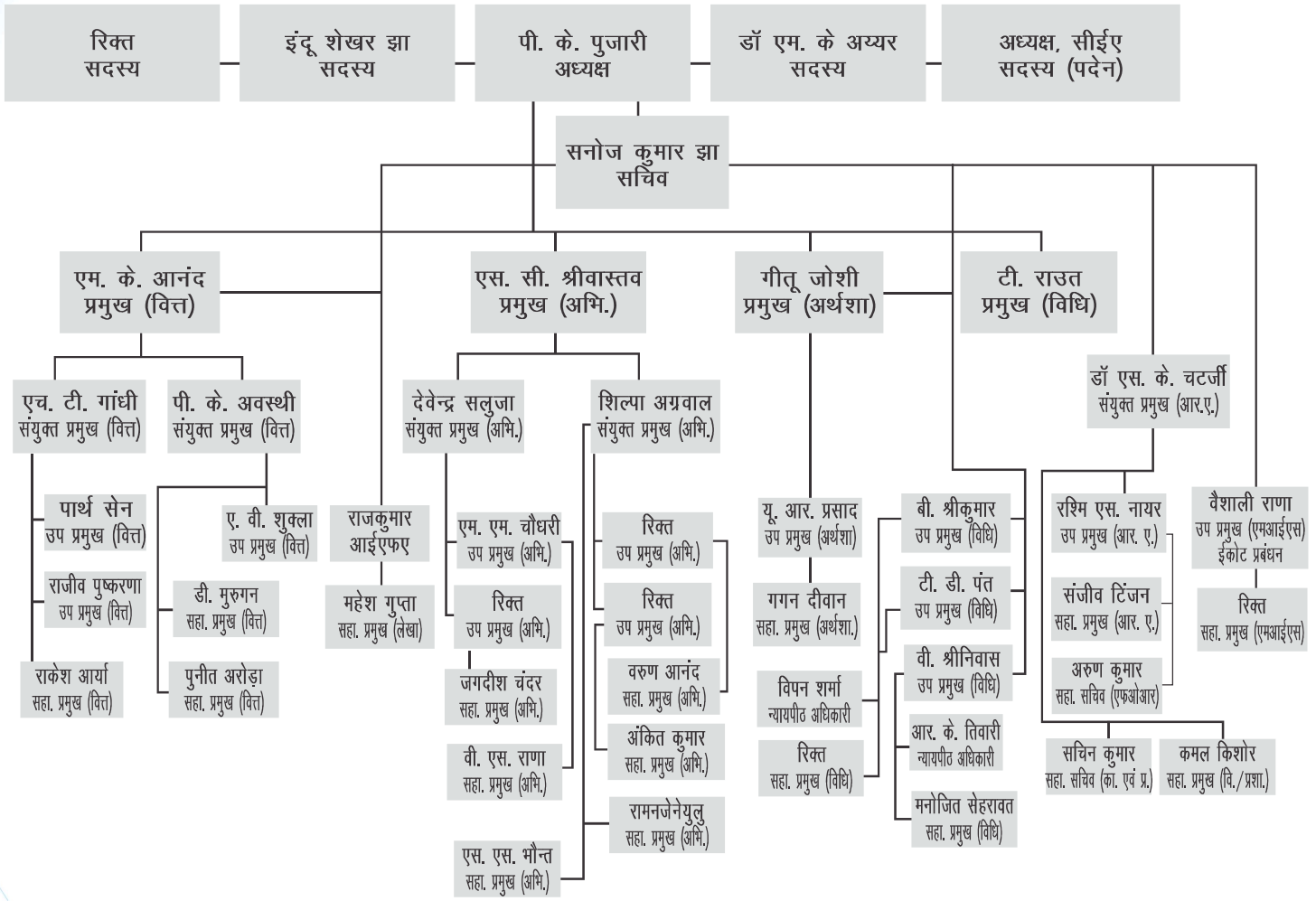

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report

2018-19